Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक म०पू० ११ बजकर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, वित्त, विकास, राजस्व, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, खनिज एवं उद्योग–विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

गत सत्र में लेक्चरार्स की नियुक्तियों में गड़बड़ी

*३३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) गत सत्र में इन्टर एवं डिग्री कॉलेजों के लिए लेक्चरार्स का चयन पब्लिक सर्विस कमीशन ने करके सूची राज्य सरकार के पास भिजवाई थी ?

(२) उपरोक्त प्रत्याशियों में कितनों की नियुक्ति हो चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों को अस्थाई रूप से नियुक्त किया हुआ है जब कि उपरोक्त सूची में आये हुए प्रत्याशी बेकार बैठे हैं ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१). ३५५ प्रत्याशियों की सूची लोक सेवा आयोग ने भेजी।

(२) २६५।

(३) जी हां, कुछ चुने हुए प्रत्याशियों की नियुक्ति नहीं हुई। क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई लिस्ट में से ऑर्डर ऑफ प्रिफरेन्स के मुताबिक ज्यों २ स्थान उस सत्र में खाली हुए उनको पोस्ट कर दिया गया। लोक सेवा आयोग की सहमति से प्रत्याशियों की सूची एक सत्र के लिए लागू होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ३५५ प्रत्याशियों में से २६५ की नियुक्ति हुई। बाकी के केन्डीडेट्स थे उनको टेम्परेरी पोस्ट में क्यों नहीं नियुक्त.......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह उन केसेज में हुआ है कि पी. एस. सी. की लिस्ट जनवरी के बाद में आई है। सलेक्टेड टीचर्स सीनियर टीचर्स के तौर पर काम करते थे और उधर लेक्चरार्स थे वे भी सफर करते इसलिए इनका अपोइन्टमेंट नहीं हो सका —

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा एक साल के लिए होती है और दूसरी तरफ कहते हैं जनवरी में लिस्ट आई थी इसलिये सब अरेन्जमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी सूरत में एक साल के लिए लिस्ट बनती है तो उन लोगों का तो चान्स मारा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, ऐसा होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको दूसरे सेशन में चान्स दीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पी. एस. सी. से बात हुई तो बताया गया कि ६ महिने उनके नाम फोर्स में रहते हैं। सेशन के एन्ड में होता है तो ६ महिनेवाली बात चली गई, उस सेशन में होना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: एक केन्डिडेट इस वर्ष सलेक्शन में आया पर चूंकि आप स्कूलों का अरेन्जमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसलिये उसको नहीं लिया और इस कारण हमेशा के लिए उसका चान्स मारा गया। क्योंकि वह तो उसी सेशन के लिए सलेक्ट किया गया था दूसरे सेशन में आप उसको अपोइन्ट नहीं करते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह दूसरी बार सलेक्शन के लिए आ सकता है। उसका एक्सपीरियेन्स गिना जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

(कृपया आगे देखिए)

नेकस्ट

श्री रघुनाथजी, पलासरा, के मन्दिर में भ्रष्टाचार तथा पूजा की अव्यवस्था

३५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मन्त्री देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि महन्त फूलदास, मन्दिर श्री रघुनाथजी, पलासरा, तहसील सीकर के विरुद्ध मन्दिर में भ्रष्टाचार तथा पूजा में अव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट सीकर ने जाँच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की ?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हाँ।

(२) जी हाँ।

(३) महन्त को सूचना दी गई है कि यदि मन्दिर का इन्तजाम ठीक नहीं किया जावेगा तो उनसे माफी की जमीन छुड़ा ली जावेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट ने दो साल पहले जाँच की और आज भी वह महन्त लोगों को आरती में प्रवेश नहीं करने देता, इस तरह लोगों की शिकायत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मन्दिर की दुर्व्यवस्था तो साबित नहीं हुई है पर जांच से यह साबित हुआ है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी बहुत हैं। उनको कह दिया है कि क्रोध पर नियन्त्रण रखें।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्रोधी का या क्रोध का प्रश्न नहीं है, लोगों को आरती में प्रवेश नहीं करने देता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो जो इन्क्वायरी का नतीजा आया है उसका जिक्र कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल

३४. प्रान्त के इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में इस समय कुल कितने व्यक्ति इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के पद पर कार्य कर रहे हैं ? कृपया उनके नाम, योग्यता तथा कार्य करने के स्थान (हैड-क्वार्टर्स) मय कार्य करने की अवधि के सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : २३ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। उनके नाम, योग्यता आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इन्सपेक्टर के लिए कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्रश्न में पूछा नहीं है फिर भी अर्ज कर देता हूं ट्रेन्ड ग्रेज्युएट होना चाहिए और टीचिंग का एक्सपीरियेन्स होना चाहिए।

प्रश्न संख्या ३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह !

उनियारा में तहसील की बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

३८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा की बिल्डिंग बनाने हेतु सरकार ने कोई धन राशि स्वीकृत की है ?

(ख) अगर हां, तो कितनी व क्या क्या बिल्डिंग बनेगी और कब तक काम चालू हो जावेगा ?

Page No.4

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What about qnestion 36, Sir ? I think it has not been called.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : When it was called, Question 34 was answered.

श्री गिरधारीलाल (नोखा): मुझे मालूम नहीं था। मैंने ३४ ही पूछा।

श्री उपाध्यक्ष : I have called the question, and the Hon'ble member was under misconception.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble member quoted no. 34 but how it could be replied when...

उपमंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : The Hon'ble member quoted No. 34 so I replied to it He did not call for 36. He called 34. Perhaps he was not attentive when the question no. 34 was called on its turn.

श्री उपाध्यक्ष : No. 34 has been eplied. You are satisfied with 34 ?

श्री गिरधारीलाल : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : How the reply can be given by the Hon'ble Minister for question no. 34 when theChair has not called forit?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : When he asked for a reply to question no. 34 I replied to it.

श्री पी० के० चौधरी : But it was not called by the Chair, hence the reply should not have...

श्री उपाध्यक्ष : There was no specisic question called by the Chair. I called the name of the Hon'ble Membar anb he mistook it. However the mistake was bonafide.

Yes 36, Sri Girdhari Lal

ग्राम जसरासर के मिडिल स्कूल भवन के निर्माण हेतु द्रव्य

३६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ता० ३१-३-५६ को ग्राम पंचायत जसरासर के सरपंच को २,०००) रु० वास्ते मिडिल स्कूल भवन के मिले ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम कलक्टर, बीकानेर ने बिना जिला विकास समिति की राय के दी ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रकम कलक्टर, बीकानेर ने कोलायत से भाप तक की सड़क के लिये मंजूर शुदा रकम में से दी ? अगर हाँ, तो इसका क्या कारण था ?

(घ) ग्राम जसरासर के मिडिल स्कूल भवन का शिलान्यास किस तारीख व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया ? इतने दिनों तक उक्त भवन के लिये सरकार ने सहायता स्वरूप धनराशि क्यों नहीं दी ?

Page No.5

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका है इसलिये अगले टर्न पर उत्तर दिया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल : मैं जानना चाहता हूं कि बहुत समय पहले मैंने यह प्रश्न दिया है, करीब ४ महिने हो गये इस प्रश्न को दिये। क्या कारण है कि इसका उत्तर अभी तक नहीं आया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Reasons for the delay ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी कोशिश करने के बावजूद भी इन्फोर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकी है, इसलिये अगले टर्न पर इसका उत्तर दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to enlighten the House on this point. This was sent during the last session and was forwarded on 11-4-59 and then again till the Session adjourned, the answer was not received. The Hon'ble Member has again given notice accordingly the question has been sent on 7-7-59. I feel it my duty to say that this delay has no explanation, I would, therefore, like that the Government will furnish the answer in time.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry, Sir. I would give the answer on the next turn.

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

ड्राईंग टीचर्स, जिला जालोर

३६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जालोर जिला की हाई व हायर सेकिन्डरी स्कूल्स में ड्राईंग व पेन्टिंग का काम सिखलाया जाता है ? यदि हां, तो कौन कौन सी स्कूलों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) उपरोक्त विषय के शिक्षण हेतु नियुक्त अध्यापक की न्यूनतम निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए और उनको ग्रेड क्या दिया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस जिले में कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो एस. टी. सी. ट्रेन्ड हैं और कक्षा नवीं व दसवीं को ड्राईंग व पेन्टिंग पढ़ाते थे किन्तु उन्हें इन्टर ग्रेड से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जालोर जिले की राजकीय हाई स्कूल भीनमाल व मालवाड़ा में ड्राईंग व पेन्टिंग सिखाया जाता है।

(२) उपरोक्त विषय के अध्यापक की निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिये :—

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(क) हाई स्कूल या हायर सेकिन्डरी परीक्षा सहित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्टस एण्ड क्राफ्टस, लखनऊ का ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट।

या

(ख) महाराजा स्कूल ऑफ आर्टस एण्ड क्राफ्टस, जयपुर या कला संस्थान, जयपुर का ड्राइंग टीचर्स सर्टीफिकेट

या

(ग) सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस, बम्बई का इन्टरमिडियेट ग्रेड एग्जामिनेशन।

या

(घ) कलकत्ता का ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन।

(ङ) फाईन आर्ट्स ग्रुप में बोर्ड का हायर सेकिन्डरी एग्जामिनेशन या उसका समकक्ष एग्जामिनेशन जिसमें ड्राइंग और पेन्टिंग के पर्चों में कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त हों।

ड्राइंग की योग्यता, के अलावा यदि कोई व्यक्ति मेट्रिक पास हो तो उसे ट्रेन्ड मेट्रिक का और यदि इन्टर पास हो तो उसे ट्रेन्ड इन्टर का ग्रेड दिया जाता है यदि उसकी नियुक्ति हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने के लिए की जाती है तो।

(३) जी हां, इस प्रकार के केवल एक ही अध्यापक हैं उनका नाम श्री चुन्नीलाल 'दिवाकर' है। क्योंकि इनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी न कि ड्राइंग अध्यापक के पद पर इसलिए उनको इन्टर ग्रेड नहीं दिया गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार अब उनको यह ग्रेड देने का विचार रखती है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर उनका नम्बर ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी में आवेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये सारी क्वालिफिकेशन्स आपने जो रखी हैं उनके बावजूद भी क्या उनको यह ग्रेड दिया जावेगा या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनकी एपोइन्टमेंट शुरू में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी और ड्राइंग टीचर के पद पर नहीं हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द

तहसील सांचोर में सज्जी बनाने-वाले ठेकेदार की शिकायत

४१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांचोर, जिला जालोर में सज्जी बनाने का ठेका किसको, कितने रुपयों में और कब दिया गया ?

(२) उक्त ठेकेदार को कितनी जमीन में सज्जी बनाने का ठेका दिया गया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त ठेकेदार जो जमीन उसे दी गई है उससे भी ज्यादा जमीन घेरे हुए बैठा है और लोगों से चराई वसूल करता है ?

(४) क्या इस मुतल्लिक कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

(५) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

Page No.7

उपमन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) श्री इन्द्रमल को ६२५) रु० में सब्जी बनाने का ठेका दिनांक २० अगस्त, सन् १९५७ को दिया गया।

(२) ५,००० बीघा में।

(३) जानकारी की जा रही है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या गवर्नमेंट ने उस जमीन को एग्जामिन कराया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब सरकार ने एग्जामिन कराया तभी तो १९५७ में ठेका दिया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ४० प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : I am Just putting it.

श्री लक्ष्मीचन्द : प्रश्न ठेके का नहीं है। क्या सरकार ने पता लगाया कि वहां पर सब्जी पैदा होती है !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हाँ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब ठेका दिया गया !

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जिस समय ठेका दिया गया उस समय टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह ठेका राजस्व विभाग द्वारा दिया गया था और नवम्बर के बाद में यह इन्डस्ट्रीज विभाग में आया है। टेन्डर इन्वाइट किये होंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : ठेका एग्रीकल्चर विभाग ने दिया या राजस्व विभाग ने दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्व विभाग ने दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ४०. श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दूदू तहसील के सर्किल १६।१ के पटवारी के खिलाफ शिकायत

४०. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि दूदू तहसील के सर्किल १६।१ के पटवारी के खिलाफ श्री गणेशदत्त शर्मा ने शिकायत की और उस पर जांच का आदेश नायब तहसीलदार के नाम हुआ था ?

(२) क्या जनता ने उक्त अधिकारी से खुली जाँच की मांग की थी मगर ऐसा नहीं किया गया और पटवारी का स्थानान्तरण भरतपुर कर दिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हाँ, अलावा श्री गणेशदत्त शर्मा के पटवारी के खिलाफ और भी शिकायतें आई थी।

(२) पब्लिक ने खुली जांच की मांग की बात नहीं की। पटवारी का स्थानान्तरण जागीर डिपार्टमेंट की शिकायत से किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.8

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४२

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द

गांव मांडवला (जालोर) में स्कूल भवन निर्माण की मांग

४३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या गांव मांडवला, तहसील जालोर में स्कूल भवन बनाने के लिए सरकार के पास कोई मांग आई है ?

(२) यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) श्री सेट हस्तीमलजी चाँदमलजी २०,००० रु० भवन निर्माण हेतु देने के लिए निम्न शर्तों पर तैयार थे :—

(१) स्थानीय प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल का रूप दिया जावे।

(२) भवन के मुख्य द्वार पर शिला लेख रहे "शाह चन्दनमल मानमल जांवतराज पुखराज ने इस भवन के निर्माण हेतु २०,०००) रु० देकर अपूर्व उदारता दिखाई।"

(३) इतनी ही रकम इस भवन के लिए जिला विकास विभाग से दिलवाने की व्यवस्था करवायें।

इनमें से नम्बर (२) की शर्त स्वीकार कर ली गई। परन्तु नम्बर (१) की शर्त उस समय ही स्वीकार की जा सकती है जब कि मांडवला स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता होगा। शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है और इनके पूर्ण होने पर ही शर्त नम्बर (३) पर विचार किया जावेगा। दानवीर सेठ साहब को चाहिये कि वे पहले भवन निर्माण करने में सहायता प्रदान करें ताकि शाला को उन्नत करने पर विचार किया जावे। इस समय शाला भवन प्राथमिक शाला के लिये ही उपयुक्त नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

बुनकर सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्र

४४. **श्री भीमसेन** : (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५८-५९ में कितनी बुनकर सहकारी समितियां के बिक्री केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ?

(ख) क्या उक्त समितियों को बिक्री केन्द्र हेतु अनुदान चुका दिया गया है ? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, उद्योग : (श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(१) १६.

(२) जी हां, मार्च सन् १९५९ में।

श्री भीमसेन : किन किन सोसाइटीज को दिये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह आपने पूछा नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ:—

Page No.9

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

1. Jaipur Zila Bunkar Sahkar Sangh Ltd., Jaipur.

2. Chomu Kendriya Kraya-Vikraya Sahkari Sangh Ltd., Chomu

3. Kishorepura Weavers Co-operative Society Ltd., Kishorepura Jhunjhunu.

4. Patusari Weavers Co-operative Society Ltd., Patusari, Jhunjhunu.

5. Nawalgarh Sahkari Bhandar Ltd., Nawalgarh.

6. Weavers Co-operative Society No. 712, Kachoon, Kotah.

7. Katwari Bunkar Shakari Samiti Ltd., Reengas, Sikar.

8. Meghwanshi Weavers Sahakari Samiti Ltd., Leswa, Ajmer.

9. Pali Rastra Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Pali.

10. Kendriya Bunkar Sangh Ltd., Bassi.

11. Bikaner Kendriya Sahakari Kraya, Vikraya Sangh Ltd., Bikaner.

12. Weavers Co-operative Society No. 740, Sheshwali, Kotah.

13. Hath Kargha Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Shahpura, Distt. Bhilwara.

14. Weavers Co-operative Society No. 911/1194, Mangroli.

15. Weavers Co-operative Society Ltd., Nagal Jaisa, Bohra,

16. Bunkar Sahakari Samiti Ltd., Jharel Block, Nadbai, District Bhartpur.

श्री भीमसेन : क्या इन्डिविज्युअल को देते हैं या एफिलियेडेड सोसाइटीज को देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारे के सारे इन्डिविज्युअल सोसाइटीज हैं। लेकिन ये एपैक्स सोसाइटीज के अन्डर में हैं।

श्री भीमसेन : एफिलियेटेड सोसाइटीज को देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सेल्स डिपो पहले गवर्नमेंट ने ले रखे थे उसके बाद सारे के सारे को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रान्सफर कर दिये। उनका कन्ट्रोल रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयचन्द्र मोहिल।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरकार द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष : I have called the other question.

श्री जयचन्द्र मोहिल।

सांसी कॉलोनी, अजमेर में पानी और बिजली की अव्यवस्था

४५. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सांसी कॉलोनी, अजमेर में पानी और बिजली की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जावेगी ?

Page No.10

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(२) अजमेर के सांसियों को बसाने के लिए जमीन का पट्टा किसको दिया गया है ?

(३) उक्त जमीन का पट्टा सांसियों की रजिस्टर्ड संस्था 'विमुक्त जाति सुधार सभा, अजमेर' को न देकर दूसरों को क्यों दिया गया ?

(४) क्या अजमेर शहर के सांसियों को मकान बनाने के लिए सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कब और किन किन को दी गई ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण : (श्री भीखाभाई) :

(१) जी नहीं। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(२) श्री मूलशंकर झा, संचालक, गांधी शिक्षा सदन, अजमेर को।

(३) जिस समय उक्त जमीन का पट्टा दिया गया था उस वक्त 'विमुक्त जाति सुधार सभा, अजमेर' रजिस्टर्ड नहीं थी तथा पुनर्वास की जिम्मेदारी गांधी शिक्षा सदन ने ली थी। इसलिए उनको पट्टा दिया गया।

(४) जी नहीं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : आवश्यक कार्यवाही करते करते कितना समय हो गया है ?

श्री भीखाभाई : आर्थिक सहायता मिले तो वे काम हाथ में लेंगे।

श्री जयचन्द्र मोहिल : पुनर्वास की जिम्मेदारी को पूरा कर दिया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जहां तक राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है पानी और बिजली की सप्लाई के लिए राजस्थान सरकार ७५ प्रतिशत म्यूनिसिपेलिटीज को सहायता देती है अगर वह तैयार हो जावे तो। पहले वह एरिया म्यूनिसिपेलिटी के बाहर था अब म्यूनिसिपेलिटी में आ गया है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): सांसियों को बसाने के लिए यह जगह किस स्थान पर दी गई है ?

श्री भीखाभाई : दर असल में यह जानकारी वोलेन्टेरी एजेन्सी ने...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह जगह बाहर दी गई है या शहर में ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अजमेर शरीफ में है या बाहर है ?

श्री भीखाभाई : अब वह जगह म्यूनिसिपेलिटी एरिया में आ गई है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सांसियों को बसाने के लिए जगह दी गई है वह कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर दी गई है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह तो वोलेन्टेरी एजेन्सी थी जिसमें मूलशंकर झा, संचालक, गांधी शिक्षा सदन थे। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं अपने हाथ में यह काम लेना चाहता हूँ। संस्थावालों ने सरकार को काम दिया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं माननीय मंत्री महोदय की यह बात समझ नहीं पाया कि गवर्नमेन्ट की कौनसी संस्था है ? जिस आदमी को पट्टा दिया गया क्या वह गवर्नमेन्ट एजेन्सी है ? आखिर गवर्नमेन्ट का क्या तात्पर्य है ?

Page No.11

मंत्री, समाज कल्याण (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : महिला शिक्षा सदन हटुन्डी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : दाढ़ी है तिनका उसमें जरूर है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर में सरकारी कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था

४६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) कस्बा लूणकरणसर में सरकारी कर्मचारियों के रहने की क्या व्यवस्था है? अगर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के वक्त वहां की जिला विकास समिति ने इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की थी? अगर हां, तो सरकार उस योजना पर क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) इस समय सरकारी मकानों की कोई व्यवस्था नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कुछ द्रव्य रखा गया है और उसके मध्य जो मकानात बनने हैं उनकी स्वीकृति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी हां।

इसका उत्तर (क) में दे दिया गया है।

श्री भीमसेन : इस साल देंगे या अगले साल?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस साल ही दे दी गई है। तहसील बिल्डिंग के लिए सन् ५८-५६ के बजट में १६,६००) रुपया और ६ डी टाइप क्वार्टर्स बनाने के लिए ५६-६० के बजट में १७ हजार रुपया रखा गया है।

प्रश्न संख्या ४७।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री रावतराम।

बीकानेर डिविजन की अनिवार्य शिक्षा पाठशालायें

४८. **श्री रावतराम** (चूरू-सु) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन में अनिवार्य शिक्षा पाठशालायें चालू हैं? यदि हां, तो कहाँ कहाँ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन शिक्षा संस्थाओं को सरकार कितना प्रतिशत खर्चा देती है?

(३) क्या यह सही है कि इन पाठशालाओं को सरकार शिक्षा विभाग के सुपुर्द करने का विचार करती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि इन पाठशालाओं के अध्यापकों की सर्विस न तो सरकारी व न ही अर्द्ध-सरकारी ही मानी जाती है

Page No.12

(श्री रावतराम)

(५) क्या यह सही है कि कुछ प्रतिशत खर्जे इन पाठशालाओं पर स्थानीय नगर-पालिकायें करती हैं ?

(६) क्या यह सही है कि कई नगर-पालिकाओं ने सरकार को यह भी लिखा है कि इन पाठशालाओं को सरकार अपने अधिकार में ले लेवे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। सूची संलग्न है।

(२) सरकार मान्य खर्चे का ७५ प्रतिशत सहायता के रूप में देती है।

(३) जी हां। यदि नगरपालिकायें इन शालाओं को शिक्षा विभाग के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखेगी तो विचार किया जावेगा।

(४) जी नहीं। इन अध्यापकों की सेवायें स्थानीय स्वायत्त शासन कर्मचारियों के तौर पर मानी जाती है।

(५) नगरपालिकाओं द्वारा २५ प्रतिशत खर्चा किया जाता है।

(६) प्रश्न ३ के उत्तर में स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रावतराम : जब सरकार ७५ प्रतिशत खर्चा देती है तो अपने अधिकार में लेने में क्या हर्ज है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ७५ प्रतिशत हम देते हैं और २५ प्रतिशत उधर से आता है तो ये अच्छी तरह से चल सकती हैं।

श्री रावतराम : म्यूनिसिपेलिटीज के अधिकार में चलाने से इनकी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यदि ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर का पेश हुआ है तो उसके लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मेरी सूचना है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री भीमसेन : वहाँ के अध्यापकों ने लिखित प्रतिवेदन दिया है कि म्यूनिसिपेलिटीज से उनको अलग किया जाय।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सरकार को सौंपने के लिए लिखा है क्योंकि जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए वेतन सरकार ने निश्चित किया है वह उनको नहीं मिलता है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : लिखित रूप में मेरे पास नहीं आया है इसलिए आपका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने सदन में जवाब दिया था कि जो नियम हैं सरकार के वे उन पर भी लागू होते हैं तो क्या उनका पालन बराबर होता है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : सरकार के नियमों का पालन करने का कर्त्तव्य है और यदि कोई उनकी अवहेलना करता है तो उनकी शिकायत मेरे पास कीजिये, कार्यवाही की जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायत तो कई दफा की गई लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचंद।

भाखरा नांगल से कमान्ड एरिया में भूमि एकीकरण की रेट्स

४६. **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) भाखरा नांगल से कमान्ड एरिया में भूमि एकीकरण की क्या रेट्स हैं और क्या यह पेरीनियल एरिया है ?

(२) यदि हाँ, तो फिर जवाई एरिया के नॉन पेरीनियल पर भी दोनों की रेटस में अन्तर न होने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जवाई एरिया की ज़मीन की बिघोड़ी ७ आना व ६ आना बीघा है जब कि भूमि एकीकरण रेट उसी एक बीघा पर १ रुपया, २० नये पैसे वसूल किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो इतनी ऊँची रेट्स के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) प्रति एकड़ ३) रु०- यह एरिया नॉन पेरीनियल है।

(२) प्रोजेक्ट के क्षेत्र में भी सामान्य फीस निर्धारित की गई है।

(३) भूमि एकीकरण फीस नियमों के अनुसार तो ४) रु० प्रति एकड़ ली जानी चाहिए थी पर सरकार ने वहाँ की परिस्थितियों पर विचार करके पहले की रियायती दर ३) रु० प्रति एकड़ फीस निर्धारित की है जो लगान की दरों पर आधारित नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या खर्चे के आधार पर ली जाती है या सरकार ने जो इम्पोज की है फीस उस हिसाब से ली जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार को कोई मुनाफा नहीं होता है।

श्री तेजाराम गहलोत : फिर श्रीमान् ने कैसे फरमाया कि परिस्थितियों के कारण से रियायत की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : परिस्थितियों के कारण से रियायत दी है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या नफा नुकसान के तोल के लिए कोई आँकड़े तैयार किये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हाँ, आँकड़े तैयार किए जाते हैं। खर्चे का बजट है।

श्री तेजाराम गहलोत : जिस कृषक को कोई फायदा नहीं होता है, रद्दोबदली नहीं होती है, फिर किस प्रकार से उससे फीस चार्ज की जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो एरिया कन्सोलिडेशन में आता है उस सारे क्षेत्र का होता है जैसे कोमन लैंड।

श्री तेजाराम गहलोत : एक कृषक का जोत है उसकी जमीन किसी को बेच रहे हैं तो जिसको फायदा होगा कन्सोलिडेशन से उसी से फीस चार्ज होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों के विरुद्ध कोई केस हो तो बताये केवल हाईपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इसके लिए नियम प्रेस्काइब्ड हैं।

श्री लक्ष्मीचंद : पेरीनियल एरिया की फीस क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कल ही सदन में बताया था कि प्रोजेक्ट एरिया में एक ही रेट है ३) रुपया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

भीलवाड़ा जिले में अभ्रक निकालने हेतु लीज

५०. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):

Will the Industries Minister be pleased to state :—

(a) How much mining area has been leased to each of the following parties for extracting Mica in Bhilwara District viz :—

1. Messrs. Hind Mica Ltd.

2. Messrs. Rajasthan Minerals Ltd.

3. Rajputana Corporation Ltd.

(b) Who are the Managing Directors of each of these firms ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

1. 2613.28 acres in Block No. 2

2. 614 acres in Block No. 15.

200 acres in Beri.

183.9 acres in Zone Baolas Telas.

169 acres in Zone Dental Narainkhera.

80 acres in Zone Sulwara.

3. Nil.

(b) 1. A public Limited concern. There is no Managing Director.

It is Managed by a Board of Directors.

2. It is a partnership concern. Hence, there is no Managing Director.

3. It is a public limited concern. There is no Managing Director. It is Managed by a Board of Directors.

श्री पी. के. चौधरी : You said no area has been given but then how there is a Board of Directors then if it is not existing then ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Pardon ?

श्री पी. के. चौधरी : For Rajputana Corporation Ltd, in reply to part b (3) you said there is no Board of Directors. It means the Company is existing without area ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No area has been given. As regard the Company, whether there was a Managing Director, I have said it is managed by a Board of Directors.

श्री पी.के. चौधरी : That means the Company is existing there but no area is allotted to them ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes.

श्री पी.के. चौधरी : How does it exist then without area ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It does not mean that it is dealing in Mica. It may be dealing with other things. So far as the Company is concerned, Rajputana Corporation is there but it is not managed by any Managing Director.

श्री पी.के. चौधरी : Whether they applied for leasing out any land for mining purposes ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No.

श्री पी.के. चौधरी : No application was given ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such application.

श्री पी.के. चौधरी : Who are the Members of the Board of Directors of the company...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That information is not with me. You wanted information only about the managing directors.

श्री पी.के. चौधरी : If there is no Managing Director and if it is managed by a Board of Directors, it should be prepared to give the names of those Directors.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is no part of our business to find out who are the Directors and who are not the Directors. In fact they may or may not give the names. We cannot compel them to be so.

श्री उपाध्यक्ष : Next.

जिला जालोर एवं पाली में भूमि एकीकरण फीस की वसूली में गड़बड़ी

५१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर व जिला पाली के जंवाई क्षेत्र के गांवों में कन्सोलिडेशन फीस या भूमि एकीकरण फीस तीन रुपया प्रति एकड़ वसूल की जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कन्सोलिडेशन एक्ट में यह फीस उन्हीं लोगों से वसूल करनी चाहिये जिनको इसका फायदा होता है ? यदि हां, तो उनसे वसूल न कर तमाम काश्तकारान की अधिकृत जमीन पर यह लगान वसूल किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):—

(१) जी हां।

(२) भूमि एकीकरण फीस उन सब लोगों से वसूल की जाती है जो कि इस स्कीम से प्रभावित होते हैं और वास्तव में ऐसा ही किया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उन लोगों से भी रेट वसूल की जाती है जिनकी भूमि का कन्सोलिडेशन नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य इस बारे में कन्सोलिडेशन के रूल नं. १९ को मुलाहिजा कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल.

प्रान्त में चालू खानें

५२. श्रीजयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु: क्या मंत्री खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी खानें चालू हैं और किस किस पदार्थ की कहाँ कहाँ पर ?

(ख) क्या नई खानों को चलाने के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है ? यदि हाँ, तो किस किस पदार्थ की कहाँ कहाँ पर और कब कब से ?

उप मन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(क) राजस्थान में सन् १९५८-५९ में कुल १,१४० लीजेज चालू हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सरकार नये नये खनिजों के सर्वेक्षण में लगी हुई है। नतीजे प्राप्त होने पर आगे विचार करेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

बीकानेर जिले में सब-डिविजनल ऑफिसर्स को मिले हुए साधन

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में कितने सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं तथा उनमें से प्रत्येक के पास कितना कितना वर्ग मील एरिया आता है ?

(२) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ.ज. पूल की जीप साधारणतया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ? अगर हाँ, तो एस. डी. ओ. बीकानेर नोर्थ व साउथ के पास लैंड रेकॉर्डस की चेकिंग पर जाने के लिए क्या साधन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तथा बीकानेर तहसील के गांवों में जाने के लिए ऊंट के सिवाय दूसरे कोई साधन नहीं हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) बीकानेर जिले में दो एस. डी. ओ. हैं। एक उत्तर वृत्त का तथा दूसरा दक्षिणी वृत्त का। उनके पास क्रमशः ६,१७ व ३,३१२ वर्ग मील का क्षेत्रफल है।

Page No.17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) पूल की जीप का साधारणतया वे इस्तेमाल नहीं करते। जहां रेल व बस मार्ग हैं वहां उनसे तथा जहां वे नहीं हैं वहां ऊंटों द्वारा दौरा करना पड़ता है।

(३) १६ गांव रेल से तथा १२ बस से सम्बन्धित हैं। इनके अतिरिक्त बाकी गांवों में ऊंटों से ही सफर करना पड़ता है।

श्री भीमसेन : एक एस. डी. ओ. के पास ६०० वर्ग मील का एरिया है वह उसमें बिना साधन के कैसे दौरा कर सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया जो मार्ग बस से कनेक्टेड हैं वहाँ बस से, रेल से कनेक्टेड हैं वहाँ रेल से जाते हैं नहीं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ऊंटों से दौरा करें।

श्री भीमसेन : एक लूणकरणसर तहसील ४०० वर्ग मील में है जहाँ पर किसी प्रकार का आवागमन का साधन नहीं है। क्या उस जगह अधिकारियों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे ऊंटो से दौरा करके वहाँ के केस वर्क को निपटायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर गाँव के अन्दर केस वर्क के लिये जाने की आवश्यकता नहीं। पूल की जीप के लिए नियम बने हुये हैं उनके अन्तर्गत वह एस. डी. ओ. को भी अवेलेवल हो सकती है।

श्री भीमसेन : लैन्ड रेकॉर्डस का चेकिंग तो होता है जब तक उनको जीप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वे इस काम को कैसे पूरा कर सकेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है। बराबर और ठीक तरह से लैन्ड रेकॉर्डस का इन्सपेक्शन हो रहा है।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर तहसील....

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयचन्द्र मोहिल

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से इन्डस्ट्रीज को लोन एवं सहायतार्थ रकम

५४. श्री जयचन्द्र मोहिल : (कपासिन-मु) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान राज्य में कुल कितनी ऐसी छोटी एवं बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं जिनको राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लोन और सहायतार्थ रकम दी गई है ?

(ख) इन इन्डस्ट्रीज में कौन कौन सी मुनाफे में और कौन कौन सी घाटे में चल रही हैं व कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज बन्द हो गई हैं और वे किन किन कारणों से ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) राज्य सरकार ने कुल १,४३७ कुटीर एवं लघु उद्योगों को तथा दो बड़े उद्योगों को लोन दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए लोन अथवा सहायता की जानकारी सरकार को नहीं है।

(२) दो बड़े उद्योगों में से जयपुर उद्योग लिमिटेड मुनाफे में चल रही है तथा दूसरी स्वदेशी कॉटन मिल अभी निर्माणाधीन है।

Page No.18

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

अतः उसके मुनाफे या घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता। कुटीर एवं लघु उद्योगों के घाटे या मुनाफे की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों को कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए लोन दिया जाता है वे अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए हिसाब किताब रखना उनके लिए साधारणतया सम्भव नहीं हो सकता।

कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज बन्द हो गई है तथा किन किन कारणों से इसकी सूचना एकत्रित करके बाद में भिजवा दी जावेगी।

श्री जयचन्द्र मोहिल : यह सूची कब तक आ जायगी ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : १५, २० दिन में तैयार हो जायेगी।

श्री जयचंद्र मोहिल : केन्द्रीय सरकार जो लोन देती है क्या राज्य सरकार की मार्फत नहीं देती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : स्वदेशी कॉटन मिल को कितना रुपया लोन दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो आप बहुत दफा पूछ चुके हैं। ३० लाख रुपया दिया जाना तय किया है जिसमें १४, १५ लाख का फर्स्ट इन्स्टॉलमेन्ट दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : देवस्थान फंड में से कितना दिया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारा ही देवस्थान फन्ड में से दिया जा रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि कुछ अमाउन्ट बैंक से लोन रेज करके दिया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Not at all.

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

सांभर शामलात में बापोतीदार को खातेदार टिनेन्ट घोषित करना

५५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

Will the Revenue Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that a few months back the State Government has declared the Bapotidar in the 12 villages of Sambhar Shamlat as Khatedar tenants though they were actually Biswedars or Zamindars and thus rendered the original Khatedar tenants, who were in actual possession of the land for generations as sub-tenants?

2. What are the circumstances under which the Government declared the 'Bapotidar as Khatedar tenant ?

3. Is the Government aware that the Bapotidars, under the Government's new dispensation, are trying to eject the original Khatedar tenants?

4. What modus operandi the Government proposes to adopt to re-confer Khatedari rights on the original Khatedar tenants under the provisions of Section 19 of the amended Tenancy Act?

Page No.19

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : 1. The nomenclature of Bapotidar was imported from the former Jodhpur State where the permanent hereditary tenants were called 'Bapotidars' The Bapotidars of the former Jodhpur State have all been treated as tenants and they have acquired the status of Khatedar tenants. In the circumstances, the Government have declared the Bapotidar of Sambhar Shamlat as Khatedar tenants.

2. As in part I.

3. No such case has come to the knowledge of the Government.

4. The sub-tenants have been recognised as Khatedari tenants under the Tenancy Act.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि जो गवर्नमेंन्ट नोटिफिकेशन पिछली साल इश्यु किया गया था उसके अनुसार उससे पहले के जो सबटिनेन्ट थे उनके नाम खातेदारी के पर्चे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बपौतीदार के स्टेटस के बारे में डिसप्यूट था कि इनको जमीदारों में शामिल किया जाय या काश्तकारों में। इस चीज को लीगली एग्जामिन किया गया और यह निर्णय किया गया कि दर असल उसका स्टेटस काश्तकार के बराबर है। अतः उसको खातेदार काश्तकार में शामिल कर लिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : खातेदारी के पर्चे उससे पहले एक्चुअली टीलर्स ऑफ लैन्ड के नाम थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्चे पहले भी आम तौर पर टीलर्स ऑफ लैन्ड नाम से ही थे और उन्हीं के नाम दर्ज किये होंगे। अब तो सिर्फ बपौतीदार थे उनको खातेदार रिकॉग्नाईज किया गया है। और रिकॉग्नाईज जब किया जाता है जब कि सेटलमेन्ट के पर्चे दिये जाते हैं। इस बारे में डिसप्यूट था कि इनको खातेदार माना जाय या जमीदार। आखिर इसको लीगेली एग्जामिन किया गया उस पर यह तय हुआ कि इनको खातेदार मान लिया जाय।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : बपौतीदार और बापीदार वे होते हैं जिनको मारवाड़ लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी कर दिये गये हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को यह पता नहीं। यह सिर्फ सांभर शामलात के ४,५ ही गांव ऐसे थे जिनमें बपौतीदार थे और कहीं भी जोधपुर स्टेट में नहीं थे।

श्री पी० के० चौधरी : अमेन्डेड टिनेन्सी एक्ट के अनुसार जिनको सब-टिनेन्ट डिक्लेअर कर दिया गया क्या उनको खातेदार राईटस कनर्फम कर दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने भी सब-टिनेन्टस थे वे ऑटोमेटिकली खातेदार टिनेन्टस हो गये। डिक्लेअर करने का प्रश्न नहीं उठता They have become khatedar tenants with effect from the date the amended Act has come into force.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि तहसीलदार और एस०डी० ओ०

Page No.20

(श्री पी. के. चौधरी)

इसको नहीं मानते, वे उनको खातेदार नहीं मानते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not in the know of this. But a complaint was made and I have issued instructions......

श्री पी० के० चौधरी : And your orders have been returned by the S. D. O. that they have no instructions.

श्री दामोदरलाल व्यास : Subsequently general in structions have been issued to all Revenue Officers as to how entries are to be made in the land Records.

श्री पी० के० चौधरी : When these instructions were issued ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They have been issued about four months back.

श्री पी० के० चौधरी : Will you please place a copy of those instructions on the table of the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member can have it from me.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

कोटा जिले की तहसीलों के पटेलों की रसूम

५६. **श्री रामनारायण वर्मा**: (पीपल्दा-सु) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या कोटा जिले की सभी तहसीलों के पटेलों को गत रसूम ५) ६० प्रति सैकड़ा के हिसाब से दे दी गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो कौन कौन सी तहसीलें ऐसी हैं जहाँ ५ प्रतिशत के बजाय ३ प्रतिशत रसूम दी गई है और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां। केवल दो तहसीलों के अतिरिक्त। इन दोनों तहसीलों में भी बाकी २) रुपया प्रति सैकड़ा देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(२) तहसील इटावा व छबड़ा में पिछले वर्षों की भाँति ३ प्रतिशत रसूम दी गई थी। परन्तु जिलाधीश ने २ प्रतिशत और देने के आदेश दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

माध्यमिक शाला पीपल्दा कलां के भवन निर्माण हेतु भारत सेवक समाज द्वारा प्रदत्त रकम

५७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) माध्यमिक शाला पीपल्दा कलां, जिला कोटा को भवन बनाने हेतु कितनी रकम भारत सेवक समाज से दी गई है ?

(२) उक्त धन राशि किसके द्वारा अब तक कितनी खर्च की गई है तथा शेष कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि १०×१० वर्ग फीट के दो कमरे, एक द्वार तथा एक खिड़की पर ही यह सम्पूर्ण रकम खर्च कर दी गई है ?

Page No.21

(श्री रामनारायण वर्मा)

(४) क्या यह भी सही है कि ग्राम एवं नवीन पाठशाला भवन के बीच नाला होने से वर्षा ऋतु में विद्यार्थियों का आना संभव नहीं है ?

(५) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त स्थान पर भवन बनाने एवं धन सम्बन्धी अनियमितताओं की जांच हुई ? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जिला विकास समिति की ओर से भवन निर्माण हेतु ३,५०० रू० की स्वीकृति हुई थी।

(२) उक्त रकम भारत सेवक समाज के तत्वावधान में खर्च की गई व अब पूर्ण खर्च हो चुकी है।

(३) क्योंकि यह रकम भारत सेवक समाज द्वारा ही खर्च की गई है और समस्त कार्य उसके तत्वावधान में ही हुआ है इस कारण वांछित सूचना यहां उपलब्ध नहीं है।

(४) भवन और ग्राम के बीच एक छोटा सा नाला है जिस पर कोई पुलिया नहीं है अतः वर्षा ऋतु में अवश्य विद्यार्थियों को उसे पार करने में असुविधा होती है।

(५) चूंकि यह रकम जिला विकास समिति, कोटा द्वारा दी गई थी व भारत सेवक समाज के तत्वावधान में खर्च हुई इसलिए धन संबन्धी अनियमितता के बारे में कभी कोई शंका नहीं हुई और न उसकी जांच का प्रश्न उठता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : जिस भवन तक पहुँचने के लिये नाला बीच में पड़ता है और यह बात जब पहले से जानते थे तो ऐसा स्थान भवन के लिये क्यों चुना गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्थान दूसरा था या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता। पर यह एक नाला है कोई बड़ी नदी तो है नहीं। अगर पानी आया भी तो घंटे भर लड़के रुक गये और बाद में निकल गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

महाराजा कॉलेज होस्टल के वार्षिक उत्सव पर निर्णीत खर्चे की रकम में वृद्धि

५८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या महाराजा कॉलेज होस्टल के वार्षिक उत्सव पर खर्च की जानेवाली धन राशि पर प्रति छात्र ४॥) रु० से अधिक खर्च नहीं होगा, इस बात का निर्णय हो गया था ?

(२) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि खर्चे की व्यवस्था करनेवाले अधिकारियों ने खर्च इस प्रकार किया कि प्रति छात्र रकम ८) रु० हो गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि यह रकम वार्डन श्री महेशचन्द्र गुप्ता ने अपने व्यक्तिगत सम्बन्धित सैकड़ों लोगों को अनधिकार रूप से आमन्त्रित कर व मनमाना खर्चा कर छात्रों पर पड़नेवाला भार बढ़ा दिया ?

Page No.22

(श्री मुरलीधर व्यास)

(४) क्या यह सत्य है कि इस वार्षिक उत्सव में कबूतर उड़ाने पर भी कोई धन राशि खर्च हुई है ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि निमन्त्रण-पत्रिका दुबारा छपवाई गई ?

(६) क्या वार्डन ने खर्चे की बढ़ोतरी करने से पूर्व छात्रों की सहमति प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता

(३) जी नहीं

(४) जी हाँ

(५) जी हाँ

(६) इसके लिये समितियाँ बना दी गई थी। छात्रों ने सारा प्रबन्ध किया न कि वार्डन ने। समितियाँ इसके लिये उत्तरदायी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की शिकायत छात्रों ने शिक्षा मंत्री से की थी और कहा था कि ४।।) रु० का निर्णय हुआ था पर ८) रु० लिये जा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : और शिकायत सही हो तो क्या आप फिर से इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि ४) रु० ही खर्च होगा यह कहां तय हुआ ? ऐसी हालत में किस की जांच की जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : नं० ५ में दुबारा छपवाने की बात कही गई है इसका कारण फिर क्या था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले वाले निमन्त्रण पत्रों में कोई कार्यक्रम दिया हुआ नहीं था इसलिए दुबारा छपवाने पड़े। कबूतर इसीलिए उड़ाए गये कि होस्टल के २५ वर्ष हो गये थे इसलिए २५ कबूतर उड़ाए गये, शुभ के लिए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जंगल से पकड़ कर उड़ाये गये थे या क्या ? (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : उड़ाते हुओं को दिखा दिया गया था

(हंसी)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : (अकलेरा-सु): उड़े हुए कबूतर अब कहां गये ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : काले बादलों से आये थे ऐसे कबूतर।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पूछना चाहता हूँ यह कबूतर उड़ानेमें ४०)-४०) रुपये खर्च हो जायं और एक मामूली मिस्टेक अधिकारी रख दें और फिर से छपवाने की नौबत आये और ४) से ८) रु० लड़कों से वसूल किये जावें तो यह चीज ठीक नहीं है। और ऐसा न हो तो आप जांच करा लें।

Page No.23

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि सारा प्रबन्ध लड़कों की तरफ से ही था। उन्हीं की कमेटियां बनी थी और वार्डन का इसमें कोई हाथ नहीं था। फिर किस की जांच की जाय ?

श्री पी. के. चौधरी : कबूतर उड़ाने का सिग्नीफिकेन्स क्या है in the case of college ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : Pigeons are messengers of peace, and as the hostel had peacefully completed 25 years, so the pigeons were flown to signify that.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : क्या ये होस्टल खुलते हैं उनमें कबूतर ही उड़ाये जाते हैं क्या ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

लेखा (Accounts) लिपिकों के इम्तिहानों के लिये उपयोगी पुस्तकों की अनुपलब्धता

५६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)
श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :

Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) Is it correct that Rajasthan Public Srvice Commission had issued Notification No. 6/Exam. 58 for holding a qualifying examination in June, 1959 for recruitment to the posts of Accounts Clerks ?

(b) Is it correct that the candidates were to be examined in the following three papers of 100 marks each:—

Paper I—Rajasthan Treasury Manual.

Paper II—Rajasthan General Financial & Accounts Rules (3rd Edition).

Paper III—Rajasthan Service Rules ?

(c) Is it correct that nearly 4,000 candidates had applied for appearing in the examination ?

(d) Is it correct that the text books for this examination, namely (i) The Rajasthan Treasury Manual (ii) R.S.R. and (iii) G.F.&.A.R. are not available in the market ? If so, since when these books are out of print and what steps the Government has taken to make these books available to the examinees.

उप-मंत्री, वित्त : (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु तीसरे पर्चे में टी.ए. रूल्स भी सम्मिलित हैं।

(ग) करीब ३,७०० लिपिकों ने परीक्षा में बैठने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये।

(घ) जी हां। किताबें राजकीय मुद्रणालय में करीब एक वर्ष से बिक्री के लिये उपलब्ध नहीं हैं। ये किताबें बाजार में नहीं बिकतीं। इनके नये संस्करण छपवाने के लिये कार्यवाही

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की जा रही है। पुस्तकें छपने में अभी कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है। किन्तु किताबें न मिलने से परीक्षार्थियों को कोई विशेष असुविधा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि केवल ऐसे लिपिक ही परीक्षा में बैठ सकते हैं जो पहिले से राज्य सेवा में हैं और वे अपने अपने विभागों की पुस्तकों का आसानी से उपभोग कर सकते हैं। यह परीक्षा किसी भी व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए लाईसेन्स

६०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या अब राजस्थान में स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये कोई लाईसेन्स नहीं है?

उप मंत्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी नहीं। लघु उद्योग को लगाने के लिये किसी लाईसेन्स की जरूरत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या इसके लिए लाईसेंस माँगते हैं जो सरकारी अधिकारी उनको हिदायत कर दी जायेगी सरकार की ओर से कि इसमें कोई लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई सरकारी अधिकारी नहीं मांग सकता। अगर कहीं का कोई स्पेसिफिक इन्स्टॅन्स हो तो नोटिस में लावें। अगर किसी अधिकारी ने मांगकी है तो मैं जांच कर सकता हूं वर्ना यह तो सबको मालूम है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या लघु उद्योगों को रजिस्टर करना जरूरी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : आपके इन्डस्ट्रीज विभाग की तरफ से एक एडवर्टिजमेन्ट निकलता है उसमें लिखा है - Register your industry as a Small Scale Industry and avail of the loan. तो वे कहाँ रजिस्टर करने की बात कहते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आप का मतलब नहीं समझा।

श्री पी० के० चौधरी आजकल मैं आपके इन्डस्ट्रीज विभाग की ओर से अखबारों में एडवर्टिजमेन्ट देखता हूँ कि - Register your industry as a Small Scale Industry and avail of the Government help and loan.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is only with respect to registering their industries for obtaining shed in the Industrial Estates.

श्री पी० के० चौधरी : With whom they have to register ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: They have got to apply on the prescribed forms to the Director of Industries in order to obtain shades in the Industrial Estates which are being construc-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ted in different towns. There is no such thing that they are reguired to be registered for the purpose of establishing any small scale Industry.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

टोंक जिले में तकावी-वितरण का तरीका

६१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक जिले में तकावी वितरण का क्या तरीका है ?

(ख) क्या वितरण के लिये कमेटियां बनाई गई हैं ?

(ग) यदि हां, तो उन कमेटियों में कौन कौन सदस्य हैं और उनको कमेटियों में रखने का आधार क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान भर के लिये तकावी नियम १६५८ में बनाये गये हैं उन्हीं के अनुसार टोंक में भी तकावी वितरण किया जाता है ?

(२) जी हां, तहसीलदार ।

(३) प्रत्येक कमेटी में तहसीलदार, विधान सभा के एक सदस्य, तहसील पंचायत सरपंच व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं । तहसीलदार अध्यक्ष होते हैं ।

इस विषय में राज्य सरकार के आदेश जो १२ दिसम्बर, १६५५ को प्रचलित किये थे के आधार पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

निम्बाहेड़ा की पत्थर की खानों का ठेका

६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, उद्योग व खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील निम्बाहेड़ा की पत्थर की खानों का ठेका (रॉयल्टी) किसको दिया गया है और कितने रुपये में ?

(ख) ठेकेदार को तहसील निम्बाहेड़ा के किन किन गांवों की खानों का ठेका दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ग) क्या तहसील निम्बाहेड़ा के निम्न गांवों की पत्थर की खानों की रॉयल्टी १ अप्रेल, १६५६ से स्वयं सरकार ने वसूल की थी :—

(१) हालरमाला, (२) लसडावन, (३) आम्बाहडमाडा, (४) चावलिया, (५) चुनामेट्टी का हडमाडा, (६) बडोली माधोसिंह तथा (७) फावरा ?

(घ) क्या उक्त गांवों की खानों का ठेका (रॉयल्टी) लेने के लिए किसी ठेकेदार ने प्रार्थना पत्र दिया ? यदि हां, तो कितने रुपये सालाना में ?

(ङ) ठेकेदार को उक्त खानों का ठेका देना सरकार ने क्यों अस्वीकार किया ?

(च) अब तहसील निम्बाहेड़ा के उक्त सात गांवों की पत्थर की खानों की रॉयल्टी कौन वसूल कर रहा है ?

उप मंत्री, खनिज व उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) श्री बालचन्द राजोरा पिता श्री मंगनीराम राजोरा, निम्बाहेड़ा को ६३,०००) रु० में ।

Page No.26

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(ख) गांव निम्बाहेड़ा, खाल, संगवा, माताजी, करताना, अहीरपुरा, रानीखेड़ा, बरलिया, भूतकोटरी, मन्डल, टाटरमाला, बिनौवा, नरेला, खोडी जीविया, मंगरोल, बडौली, नाला, हालरवाला, बखवडावन, अम्बाइडमाडा, चावलिया, चूनाभट्टी, हुड-माडा, बडौली माधोसिंह व फावर, तहसील निम्बाहेडा की खानों का ठेका दिया गया है।

(ग) जी हाँ, सिर्फ २१)रु० हालरमाला खान से।

(घ) जी हां, १०,०००) रु० वार्षिक।

(ङ) ये खानें गत वर्ष के ठेके में सम्मिलित होने से इस वर्ष भी सम्मिलित की जाकर बोली स्वीकृत की थी, अतः अलग ठेका देने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) श्री बालचन्द पिता मंगनीराम राजोरा, निम्बाहेड़ा।

श्री मुरलीधर व्यास : १ अप्रेल, ५६ को जो रकम वसूल की गई उस समय उसको वह ठेका दे दिया गया था, क्या यही सही नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि २१) रु० जो वसूल किया गया वह गलत तौर पर वसूल कर लिया गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह अब एडजस्ट कर दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोसिंह।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु

६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री श्री गिरधारीलाल एम. एल. ए. (नोखा) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६ (४६।सी. एम.) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

एडिशनल डाईरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन, राजस्थान, बीकानेर व राज्य सरकार द्वारा प्रचलित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में २४ वर्ष तक की आयुवाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश देने सम्बन्धी आदेश को हाल ही में निकालने का अभिप्राय तथा आधार क्या है ?

उप मन्त्री, शिक्षा : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : हाल ही में अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष द्वारा २४ वर्ष तक के व्यक्तियों को टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश देने सम्बन्धी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार राज्य सेवा में प्रवेश होने की अधिकतम आयु २५ वर्ष है अतः जो व्यक्ति २४ वर्ष से अधिक की आयु में ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश होता है वह ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात् २५ वर्ष से अधिक आयु हो जाने के कारण राज्य सेवा में नहीं लिया जा सकता।

फिर भी इस बारे में स्पष्टीकरण आदेश द्वारा किया जा रहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों में भर्ती होना के लिए विद्यार्थी की आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा परन्तु प्राईवेट प्रवेशार्थियों में २४ साल की कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे वे सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य की सेवाओं में भर्ती किये जा सकें।

Page No.27

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि इन शिक्षण संस्थाओं के अन्दर २४ वर्ष से ज्यादा की उम्र के जितने छात्र हैं उनको नहीं लिया जावेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पिछले बजट अधिवेशन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में श्री गिरधारीलाल के प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि इन शिक्षण संस्थाओं में इन छात्रों के लिए उम्र के बारे में कोई सरकार की ओर से पाबन्दी नहीं है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी हाँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि इस पाबन्दी का इन्टरप्रिटेशन जो आज लिया है उस समय मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में नहीं था ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने भी कोई दूसरा उत्तर नहीं दिया है और न यह उत्तर उससे किसी तरह कॉन्ट्रेडिक्टरी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस समय प्रश्न के उत्तर में यह सूचना चाही थी कि कुछ छात्र २७ वर्ष की उम्र के प्रवेश किए गए थे और वह प्रश्न खास तौर पर उन्हीं छात्रों के लिए किया गया था जिसके उत्तर में यह बताया गया था कि ज्यादा उम्र के छात्रों के प्रवेश के लिए कोई पाबन्दी नहीं है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने भी यही निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जिस तरह से सदन को निवेदन किया है उसके अनुसार क्या यह मतलब है कि २७ वर्ष की उम्र के छात्रों को प्रवेश किया जा सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने अभी बताया कि राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार २५ वर्ष से ज्यादा की उम्र के छात्रों को प्रवेश नहीं करने दें तो क्या यह पाबन्दी २७ वर्ष की उम्र के लिए लागू नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने मेरे उत्तर को अच्छी तरह नहीं सुना है। मैंने कहा है कि २५ वर्ष से ज्यादा उम्रवालों को नहीं लिया जाये, ऐसी पाबन्दी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्र. सं. ४७ का उत्तर दे दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पहले दे दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, पहले प्रश्न संख्या ४२ लिया जावे और फिर ४७।

काश्त की भूमि को आबादी की भूमि में बदलना-भीलवाड़ा

४२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन के सामने गाडरी खेड़ा के निकट श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भोपालसिंह माथुर,

(श्री भैरोंसिंह)

मालिक भोपाल माईका कम्पनी ने ६।। बीघा भूमि खेती के लिए ले रखी थी ? क्या यह भी सही है कि श्री कन्हैयालाल ने इस भूमि को सरकार से आबादी में कनवर्ट करा लिया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री कन्हैयालाल ने इस भूमि में पैट्रोल पम्प स्थापित कर लिया ?

(३) इस काश्त की भूमि को आबादी की भूमि में किस की आज्ञा से, किस तारीख को, कितनी कीमत लेने पर कनवर्ट किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि इस कनवर्शन से पहले नगरपालिका भीलवाड़ा, से नहीं पूछा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) इस भूमि में से केवल ।) ४ बीघा जमीन में पैट्रोल पम्प बनाया गया है बाकी पड़त है।

(३) कलक्टर भीलवाड़ा की आज्ञा दिनांक ४-५-१९५७ के अनुसार ३०६।) रु० (लगान की २० गुना) लेने पर इस भूमि को आबादी में परिवर्तन किया गया है।

(४) इस भूमि को आबादी में परिवर्तन करने से पूर्व नगरपालिका भीलवाड़ा से पूछा गया था। नगरपालिका ने इस विषय में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सन् १९५७ के अन्दर काश्त की जमीन को आबादी की जमीन में कनवर्ट करने के लिए कोई नियम नहीं थे इसलिए कलक्टर को इस तरह की आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह सही है कि उस समय कोई कानून इस प्रकार का नहीं था कि जिससे काश्त की जमीन को आबादी की जमीन में कन्वर्ट कराया जा सके गैरसरकारी जमीन जो कि खातेदारी की होती थी उसके लिए इन्सट्रेक्शन्स थे। कलक्टर ने उनकी गलतफहमी में इस जमीन को कन्वर्ट कर दिया जिसकी जांच अब सचिवालय में हो रही है और जो कानूनी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि यह जो कन्वर्शन हुआ है वह गलत था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, पहले कानून नहीं था इसलिए ही तो कन्वर्शन गलत था और इसलिए ही कार्यवाही उसकी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो जमीन कन्वर्ट कराई गई वह किसी इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिए कराई गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कह सकता कि किस पर्पज के लिए कराई थी। बहरहाल कन्वर्शन जरूर कराया। पहले लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजन नहीं था और वह अब कर दिया गया है। इसलिए कलक्टर को यह कन्वर्शन नहीं करना चाहिये था लेकिन उन्होंने गलतफहमी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्सट्रेक्शन्स थे उनमें प्राईवेट और सरकारी जमीन का व्यौरा साफ तौर से नहीं था इस-

(श्रीदामोदरलाल व्यास)

लिए गलतफहमी हो सकती थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की ओर से इस अलॉटमेंट के सम्बन्ध में अदालत के अन्दर दावा दायर किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप पूछ लीजिये अगर उनकी जानकारी में है तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उनसे पूछ लिया है उन्होंने इन्कार कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूँ कि दावा दायर किया था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hanible Minister is answering question from departmental knowledge or on information from the Hon'ble Member ?

श्री दामोदरलाल व्यास : From departmental knowledge ; but I can supplement my knowledge.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जिस पर्पज के लिए इस जमीन का कन्वर्शन हुआ था उस काम में नहीं आ रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल ६ बिस्वा जमीन पर पैट्रोल पम्प लगाया है बाकी की जमीन पड़त में पड़ी है

श्री भैरोंसिंह : वहां इन्डस्ट्री लगाने के लिए ही जमीन के कन्वर्शन के लिए आज्ञा ली थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल आबादी के लिए कन्वर्शन कराया है। क्या पर्पज है वह तो जानकारी करके ही बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ के विरुद्ध शिकायत

४७. **श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : श्री मूलचन्द डागा (पाली) द्वारा पूछा गया : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, नवलगढ़, जिला झुंझुनू ने अपनी अदालत में से पैरवी करते हुए एक वकील को चपरासी द्वारा अदालत से बाहर निकलवा दिया जिसकी शिकायत सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या बार-कौन्सिल की राजस्थान शाखा की ओर से उक्त मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई ?

(३) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का भी केस एन्टीकरप्शन विभाग में चल रहा है ?

Page No.30

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इस प्रकार की एक शिकायत पर जांच की जा चुकी है।

(२) जी हाँ।

(३) जी नहीं।

श्री मूलचंद डागा : जाँच का क्या नतीजा हुआ ?

श्री दामोदर व्यास : जाँच का नतीजा यह हुआ कि श्री रामेश्वरदयाल गुप्ता एस. डी. ओ., नवलगढ़ ने एक वकील साहेबान को अपनी अदालत से बाहर जाने के लिए कह दिया। चुनाचें उनको वार्निङ्ग दे दी गई है कि आईन्दा वे अपने नियंत्रण में रहें और इस तरह से बदसलूकी नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चपरासी से धक्का देकर निकलवाया क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबन्ध में कलेक्टर झुंझुनूं को तार द्वारा शिकायत की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत तो सब जगह की और शिकायत आने पर जाँच की गई और जितनी सही पाई गई उसके लिए एस. डी. ओ. को वार्निङ्ग दे दी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : एस. डी. ओ. को वार्निङ्ग किसके बारे में दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे आवेश में आकर संतुलित रूप से व्यवहार करें। इसके लिए वार्निंग दे दी है कि इस प्रकार की कार्यवाही वे आईन्दा न करें।

श्री भैरोंसिंह : इसके पहले क्या को डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से ही मालूम हुआ कि उन्होंने दरअसल अपनी अदालत से बाहर जाने को कह दिया था। खाली शिकायत के ऊपर सजा नहीं दी जाती है। वार्निङ्ग भी प्रोपर इन्क्वायरी के बाद दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई।

श्री श्रीभानसिंह : What was the nature of the unbalanced behaviour of the S. D. M.?

श्री दामोदरलाल व्यास : He asked Mr. Sidiqi to go out from the Court Room. He lost his temper and he has been issued a warning to keep control over his temper.

श्री भैरोंसिंह : This action has been taken as a result of departmental enquiry ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : It is not an insult to the pleader to order him like that ?

Page No.31

श्री दामोदर व्यास : As a matter of fact there was exchange of hot words between the two and the S. D. M. should have controlled his temper.

श्री श्रीभानसिंह : If the lawyer misbehaved then there was the alternative of taking action against him for Contempt Of Court.

श्री दामोदरलाल व्यास : The misbehaviour did not go to the extent of contempt of Court, but there was some exchange of hot words between the both.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२ मध्यान्ह

सदन से अनुपस्थित रहने अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सूबेदारसिंह ने दिनांक १०.७.५९ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वादविवाद

श्री लच्छूराम (मंडावा) : On a Point of Information Sir... ...

श्री उपाध्यक्ष : Point of information from whom ?

श्री लच्छूराम : Point of information ....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : From the only so-called Communist member.

श्री लच्छूराम : मैंने और माननीय गिरधारीलालजी ने दो स्थगन प्रस्ताव पेश किये थे। एक स्थगन प्रस्ताव का उत्तर तो लिखित रूप में मिल गया है ....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर): यहां केरल का क्या प्रश्न आ गया ?

श्री लच्छूराम : क्योंकि दलाई लामा का प्रश्न खत्म हो गया है, ... उसका प्रश्न खत्म हो गया है। मेरा दूसरा प्रस्ताव ब्यावर के मिल के मजदूरों में चल रही हड़ताल के बारे में है....

श्री उपाध्यक्ष : एक का आप के पास जवाब आया है। As to the other question we have made an enquiry from the Government that the facts may be ascertained.

श्री लच्छूराम : गवर्नमेन्ट कब तक तैयार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : We will be deciding it tomorrow.

श्री लच्छूराम : मैं चाहता हूं कि वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है। इसी प्रकार से पहले भी राजस्थान की चार मिलें बन्द हैं...

श्री उपाध्यक्ष : I have sent for the facts to be ascertained and we are likely to receive them tomorrow. I

Page No.32

(श्री उपाध्यक्ष)

shall, therefon impart the information to the Hon'ble Member tomorrow.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : केरल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वह किसी कारण वश नहीं दी गई है अथवा केवल अपनी इच्छा से रोक दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अपनी इच्छा से अनुमति दी जाय अथवा न दी जाय ऐसा प्रश्न नहीं है। सकारण ही नहीं दी जाती है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अगर जवाब में कारण दिये हैं तो सदन जानना चाहेगा कि क्या जवाब है ?

श्री उपाध्यक्ष : I am nct to lay down the reasons.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इसलिए, श्रीमान्, पूछने की गुन्जाइश है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of information, Sir जो स्थगन प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में जानकारी दी है उसमें यह साफ लिखा है कि अनुमति रूल ५० के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती है। लेकिन नियम ५० के अन्तर्गत वह स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है। इसलिए डिस-एलाऊ करने का जो डिसीजन है वह नियमित नहीं है। वहां पर लिखा है कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल होना चाहिए। यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : I have refused under Rule 50.

श्री गिरधारीलाल : उसके अन्तर्गत आता है कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल होना चाहिए और यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल है। आपने और कोई रीजन नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : I have rightly refused under Rule 50. Yes, we proceed with the business.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,

श्री लच्छूराम (मंडावा): रूल ५०...

श्री उपाध्यक्ष : We are not going to discuss it. I have refused it under Rule 50 and there can be no discussion.

(श्री लच्छूराम के बोलने के लिए खड़े होने पर) ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल : क्या सदन के...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गिरधारीलाल : On a point of information, Sir, क्या इसका मतलब यह लिया जाय कि आपने अपनी इच्छा से ही इसको डिस-एलाऊ किया है न कि किसी नियम के अन्तर्गत ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think the Hon'ble Member is casting aspersion on the Chair and I would like to bring this to the notice of the Chair that instead of quoting the draft rules......अपनी इच्छा से ही रिजेक्ट किया है।

Page No.33

श्री गिरधारीलाल ; श्रीमान्, मैं यह जानना चाहूँगा कि यह नियम ५० के अन्तर्गत नहीं है । इसलिये आपने इसको डिस-एलाऊ किया है वह....

श्री उपाध्यक्ष : Well, I can discuss it in the Chamber and I will request the Hon'ble Member to please come to my Chamber and discuss it. I have considered the issue and given a decision. If according to Hon'ble Member it does not come under Rule 50, I will discuss it. I am confident that it comes under Rule 50.

श्री लच्छूराम : डिसकसन करने का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि whether this comes under Rule 50.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please

श्री लच्छूराम : Whether this comes under Rule 50...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will please observe the decorum of the House and I will request the Hon'ble Members to please help the Chair so far as decorum is concerned.

श्री गिरधारीलाल : On a point of information, Sir......... -

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please.

श्री गिरधारीलाल : कम से कम आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष : I am not here to give information. Order please.

(करतल ध्वनि)

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । दो शब्द आप मेरे सुन लें । उसके बाद में जैसी आप इजाजत देंगे वैसे करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is not meant to impart any information.

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस प्रकार का....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please.

श्री लच्छूराम : का निर्णय दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please. The Chair is on its legs and the Hon'ble Member will please observe the decorum. He will please resume his seat when the chair is on its legs.

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : If I say...

(श्री गिरधारीलाल के खड़े होने पर)

(श्री उपाध्यक्ष)

Order, Order, I think the Hon'ble Member will not compel the Chair to take any initiative so far as maintenance of decorum is concerned. I hope he will please observe decorum.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सदन के अन्दर आप इस तरह के रूलिंग दे रहे हैं कि उसमें इस प्रकार की आपत्ति न इस सदन को होनी चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री लच्छूराम : अगर यहां इस प्रकार की कोई गैर कानूनी बात होती है...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please these are my last observations I am now compelled to warn the Hon'ble Member that he will not give any chance to the Chair to take such steps as may not be fit the Hon'ble Member. I hope these observations of the Chair will be treated as last and I feel that if decorum is not maintained the Chair will be compelled to take such steps as are necessary. I hope the Hon'ble Members will please co-operate in the maintenance of the decorum.

श्री गिरधारीलाल : श्रीमान्, यहां सदन के अन्दर हमारी ज़बान पर इस तरह से ताला लगाया जाता है........

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Girdhari Lal. I am now naming the Hon'ble Member. He will please maintain the decorum of the House. I have named the Hon'ble Member and he will please realise that after naming the Hon'ble member there is step pending.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय,.... डेकोरम का सवाल नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please.

श्री लच्छूराम : यहां हाउस में हमारी ज़बान के ऊपर इस तरह से ताला लगाया जाता है......

श्री उपाध्यक्ष : I have already stated that the matter cannot be discussed in the House. There is an option for the Hon'ble Member to discuss the matter while I am in the Chamber and I will be too glad to discuss the issue with the Hon'ble Members who want that the matter may be discussed- I hope this is sufficient and the Hon'ble Member, Shri Girdhari Lal and the other Hon'ble Member Shri Lachhu Ram will please not give any chance to the Chair to take serious steps-

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपका जो यह रूलिंग है यह हमको उचित नहीं मालूम होता है और आप बोलने नहीं

(श्री गिरधारी लाल)

देते हैं तो मज़बूर होकर हमें बाहर जाना पड़ेगा। माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं उन्होंने एक नई परम्परा और डाली है....

श्री उपाध्यक्ष : Well, if at all you are withdrawing...

श्री गिरधारीलाल : आज तक जितने भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : It is my decision that the Hon'ble Member, Mr. Girdhari Lal must withdraw from the House.

श्री गिरधारीलाल : Alright.

श्री लच्छूराम : इस प्रकार की जो अवैधानिक कार्यवाही हाउस में होती है

श्री उपाध्यक्ष : You will also please withdraw from the House. The Hon'ble Member will please withdraw from the House.

श्री लच्छूराम : इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Will please withdraw from the House.

(श्री लच्छूराम और श्री गिरधारीलाल सदन से बहिर्गमन करते हैं)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह कल की गलती सुधार रहे हैं।

जन सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उपस्थापन

हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जन सेवा आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन १९५६-५७ मेमोरेन्डम सहित उपस्थित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष (व्यवधान) Order, order. I have called the House to order please.

विधायी कार्य

१२ १० म० प०

डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

मन्त्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि डूंगरपुर स्टेट देवस्थान एमेंडमेंट बिल, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९५९ को सदन के सामने विचारार्थ पेश किया है। मैंने सारे विधेयक को पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया कि इस प्रकार के कांट्राडिक्टरी विधेयक को किसलिये पेश किया गया है ? इसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था और उसमें इस प्रकार का संकेत दिया था :

"It was represented to the Government that the affairs of the Dun-

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

garpur State Devasthan Nidhi were not properly Managed and it was, therefore, considered necessary to amend the Dungarpur State Devasthan Nidhi Act fothwith so as to achieve the aforesaid object."

राज्य सरकार ने स्वीकृति लेकर एक ऑर्डिनेन्स जारी किया था। उसमें संकेत किया था कि डूंगरपुर की देवस्थान निधि का ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं हो रहा है इसलिये इस एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं होता है तो प्रबन्ध करनेवालों को बदल कर नई व्यवस्था करनी चाहिये थी लेकिन जब अमेन्डिंग बिल को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि सरकार ने व्यवस्था को नहीं बदला है। डूंगरपुर के महारावल पहले से ही इसके अध्यक्ष थे और वे अब भी उसके अध्यक्ष रहेंगे और जो लोग उसके मेम्बर्स थे वे अब भी मेम्बर्स रहेंगे। सरकार ने जो कॉम्पलीकेटेड कानून बनाया है उससे आइन्दा कानून की मंशा कभी पूरी नहीं होगी और आगे जाकर सरकार इसमें जो धारा १५ रखी गई है उसके अन्तर्गत हस्तक्षेप करेगी और निधि पर अपना कब्जा कर लेगी। इसी कारण से यह अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है।

इसकी जो उप धारा (४) है उसको देखें तो इस निधि के लिये किस प्रकार से संगठन होगा यह उसमें दिया है। इसमें महारावल डूंगरपुर को रखा है और वहां पर चार विभिन्न प्रकार के मठ हैं उनके मठाधीशों को रखा है और वहां पर एक मस्जिद है उसके भी पीर साहब को रखा है। इस तरह से ये ५ व्यक्ति जो विभिन्न संप्रदायों के मठाधीश हैं उनको रखा है और महारावल को रखा है। उसके बाद सरकार ने जो अधिकार उप धारा (५) में लिया है वह इस प्रकार है :

Five persons to be nominated by the State Govt. ५ व्यक्तियों को गवर्नमेन्ट नोमिनेट करेगी और ५ अपने आप आयेंगे। एक महारावल होंगे और एक सेक्रेटरी को सरकार नोमिनेट करेगी। इस प्रकार से ६-६ आदमियों की जोड़ी बैठा दी। इसके साथ ही यह भी रखा है कि गवर्नमेन्ट रूल्स बनायेगी और इन्सट्रक्शन्स देगी। पहले वाइस प्रेसिडेन्ट को महारावल नियुक्त करते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते। उपधारा (१२) को देखिये उसमें लिखा है : Insertion of new section 12A in Dungarpur State Act-- After Section 12 of the Dungarpur State Act the following new section shall be inserted, namely:—

"12A. If in the opinion of the State Government the Davasthan Nidhi is guilty of gross mismanagement of the affairs of the shrines, temples and institutions to which the provisions of this Act apply or neglec in the performance of its functions, the State Government may Supersede the Nidhi and may appoint any person or persons with full powers of the Nidhi......in accordanecwith the provisions of this Act." जब सरकार यह देखेगी कि किसी प्रकार से निधि में कोई गड़बड़ी है, या वहां के अध्यक्ष गड़बड़ी करते हैं, या सेक्रेटरी से इन्फॉर्मेशन आयेगी कि निधि के ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से फोलो नहीं किया जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेन्ट उसको अपने हाथ में ले

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लेगी। उसमें यह प्रावधान नहीं किया कि सरकार उस निधि के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के बाद वहां पर कोई बोर्ड कायम करेगी या ५ आदमियों की कमेटी कायम करेगी या एक आदमी को नियुक्त करेगी। सरकार चाहे तो किसी भी एक आदमी को वहां बैठा सकती है लेकिन वह आदमी सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। यदि विधेयक में यह बात लाई जाती कि पहले पुरानी कमेटी को सुपरसीड किया जावेगा और फिर कलेक्टर के चार्ज में या कमिश्नर के चार्ज में या एस. डी. एम. के चार्ज में देगी इस प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रीजी की मर्जी होगी तो किसी भी एक्स, वाई, जैड को या किसी भी पब्लिक मैन को अध्यक्ष बना देगी इसके लिए कानून में कोई रोक नहीं है।

मान लीजिये इन्टेरिम काल के लिए किसी को वहां पर बैठा दिया तो इसमें यह कहीं नहीं रखा है कि दुबारा कमेटी का निर्माण कब होगा। जब तक मर्जी होगी तब तक उस आदमी के द्वारा काम चलने दिया जायेगा चाहे इसे चार साल तक भी रहने दिया जाय। मंत्रीजी अपनी मर्जी के माफिक लाखों रूपयों की संपत्ति को चला सकते हैं। इस समय कमेटी तो है लेकिन आगे कमेटी का भी प्रावधान नहीं है। कमेटी में गड़बड़ क्यों होती है यह समझ में नहीं आता। गड़बड़ी हो रही है इस वजह से पुनर्गठन होगा तो फिर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा। उप धारा (४) में स्पष्ट है कि ये लोग मेम्बर होंगे।

(1) the Maharavalof the covenanting State of Dungarpur for the time being recognised as such in accordance with the provisions of the Constitution.

ये मेम्बर होंगे।

(ii) the person holding for the time being the office of Rajguru of the covenanting State of Dungarpur.

(iii) the person holding for the time being the office of the Mahant of Dheereshwar Akhara?

ये भी उसके मेम्बर होंगे—

(iv) the person hoiding for time being the office of the Peer of Jhalarmath.

ये भी स्थाई मेम्बर होंगे—

(v) the person holding for the time being the office of the Goswami of Murlidharji Temple at Dungarpur.

(vi) one person to be nominated by the Maharaval of the covenanting State of Dungarpur ?

अब इतने मेम्बर्स स्थाई होते हुए सरकार ने उस कमेटी को भंग कर दिया और चार साल बाद फिर पुनः कमेटी बनाई गई तो ये के ये आदमी फिर उसके सदस्य की हैसियत से आ जायेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये वापिस नहीं आ सकते। यदि महंत जी चार साल बाद भी जीवित रह गये तो महंतजी फिर इसके मेम्बर बनेंगे और महारावलसाहब भी इसके मेम्बर बनेंगे। इसके बाद में भी गड़बड़ी की तो सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसको अपने हाथ में ले लेगी। इन ६ के अलावा बाकी सब मेम्बर्स सरकार की तरफ के होंगे और सरकारी और गैर सरकारी मेम्बर्स में झगड़ा होगा और दुबारा नियुक्ति करने का प्रश्न आयेगा। या तो सरकार स्थाई रूप से इसमें अपने आदमी रखे। सरकार चाहे तो डूंगरपुर में दूसरे नेता हैं और ऐसे महन्त हैं जिनका इस निधि से संबंध नहीं है उनको नियुक्त कर सकती है। सरकार जितने दिन चलाना चाहेगी उतने दिन चलाती रहेगी लेकिन जिस दिन नई कमेटी का गठन होगा उस दिन माहरावल और महन्त वापिस आ जायेंगे और हो सकता है फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाय। इस प्रकार की स्थिति दुबारा उत्पन्न न हो इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

सरकार ने आर्डिनेन्स में आरोप लगाया है कि क्योंकि अभी सारी निधि महारावल के अधिकार में निहित है इसलिए निधि के प्रबन्ध में गड़बड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार व्यवस्था करना चाहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि इस प्रकार की गड़बड़ी स्थाई रूप से होती जाय और जिस तरह से दो बिल्लियों के रोटी के झगड़े का निपटारा करने के लिए बन्दर आया उसी तरह से झगड़े को निपटाने के लिए सरकार बीच में आवे। इस कमेटी में एक तरफ तो महारावल और महन्तजी समेत ६ आदमी रखे हैं और दूसरी तरफ सरकार द्वारा मनोनीत ५ आदमी और छठे सेक्रेटरी रखे हैं। इनके आपस में झगड़ा होगा रोज और सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है और प्रगतिशील कदम उठाया है वह सारा खत्म हो जायेगा। आज आप यह नहीं चाहते कि महारावल के हाथ से प्रबन्ध को लेकर महारावल को नाराज किया जाय और दूसरी तरफ उनको आप सत्ता भी देना नहीं चाहते। इस निधि में क्या क्या गड़बड़ियां हुईं इसका ब्योरा शायद मंत्रीजी जब उत्तर देंगे तब बतायेंगे, नाथद्वारा जैसी भी कोई गड़बड़ी हुई या नहीं, इसका पता तो वे स्पष्ट करेंगे तब चलेगा। ऑर्डिनेन्स क्यों लागू किया यह भी वे बतायेंगे। इस विधेयक की आवश्यकता क्या है? शायद आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरह से बन्दर दो बिल्लियों को लड़ा कर उनका हिस्सा खुद खा जाता है उसी तरह से क्योंकि इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए बचे हुए धन को सरकार अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है।

डूंगरपुर स्टेट में जितना पैसा इकट्ठा होगा, जितना पैसा बचेगा उसको कमेटी जैसे चाहेगी वैसे इन्वेस्ट करेगी। लेकिन माननीय मन्त्रीजी की नीयत यह होगी कि इस प्रकार की स्थिति नहीं हो। आज डूंगरपुर में हम देखते हैं कि कम विरोध है। लेकिन इस प्रकार एक सामूहिक विरोध होगा और उसको सहन करने की शक्ति नहीं है इसलिए ही बैक डोर से बिल को लाये हैं।

इस विधेयक की धारा १५ को देखें। इसमें जो मूल विधेयक पुराने डूंगरपुर का था उसकी कुछ धाराएँ डिलीट कराई हैं। उसमें लिखा है :

"No religious or charitable trust in the Dungarpur State shall be

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

extinguished. No such religious or charitable trust or any property or funds thereof shall be taxed." यह एक प्रकार का प्रावधान कर रखा था। जो भूतपूर्व डूंगरपुर स्टेट का विधेयक था उसका प्रावधान था कि जितनी धार्मिक सम्पति है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अब सरकार चाहती है कि सारी धार्मिक सम्पति पर हम टैक्स लें। इससे एक झगड़ा पैदा हो जावेगा। अब इसके साथ आप महारावल को प्रबन्धक नियुक्त करते हैं, उनको प्रेसीडेन्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने पहले एक शर्त रखी थी कि धार्मिक संम्पत्ति पर टैक्स नहीं लेंगे और अब उन्हें टैक्स लेना होगा अध्यक्ष के नाते। अब वे नहीं चाहेंगे तो आपस में झगड़ा होगा। मुझे सूचना मिली है कि जिन लोगों ने पुराना विधेयक बनाया था उनसे पूछा नहीं कि आपकी क्या राय है। न तो महन्त, धीरेश्वर अखाड़ा और न झालनमठ के पीर साहब से, किसी से नहीं पूछा और आपने मनोनीत कर दिया है कि ये लोग जब तक जिन्दा रहते हैं तब तक सदस्य रहेंगे। आपने उनसे पूछा या नहीं, उनकी इसके लिए सहमति है या नहीं ? अगर उन्होंने इन्कार कर दिया, पांचों छहों ने इन्कार कर दिया तो आपके बिल का क्या होगा ? आपने कहा है कि सम्पत्ति टैक्स लेंगे। वे चाहते नहीं तो झगड़ा पैदा होगा और वे कहेंगे कि हम सदस्य नहीं होना चाहते हैं। उसके लिए क्या प्रावधान रखा है माननीय मन्त्रीजी ने ? इसके लिए मैंने पहले कहा था कि इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं है, यह कारण है और बुरी नियत से है और सारी सम्पत्ति को किसी प्रकार राज्य के नियंत्रण में ले लिया जाय इसलिए यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। माननीय मन्त्रीजी कहेंगे कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें इसका विरोध किया जाय, यह कह कर वे सब सदस्यों को गलतफहमी में डालना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं। अगर वे इसे बनाना चाहते हैं तो इसे भूतपूर्व डूंगरपुर स्टेट में पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें, जिनके लिए यह कानून बन रहा है। आप जान लें कि उनकी क्या ओपीनियन है ? यह विधेयक राजस्थान के बाकी भागों को छोड़ कर केवल डूंगरपुर जिले को प्रभावित करनेवाला है इसलिए इस बिल पर राय डूंगरपुरवालों से ली जाती, डूंगरपुर में जितने रहने वाले हैं उनमें यह सरक्यूलेट किया जाता और देखते कि उनकी क्या राय है। डूंगरपुरवालों की ओपीनियन होती कि इस ढंग से चाहते हैं, इस ढंग से नहीं चाहते हैं, यह स्थिति नहीं है। यहां बैठ कर नहीं कह सकते कि डूंगरपुर में क्या स्थिति है, किस रूप में यह विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर सारे राजस्थान में नहीं तो कम से कम डूंगरपुर स्टेट में इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए सरक्यूलेट किया जाय अन्यथा इसे विड्रॉ कर लिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने डूङ्गरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १६५६ विचारार्थ प्रस्तुत है। इसको विचारार्थ लेने से पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस बिल का कन्स्ट्रक्शन किया गया है और जिस विचार को लेकर इस बिल को आज पुनः स्थापित किया गया है वह सारी भावना ही इस बिल के कन्स्ट्रक्शन से समाप्त होती जा रही है। मैं बताना चाहता

Page No.40

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हूँ कि जो पुराना देवस्थान बिल था जिसे कि डूंगरपुर स्टेट ने बनाया था उसके अन्दर जो आखिरी सेक्शन था, जो अन्तिम धारा थी, वह इस प्रकार से है :

"19. The present Bijai Dharma Sabha shall cease to exercise its Jurisdiction over the shrines, temples, religious and charitable institutions, properties and funds described in Schedule 1." यह ऐसा सेक्शन था, यह इस प्रकार की धारा थी कि जो बिजय धर्म सभा नाम की सभा थी जिसके अन्तर्गत वे मन्दिर, श्राइन्स, चेरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आदि का प्रबन्ध होता था, उसको समाप्त करके मर्जर के पहले एक ट्रस्ट बनाया महारावल ने और उसके अन्तर्गत देवस्थानों के प्रबन्ध के अधिकार दिये। हमारी राजस्थान सरकार को जब उसके प्रबन्ध में खराबी नजर आई और उसको अपने हाथ में लेना चाहती है तो जो बिजय धर्म सभा को समाप्त किया था डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि एक्ट, १९४८ के द्वारा उसको समाप्त कर रहे हैं। ऑफिस से जब पूछा और कहा कि हमारा कन्ट्रोल था, हमारे कहने को माना नहीं कि उसमें से इस कानून के तहत इस बिजय धर्म सभा नाम की संस्था को समाप्त कर दिया है। इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया और अब १५ के द्वारा नये बिल के तहत इन्होंने निकाला है, ओमीशन किया है, ओमीशन ऑफ सेक्शन्स १७, १८, १९। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि १९ में रिमूव किया है बिजय धर्म सभा को जिसे डूंगरपुर स्टेट ने समाप्त कर दिया, जिसने अधिकार समाप्त किया उसको आप फिर से जन्म दे रहे हैं। यह एक लड़ाई है जो देवस्थान से संबंधित है। जो एक कुप्रबन्ध था उसको फिनिश कर रहे हैं लेकिन हर कोई कहेगा कि बिजय धर्म सभा को फिर से मालिक बनाने की तैयारी करेंगे और फिर से वह अधिकार जतायेगी। जिस प्रबन्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जो सुव्यवस्था कायम करना चाहते हैं उसके अन्दर एक व्यवधान पैदा किया जाय, यह मन्शा प्रतीत होती है। मैं समझता हूँ कि इसको गम्भीरता के साथ माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, देवस्थान मिनिस्टर साहब ने समझा होगा।

दूसरी आश्चर्यजनक चीज की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। वह यह है कि डूंगरपुर स्टेट ने कानून बनाया उस समय डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि लिखा। आज अमेंडमेंट करते हैं तो डूंगरपुर स्टेट जैसी चीज राजस्थान के नक्शे में दिखाई नहीं देती फिर भी डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि नाम रखा। यह आश्चर्यजनक चीज दिखती है। अगर कोई संशोधन कर सकते थे तो यह लिखते : ex-Dungarpur State Devasthan Nidhi.' तो इस प्रकार की बात आती तो यह समझ में आती। आज डूंगरपुर जैसी चीज नहीं है और जो मन्दिर, श्राइन्स वगैरह हैं उनके प्रबन्ध के लिए ऐक्स-डूंगरपुर स्टेट लिखा जाता तो बात समझ में आनेवाली होती। आज यह शंका खड़ी हो जाती है कि कौनसा डूंगरपुर स्टेट है जिस पर विचार कर रहे हैं। जब कोई स्थान स्थित नहीं है उस पर कोई विचार करें तो आश्चर्यजनक चीज नजर आती है।

Page No.41

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तीसरी चीज की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसका मैं विरोध करूँगा और जिसे इस बिल में रखने से और बाधाएँ पैदा होंगी। इसमें है कि देवस्थान निधि कॉन्स्टिट्यूट की जावेगी उसमें Five persons to be nominated by the Government हमारे देश में जिस प्रकार की स्थिति है, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता रही है और किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि अमुक धर्म का पूजन करेगा। हमारे यहाँ विभिन्न मत मतान्तर हुए और विभिन्न मत मतान्तरों के लोग पाये जाते हैं उनमें मूर्ति पूजक हैं और कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं....

अब यदि गवर्नमेंट उन व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं रखती है और हिन्दू मन्दिरों के लिए आर्य समाजियों को नियुक्त कर देती है तो हो सकता है कि वह आर्य समाजी होने के कारण उस मूर्ति को ही मन्दिर से उठा कर फेंक दें क्योंकि आर्य समाजी तो मूर्ति और मन्दिरों का खण्डन करते हैं।

आपको इसमें यहां यह रखना था कि जो आदमी मूर्ति में विश्वास करता है, मंदिरों की स्थिति में विश्वास करता है, इस प्रकार के व्यक्तियों को इसमें रखा जायेगा। पर इस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं रख कर ऐसा कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपोइन्ट कर सकता है। सरकार कहने को तो कहती है हम धर्म निरपेक्ष हैं और धार्मिक चीजों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन आप धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हैं और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करते समय आपने यह विचार नहीं किया कि धर्म के मामले में विश्वास करनेवाले व्यक्तियों को रखा जाय, जो धर्म में विश्वास करता हो, मूर्ति में विश्वास करता हो उसको रखा जाय। जब तक आप यह क्वालिफिकेशन नहीं रखेंगे तब तक यह शंका बनी रहेगी।

इसमें कारण देते हुए यह बताया गया है कि कुछ ऐसी खराबियां हो गई हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी हो गया है। पुरानी डूंगरपुर स्टेट के समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन इसका था वे ही लोग मौजूद हैं, केवल यही फर्क हुआ है कि जागीरदार वगैरह रखे थे उनके स्थान पर दूसरे आदमी चले गये हैं। महारावल पहले थे, वे अब भी हैं। तो पहले जो खराबी थी उस खराबी को रखा जाय, यह कहां तक उचित हो सकता है ?

दूसरे इसमें सुपरसेशन के पावर रखे हैं। सेक्शन ८ में रखा है कि किसी सदस्य में किसी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन हो उसको हटाया जा सकता है। पर आप उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में मन्दिर की निधि के मैनेजमेंट की सत्ता दे रहे हैं जिनके कारण कि पहले खराबी पैदा हुई। डूंगरपुर महारावल को रख रहे हैं। इसके माने यह हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वह In accordance with the provisions of this Act. प्रोविजन का सेक्शन ४ है, उसमें फिर वही महारावल रखे हुए हैं। उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो महारावल हमेशा वहां के वहां ही रहेंगे। तो जिस व्यक्ति के रहने से मिसमेनेजमेंट की शंका हुई वही फिर वहां रहेगा तो फिर आप सुधार कैसे कर सकते हैं ? सुधार आप यह कर सकते हैं कि जिन पांच आदमियों को आप भेजते हैं उनको बदल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकते हैं। इसके माने यह हुए कि जिन आदमियों को आपने अपोइन्ट किया वे ही करप्ट हुए और यह बात सही भी है। जिस जिस को अपोइन्ट किया जाता है वही करप्ट हो जाता है। यह तो एक कांग्रेस राज की देन है कि जिसको अपोइन्ट किया वही करप्ट हो जाता है। तो जिन लोगों के कारण कुप्रबन्ध है उन्हीं लोगों को आप फिर रख रहे हैं, यह कैसा सुधार आप कर रहे हैं ? एनी परसन का आपने लिखा है। आप यदि यह कुछ उल्लेख करते कि क्लेक्टर के हाथ में देंगे, कमिश्नर के हाथ में देंगे तो फिर भी कुछ समझ में आता कि इन लोगों को अपोइन्ट कर रहे हैं पर आपने तो रखा है....
'May appoint any person or persons with full powers of the Nidhi'

उस निधि को पूरा खर्च करने के पावर्स आप किसी भी आदमी के हाथ में दे सकते हैं और जिस प्रकार कि नाथद्वारा में व्यक्ति अपोइन्ट किये और जो जो घटनाएं हुई वही घटनाएं इसमें भी होंगी।

हिन्दू ट्रस्ट बिल जिस समय यहां डिस्कस किया गया था तो सदन में यह बात रखी गई थी कि हिन्दू मन्दिरों के प्रति सरकार की अच्छी मंशा नहीं है। आप कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने खराबी की है उसको हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। ट्रस्ट को खत्म करने के पावर आप अपने हाथ में लेते हैं तो सरकार की मंशा के प्रति शंका की जा सकती है कि किसी भी समय सरकार ट्रस्ट को खत्म करके अपने हाथ में सारा प्रबन्ध ले सकती है, सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकती है और मंदिरों की सारी की सारी सम्पत्ति को पंचवर्षीय योजना में लगा सकती है।

इसमें एक बड़ी भारी खराबी जो रखी गई है वह यह है कि मन्दिरों की निधियों पर सरकार टैक्स लगा सकती है। अगर इस प्रकार का अधिकार सरकार लेती है तो दान करने की जो लोगों की श्रद्धा है, भावना है वह खत्म हो जावेगी। वे लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग धर्म के नाम पर दान देंगे, जिस धार्मिक कार्य के लिये दान देंगे तो वह उस कार्य पर खर्च नहीं किया जावेगा। सरकार उस दान की धन राशि को किसी और ही योजना में खर्च कर देगी। धर्म के लिए महन्त के चरणों में या डैटी के चरणों में वह जो भी धन राशि समर्पित करता है वह किसी दूसरे कार्य के लिए दूसरी जगह चली जायेगी, इस प्रकार की शंका लोगों के दिलों में पैदा हुई तो यह सब इस प्रकार के दान ही खत्म हो जावेंगे। तो आप इसमें इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी भावना रखते हैं जिससे कि मूल धार्मिक भावना ही देश की खत्म हो जावेगी। तो इस प्रकार के कानून का कोई स्वागत नहीं करेगा। तो सरकार ट्रस्ट को जब चाहे समाप्त करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, यह उचित नहीं है।

विजय धर्म सभा जिसको पहले खत्म किया था उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहते हैं तो इससे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल झगड़ा हो जावेगा। तो मैं यह चाहूँगा कि इन सब बातों पर विचार के बाद ही इसे लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: चूंकि २. १५. म. प. पर इस विधेयक को समाप्त करना है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि ....

Page No.43

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं पांच, सात मिनट में कह दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है, इस बिल को पेश करने से पहले एक ऑर्डिनेन्स पास किया गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी कि ऑर्डिनेन्स पास करना पड़ा ? आखिर कोई हम नया एक्ट पास नहीं करने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग एक्ट है उसको मानते हैं, उस एक्ट में हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं और यह अमेंडिंग बिल है, इसको जिस तरीके से सदन में लाया गया है जिस तरीके से लाया जाना चाहिये उस तरीके से नहीं लाया जाकर ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था उसके सम्बन्ध में मैं प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहता हूं कि ऑर्डिनेन्स के कोई ग्राउन्ड्स इस बिल में, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में नहीं दिखते हैं जिससे विश्वास हो कि ऑर्डिनेन्स पास करना जरूरी था। ऑर्डिनेन्स जारी करते समय यह रीजन लिखा था कि : It was represented to the Government that the affairs of the Dungarpur Satate Devasthan Nidhi were not properly managed and it was, therefore, considered necessary to amend the Dungarpur State Devasthan Nidhi Act forthwith so as to achieve the aforesaid object ;but the Rajasttan Legislative Assembly was not then in session. For these reasons, the Ordinance was promulgated under instructions of the President of India.

बिल के साथ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स दिये हैं उसमें लिखा है : 'The matter being urgent, an Ordinance was promulgated, under the instruction of the President to achieve this objective. The Bill seeks to replace the Ordinance'.

अब ऑब्जेक्टिव यह था कि उनको शिकायत प्राप्त हुई थी मेनेजमेंट के सम्बन्ध में पर इस बिल को देखते हैं तो मेनेजमेंट बॉडी में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, और आज भी पहले जिन लोगोंकी मेजोरिटी थी वे ही लोग मेजोरिटी में हैं। डूंगरपुर के रावल साहब और दूसरे मिल कर मेजोरिटी में हैं और गवर्नमेन्ट के लोग माइनोरिटी में रहते हैं। मुझे तो इस एमेन्डिग बिल से कोई ऐसा असर पडता हुआ मालूम नहीं होता। जब एमेन्डिग बिल से कोई चेन्ज मेनेजमेंट में नहीं होता है तो क्या हम १।। या दो महीने और सबर नहीं कर सकते थे ? क्या हम १।। या दो महीने वेट नहीं कर सकते थे ? लेकिन हमने वेट नहीं किया और ऑर्डिनेन्स पास किया। गवर्नमेंट को एग्जिक्यूटिव पावर हैं और हम देखते हैं कि हर बात में सरकार आर्डिनेन्स पास कर देती है। पिछले दो तीन महिनों में कई अर्डिनेन्सेज पास हो गये। मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि आर्डिनेन्सेज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी सरकम्स्टेन्सेज में पास होने चाहिये या ऐसे समय में होने चाहिये जब पब्लिक को किसी बात का खतरा हो या

(श्री पी. के. चौधरी)

पब्लिक सेफटी इन डेन्जर हो ना ऐसी सरकम्स्टेन्सेज पैदा हो गई हो जिससे लोगों को खास नुकसान पहुँचता हो। अगर ऐसे मामलों में ऑर्डिनेन्स पास होते तो ठीक होता या किसी एक्सेपशनल केसेज में होने चाहिये। पिछले अधिवेशन में भी हमने कहा था कि पिछले अधिवेशन के पहले एक दर्जन आर्डिनेन्स पास हुए और अब भी हुए हैं और एक आर्डिनेन्स का नमूना आपके सामने है 'डूंगरपुर देवस्थान निधि आर्डिनेन्स' इसको देखने से यह बात मालूम होती है कि एग्जिक्यूटिव को लेजिस्लेचर की परवाह नहीं है और वह नहीं करती। वे जैसा चाहते हैं अपनी मंशा के मुताबिक ऑर्डिनेन्स पास करा देते हैं और बाद में उसको लेजिस्लेचर में लाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें उनका कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन हो लेकिन मैं यह कहूँगा कि उनकी यह हेबिट हो गई है। आज उनकी आदत सी बन गई है कि कोई भी बात होगी उसको इमिडिएटली ऑर्डिनेन्स के द्वारा पास करके लेजिस्लेचर में रख कर उसको पास करा लेंगे और कराते हैं और एप्रूवल करा लेते हैं।

So that constitutionally it may be right. वे हर एक बात में ऑर्डिनेन्स पास कर देते हैं। इसका पब्लिक में बहुत असर पड़ता है और पब्लिक यह सोचती है कि एग्जिक्यूटिव जो चाहे कर सकती है। It is a rule of thumb instead of Rule of Law जैसा मर्जी में चाहा उसके लिये सरकार ऑर्डिनेन्स निकाल देती है और बाद में लेजिस्लेचर के सामने एमेन्डमेंट पेश करके उसको पास करा लेती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ऑर्डिनेन्स पास करते समय उन्होंने लिखा था Reperesentations were received by the Government. मैं यह जानना चाहूँगा कि यह रिप्रेजेन्टेशन कब मिला था ? On what date it came to the Government ? और कब गवर्नमेंट ने उसपर विचार किया और कौनसी तारीख को सरकार ने इस बात का फैसला किया कि उनको ऑर्डिनेन्स पास करना है ? यह क्या इतना जरूरी था कि कोई निधि गायब हो जाती ? क्या सरकम्स्टेन्सेज थी जिसके कारण यह ऑर्डिनेन्स पास किया गया, माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह डूंगरपुर रावलजी की पर्सनल, प्रोपर्टी में तो नही है ?

श्री उपाध्यक्ष : That will be included in the reply of the Hon,ble Minister.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अगर हो जाती हैं तो फिर...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

पहले जो ट्रस्ट एक्ट पास किया उस समय हमने काफी वाद-विवाद किया था और यह निर्णय किया था कि जो देवस्थान और मन्दिरों की संस्थाएं हैं उनके लिये ट्रस्ट कायम करने चाहिए और उस समय यह निर्णय किया गया था कि जहां तक राजस्थान सरकार का देवस्थान के मामलों से सम्बन्ध है सरकार उनमें इन्टरफियरेंस करना नहीं चाहती। जब आप १६४८ में बताते हैं कि १५ दिन पहले महारावल ने ऐसा विधान बनाया और ट्रस्ट कायम किया तो आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद एक बात जरूरी है कि जब आपने मुकदमा किया और हाईकोर्ट तक आपने मुकदमा लड़ा और उसमें राजस्थान सरकार नाकामयाब रही और उसके बाद भी शिकायत होने के बाद ५ वर्ष तक एक बार भी इस पर एक भी बिल क्यों नहीं पेश किया गया और उसका क्या कारण है? पहले पहल जब महारावल हाई कोर्ट में लड़े सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन मिली या नहीं लेकिन राजस्थान सरकार आगे तक लड़ चुकी है। उस समय तक राजस्थान सरकार ने किस कारण से इस बिल को जो ट्रस्ट बिल बना उस समय रीपील क्यों नहीं किया? जब यह १६४८ में मौजूद था तो उसको रीपील करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अगर कोई रिप्रेजेन्टेशन हुआ है जिसका अभी हमारे सामने स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। मगर सेक्सन ६२ सी. पी. सी. की कार्यवाही क्यों नहीं की और उसके अन्तर्गत प्रोपर्टी पर कब्जा क्यों नहीं किया जो किया जा सकता है?

तीसरी बात उन्होंने यह नहीं बताई कि किसी की ज्यादती थी। कौन दुरुपयोग करता है प्रोपर्टी का? महारावल करते हैं या उनके काम करनेवाले या ट्रस्टी हैं वे दुरुपयोग करते हैं? और आज भी इस बिल में महारावल के काम करनेवाले सदस्य हैं और ५ गवर्नमेंट के सदस्य मुकर्रर किये जा सकते हैं। तो इस बिल में आपने तीन बातें रखी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो पहले ट्रस्ट एक्ट बना उस समय इसको रीपील क्यों नहीं किया? दूसरा रिप्रेजेन्टेशन कब किया गया और तीसरी बात यह है कि जब आप हाईकोर्ट में लड़ चुके तो उसके बाद भी आप यह क्यों करना चाहते हैं? क्या रिप्रेजेन्टेशन हाई कोर्ट के फैसले के बाद में आया या पहले? इन सारी बातों का उत्तर देने के बाद इसको कन्सीड्रेशन में लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to please reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमी हो रही है। उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि इस बिल को एमेन्ड क्यों किया जा रहा है और इसकी क्यों आवश्यकता हुई। जो बिल डूंगरपुर स्टेट का है उसको अगर माननीय सदस्य देखें तो उनको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे प्रोविजन्स हैं जो मौजूदा समय में रहने नहीं चाहिये और रह नहीं सकते। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोविजन्स हैं जो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि सेक्शन ४ में लिखा है :

"A trust to be known as "Shri Lakshman Devasthan Nidhi" hereinafter referred to as "Devasthan Nidhi" is hereby established as a corporation with a seal of its own"

और सेक्शन ५ में सारे के सारे पावर्स हैं वे महारावल में वेस्ट होंगे।

"......and all property and funds appertaining thereto are hereby declared to be vested in His Highness the Maharaval of Dungarpur State hereinafter referred to as 'His Highness' for proper management, administration......"

यह एक अजब मखौल है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने ट्रस्ट कायम किया है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सारे पॉवर्स महारावल में रहेंगे। देवस्थानवाले निधि बनावें और पावर्स सब महारावल में रहें। ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन्स हैं जो आज के सरकमस्टेन्सेज में रह नहीं सकते। आगे के क्लॉज टैक्स वगैरा माफ करने के हैं। वे माफ नहीं कर सकते। टैक्स आज हम भी माफ नहीं कर सकते। सेन्ट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है और आज हम उनको रख नहीं सकते। तो आज इस अमेन्डमेन्ट का कारण बहुत साफ है कि कॉन्स्टेन्ट प्रोविजन्स हैं उनको ठीक करना है और अनफैटर्ड पावर्स किसी एक को नहीं दिए जा सकते हैं। इस कारण से भी यह बिल लाना आवश्यक था। हमें ट्रस्ट के पावर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा। महारावल को अनफेटर्ड पावर्स हैं। यह कोई महारावल का पर्सनल टेम्पल नहीं था। इसको एक ट्रस्ट मेनेज करता था। उन्होंने इसकी सारी सम्पत्ति को अपने में स्वेट करली। and he became the sole manager of the property without any Supervisory Control from the Government.

इसलिए जरूरत पड़ी कि कम से रेगुलेट करें कि बोर्ड ऑफ ट्रीज के अन्दर पावर्स वेस्ट हों, नियमानुसार उसका संचालन करें और उसी के लिए इस बिल के द्वारा सरकार ने अधिकार लिए हैं। महारावल को इसमें अध्यक्ष रखा गया है लेकिन उनके अधिकारों का कानून कायदे और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रेगुलेट किया जाना है।

पाली से आये माननीय सदस्य ने दो चार सवाल इस सम्बन्ध में पूछे। मैं उनके सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता इसलिए कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स बिल्कुल साफ हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि यह क्यों कर डिस्प्यूट अराइज हुआ? यदि उनको इसकी हिस्ट्री मालूम होती तो उनको यह कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब फोर्मर राजस्थान बना तो उस समय यह स्थिति बनी। फोर्मर राजस्थान बना उससे पहले ही उन्होंने टेम्पल की तमाम निधि को अपने में वेस्ट कर लिया और जब फोर्मर राजस्थान को हेंड-ओवर किया तो इसके अन्तर्गत माफी, जागीर आदि को उन्होंने हेंड-ओवर नहीं किया। इसके इन्टरप्रिटेशन पर झगड़ा हुआ। महारावल ऑफ डूंगरपुर की जगह राजप्रमुख लिखा जाना चाहिये था। उन्होंने उसको माना नहीं। वे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खुद ही हाई कोर्ट में गए। बाद में इन्सीडेन्ट्स हुए। जितने जागीर और लैंड होल्डर्स हैं उनकी सेन्कसन का सवाल आता है। उसके लिए हमने लॉ बना रखा है लेकिन महारावल डूंगरपुर यह कहते हैं कि सोल राइट उनका है। जितनी ग्रान्ट वगैरा हैं, जितने इसके अन्तर्गत अखाड़े वगैरा इन्स्टिट्यूशन्स हैं, वे यह क्लेम करते हैं सारे राइट्स उनके हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को यह फैसला करना पड़ा कि इसको रेगुलेट किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही लागू हो चुका था फिर इतने साल तक क्यों चुप रहे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not here subject to the cross-examination. It is not a proper method. I had just said that the dispute arose from 1948. We always disputed this authority. We went to settle these things by mutual adjustments. He went to High Court. Because the judgement of the High Court was such that we should bring in conformity with Constitution and it is therefore......

श्री मूलचन्द डागा : It will take years.

श्री दामोदरलाल व्यास : It may take 19 years we have to bring the law in consultation with them. It is a Bill on which the President's assent is there. I can assure the Hon-ble members that......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जानकारी यह करनी है कि राजस्थान सरकार ने पब्लिक ट्रस्ट बिल बना दिया तो फिर ऐसी इन्स्टिट्यूशन्स को रजिस्टर्ड करा के काम क्यों नहीं कराया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a simple Act. we are amending it, we are not repealing it. The provisions unless amended will operate.

माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था कि उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में तो यह दर्ज नहीं है? दर्ज नहीं है। एक तरह से पर्सनल प्रोपर्टी बन जाती है, सारा मेनेजमेन्ट का राइट उनमें वेस्ट हो जाता है इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिए लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि अमेन्डमेन्ट बिल, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ और ३ स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २ और ३ स्वीकार किये।

क्लॉज ४

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, चौथा क्लॉज पूरा ही ले लूँ ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरा ले लीजिये और संक्षेप में ले लीजिये।

डॉ॰ बहादुरसिंह : मेरे संशोधन हैं वे इस प्रकार से है कि क्लॉज ४ सेक्सन ७ है उसका एक का एक । एक तो महारावल होगा, दूसरा उसके साथ हिज रिप्रेजेन्टेटिव। महारावल चाहें तो उसका प्रतिनिधि भी उसके साथ में हो। दूसरा है 'ओमिट पार्ट ४ (६)'

'One person to be nominated by the Maharaval of the Covenanting State of Dungarpur.

एक तो वे स्वयं होंगे और दूसरा उनका प्रतिनिधि होगा। हम देवस्थान निधि की व्यवस्था करने जा रहे हैं। महारावल खुद पावर्स लिये बैठे थे। एक सदस्य आप खुद हो जायेंगे दूसरा नोमिनेटेड हो जाय, सेक्रेटरी भी उनका हो जाय। जैसा सदस्यों को ऐतराज था कि महारावल के पावर्स छीन लिये जायं। मेरा यह ऐतराज है कि उनको और अधिक अधिकार दे दिये। महारावल खुद तो हैं ही, नोमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनको नोमिनेट किया जाय उनको महारावल क्यों, वहां की जनता ही नोमिनेट करे। महारावल स्वयं आवें या उनका कोई रिप्रेजेन्टेटिव आवे, वे स्वयं भी हो और फिर उनका नोमिनेटेड आदमी हो। यह तो कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। इसका विरोध करते हुये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पूरे के पूरे अमेन्डमेंन्ट्स को स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि देवस्थान निधि की व्यवस्था हो सके। मेम्बर मिल कर प्रेसिडेन्ट को चुन लें, यह तरीका होना चाहिये न कि एक्ट में एक प्रोविजन कर दिया जाय कि महारावल खुद नोमिनेट कर दें। इसलिए होल क्लॉज को हटा देना चाहिए। महारावल अगर नहीं आना चाहते हैं तो वे अपने व्यक्ति को नोमिनेट कर दें। आना चाहें तो वे स्वयं आवें।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के अमेंन्डमेन्ट नं० १ का सवाल है देवस्थान निधि एक्ट डूंगरपुर की स्कीम को वैसी की वैसी रखी है और उसमें रद्दोबदल नहीं किया है। वह ट्रस्ट उनके द्वारा ही क्रियेट किया गया था। पावर्स कितने ही वेस्ट कर लिए हों उनको रेगुलेट करने के लिए ही यह बिल ला रहे हैं। उनको प्रेसिडेन्ट नहीं रखा जाय यह अमेंन्डमेन्ट तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

१ म०प०

आपको यदि नोमीनेशन क्लॉज पर बहुत ऐतराज हो तो मैं उसको मन्जूर कर सकता हूं। हाउस चाहे तो मुझे इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है कि नोमीनेशन के पावर्स न दिये जांय। इसलिये आपने जो अमेन्डमेन्ट सब-क्लॉज ६ क्लॉज १ में रखा है उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया उसके अलावा

(डॉ० बहादुरसिंह)

जितने और मेरे संशोधन हैं उनको वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि डॉ० बहादुरसिंह को Add the words "or his representative" इन संशोधनों को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि Part (vi) के अन्तर्गत 'Omit the whole Part' इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५, ६, व ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५, ६, व ७ स्वीकार की गई।

क्लॉज ८

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें एक छोटा सा संशोधन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह इस प्रकार 'other than an ex-officio membrs' इन शब्दों को हटाने के लिए है। कोई भी मेम्बर हो चाहे वह गवर्नमेन्ट द्वारा ही नोमीनेटेड क्यों न हो अगर वह निधि के अन्दर किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि उसको हटा दे। यह बड़ा महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट है। आशा है मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर एक्सःऑफिसियो मेम्बर रखा गया है वह जरूरी है। नोमीनेटेड मेम्बर के लिए रखना जरूरी है। ऑफिसर कोई एक नहीं होगा। आज कोई है तो कल दूसरा हो सकता है। इसके लिये यह रखना जरूरी है और आवश्यक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज ८ पर जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ स्वीकार की गई।

क्लॉज १०

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज का सब सेक्सन (२) है वह बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन...

"The Secretary of the Davasthan Nidhi Shall be appointed by the State Government in consultation with the President of the Nidhi". इसमें 'Presidnt of the ये शब्द हटाकर इसकी जगह 'Devasthan', शब्द जोड़ दिये जांय। मेरा यह निवेदन है कि नोमीनेशन का जहां तक सवाल है वह सारी निधि की राय से होना चाहिए न कि प्रेसीडेन्ट की मर्जी से। मान लीजिए किसी ऑफिसर को प्रेसीडेन्ड रखना चाहे और वह गवर्नमेंट को मर्जी का न हो तो वह प्रेसीडेन्ट के साथ तालमेल बैठा कर निधि में घोटाला कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेन्ट जिसको रखना चाहे और वह प्रेसीडेन्ट की मर्जी का न हो तो वह उसको कन्सीडरेशन नहीं देगा। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि 'प्रेसीडेन्ट ऑफ दी' की जगह 'देवस्थान निधि' होना चाहिए। अकेले प्रेसीडेन्ट की राय सही नहीं मानी जानी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : (देवस्थान मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोवीजन है वह साफ है अपोइन्टमेन्ट के पूरे पावर्स गवर्नमेन्ट को हैं सिर्फ प्रेसीडेन्ट से कन्सल्ट का प्रोवीजन इसमें है। प्रेसीडेन्ट की राय को माना ही जाय यह कम्पलसरी नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसा सेक्रेटरी हो जो प्रेसीडेन्ट के साथ तालमेल बैठाकर निधि का कार्य ठीक प्रकार से चला सके। सिर्फ प्रेसीडेन्ट को कन्सल्ट करने का प्रोवीजन है। किसी अयोग्य व्यक्ति के लिए वे इनसिस्ट करें तो

It is not necessary to act on his advise. We may refuse to act on that.

कन्सलटेशन करना लाज़िमी है उसको मानना लाज़िमी नहीं है।

We consult so many officers but it is not necessary that we act on their advise. If it is not proper we may not act upon that.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने क्लॉज १० में रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत मैं सदन से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है इनको संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १० स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ से १४ तक स्वीकार किये जांय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज १३ पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ और १२ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ व १२ स्वीकार की गई।

क्लॉज १३.

श्री दयाकृष्ण विजय

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १३ जो हमारे सामने है उसको पढ़ने से ऐसा मालूम देता है कि यह क्लॉज सेल्फ कन्टाडिक्टरी है। हम एक ट्रस्ट बनाते हैं। इस एक्ट के तहत निधि बनायी जावेगी देवस्थान निधि के नाम से। इसके अन्दर डेफीनेट रूप से कुछ व्यक्तियों को रखा गया है दूसरे व्यक्तियों को नहीं रखा गया है। इसके अनुसार प्रेसीडेन्ट ऑफ निधि हमेशा महारावल होंगे और उसके अन्तर्गत मन्दिरों के जो दो, तीन महन्त रखे गये हैं वे भी उसी प्रकार रहेंगे और एक नोमीनेटेड मेम्बर महारावल द्वारा होगा वह भी रहेगा। इस तरह सेछ आदमी स्थाई रूप से रहनेवाले हैं। यह उनके अधिकार में है कि वे चाहें तो देवस्थान निधि का रोजाना बिगाड़ करें या कुछ भी करें। इन छ आदमियों को कोई हटा नहीं सकता। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इन छ आदमियों के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। धारा ४ के अन्तर्गत हम एक बॉडी को फोर्म करना चाहते हैं। उसमें महारावल और छ आदमी शामिल हैं वे उस कमेटी के अन्दर आयेंगे। इस धारा से यह हो सकता है और महारावल को यह अधिकार दिया गया है कि वे निधि को चलायें। लेकिन जो सुपरसेसन की धारा रखी है उसके अन्तर्गत आप सुपर-सीड करके किसी आदमी के हाथ में any person he may be उसके हाथ में इस निधि को दे सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। आप ऐसे व्यक्ति को भी रख सकते हैं जिसका विश्वास 'देवस्थान निधि' में न हो। उसकी श्रद्धा उसमें नहीं रहेगी तो इसकी व्यवस्था में गड़बड़ होती रहेगी।

तो आप यहां पर किसी प्रकार की क्वा-लिफिकेशन रखिये। गवर्नमेंट ऑफिसियल रखने हैं तो क्लेक्टर, कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट जज आदि इस तरह से पद का उल्लेख कीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्था में गड़बड़ी का अन्देशा रहेगा। किन्हीं व्य-क्तियों को आप रखते हैं तो ऐसा करिये कि अगर उनके खिलाफ गबन, मिस एप्रोप्रि-येशन आदि के अभियोग या चार्जेज पाये जावें और साबित हो जावें तो उनको फिर

Page No.52

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कभी नहीं रखा जावेगा। तब तो बात फिर भी कुछ समझ में आ सकती है। पर इन छ व्यक्तियोंको रखना जरूरी समझा जावे और ये छ आदमी तो बंधे हुए ही हों तो यह समझ में नहीं आती बात। यह एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध जाती है।

धारा ८ जो पास कर चुके हैं उसमें एक्स ऑफिसियो मेम्बर के बारे में विचार है। पर जो व्यक्ति हमेशा के लिए नोमिनेटेड हैं वे अगर गड़बड़ी करते हैं तो इस तरह का प्रोविजन रहते वे अगर गड़बड़ी करते हैं तो फिर किस पावर के तहत उनको निकालेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की धारा रखते हैं पर इसका उपयोग नहीं हो पावेगा। उपयोग कैसे करेंगे, यह समझ में नहीं आता? तो यह एक सैल्फ कण्ट्राडिक्टरी धारा है। या तो इसको हटा देना चाहिये या सरकार अपनी तरफ से इस तरह का अमेन्डमेंट लाकर अमेन्ड करके रखे वर्ना इसको रखने का कोई मकसद नहीं है। रख भी दिया तो इसका गलत उपयोग होगा क्योंकि वे तो सोचेंगे कि हम कुछ भी करें, चाहे मिस एप्रोप्रियेशन करें, गड़बड़ी करें और चाहे मन्दिर की सारी व्यवस्था को ही समाप्त कर दें, कितना भी गबन करें और घोटाले करें हम छ को तो उनको रखना ही पड़ेगा, हटा नहीं सकेंगे। वे हमेशा करप्शन करेंगे और रहेंगे। अब कलेक्टर को अगर आप उनको सुपरसीड करके दूसरों को रखने का अधिकार देते हैं तो आगे व्यवस्था ठीक चल सकती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को आज लिया जावेगा इसका नोटिस कल दस बजे मिला था हमको। मैंने सुबह अमेन्डमेन्ट भी दिया था इस सम्बन्ध में I received it that the Bill will be taken up today.

श्री उपाध्यक्ष: You received it yesterday before the House commenced.

श्री पी० के० चौधरी; कल दस बजे मिला था। I gave. I could not give my amendments yesterday.

श्री पी० के० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि ११ की कमेटी है और ७ का कोरम रखा है। सो मैंने ५ का रखा है Under the circumstances, I may be allowed to put it. I am very particular about some clauses.

श्री उपाध्यक्ष: For which Clause you are particular?

श्री पी०के० चौधरी: For Clause 10.

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): We have passed it.

श्री पी० के० चौधरी: we can take it again if it is...

श्री उपाध्यक्ष: You are speaking about clause 10 which we have already passed.

श्री पी० के० चौधरी: I am pointing it to you.

श्री उपाध्यक्ष: How is it possible now?

श्री पी० के० चौधरी : ऐसा प्रसीडेन्ट है कि if the proceeding is moving... If the Minister who is moving the Bill can take. These are minor adjusiutments. आपने ११ की कमेटी में ७ का कोरम रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : What is their suggestion ?

श्र पी० के० चौधरी : Any 7 members from the' Devasthan Nidhi' shall form the quorvm.

कोरम युजुअली वन-थर्ड रखते हैं। ११ आदमी हैं तो सात आदमियों का प्रेजेन्ट होना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट रखा था। ११ का वन-थर्ड ४ होता है पर फिर भी पांच रख लें। यह मेरा अमेन्डमेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री) : We have now passed on to Section 13.

श्री उपाध्यक्ष : If the suggestion of the Hon'ble Member is substantive one them we may again revise it.

श्री पी० के० चौधरी: Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : (I don't want to reduce it to 5.

श्री पी० के० चौधरी: But you cannot see it anywhere such a number of quorum. सात का कोरम कहीं भी नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: Well, Mr. Chaudhary it is not accep'able to him. So we go ahead.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): On a Point Of Order, Sir. Two Hon'ble Members who were or4ered to with draw from the House according to the Rules cannot be permitted to sit in the House to day......

श्री उपाध्यक्ष : Are they present in the House ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : They are sitting in the House.

श्री उपाध्यक्ष : I may invite attention of the Hon'ble Members to Rule 289 cf the Rules of Procedure they in the House ?

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a Point of Order...

श्री उपाध्यक्ष : What is that Point of Order ? The rule is like this :—

" Withdrawal of Member-The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent

(श्री उपाध्यक्ष)

himself during the remainder of the of the days' sitting."

I recollect and I am correct when I say that the Hon'ble Members were asked to withdraw and accordingly they withdrew from the House. There fore under the rules that I have just stated before the House, they will please remain absent from the House for the remainder of the days' sitting.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आपने जो बाहर जाने के लिए मेरे से कहा था.......

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : There is no "Nive dan'. The Rules have to be strictly adhered to.

श्री गिरधारीलाल : प्रोसीडिंग्स देख ली जावे, मैंने वाक आउट किया है, न कि.... आपने पहले जब कहा था तो वाक आउट किया था।

श्री उपाध्यक्ष : Before you submitted any thing to to the House, I had made my observation that you are to withdraw and I think, I am correct so far as my observations are concerned.

श्री गिरधारीलाल : वाक आउट किया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : You will not refer to any issue and I am correct. You are to withdraw.

श्री गिरधारीलाल : प्रोसीडिंग्स देख ली जावे। मेरा यह निवेदन है कि वाक आउट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : When I say it is correct.

श्री गिरधारीलाल : मुझे निकाला नहीं गया है....

श्री उपाध्यक्ष : I have aight even to correct the proceedings.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble members were asked to withdraw and they had withdrawn and after that they haveagain entered in the House. So they are the intruders for this House and...

श्री उपाध्यक्ष : I understand the sense of the House. I will again suggest the Hon'ble members to adhere to the Rules.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अगर आपने हुक्म किया और वे बाहर चले गये। अगर रिक्वेस्ट करें कि अब बाकी के समय के लिए सदन उनको अलाऊ कर दे तो आप अलाऊ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : I would like it but the Rules don't permit.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : You can relax the rules.

श्री गिरधारीलाल : वाक आऊट करने के बाद भी नहीं आ सकते तब तो हम चले जाते हैं।

(श्री गिरधारीलाल सदन से बाहर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष : Then there is an option for the Members. They will first withdraw from the House and then they will convey this message to the House through some other member and we will consider the relaxation of the Rules.

श्री लच्छूराम (मंड़ावा) : तो हम चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, हमने तो वाक आऊट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Well you have no right to address the House. Please withdraw. Please you will withdraw I fail to recognise you.

श्री लच्छूराम : मैंने तो वाक आऊट कियाहै ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर चले जावें । इसके बाद सदन आपकी स्थिति पर विचार कर सकेगा। आप अब सदन से बाहर चले जावें ।

श्री लच्छूराम : हमने तो वाक आऊट किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : इन लोगों में आपने एक आदमी के लिए कहा था दो के लिए नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों के लिए कहा था। समय ज्यादा नहीं हुआ है। I perfectly recollect.

श्री मुरलीधर व्यास : दोनों के लिए भी मान लें तो उन्होंने उस समय विड्रा नहीं किया था। उन्होंने तो इसके बाद में.......

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, I perfectly recollect. I will request you please not to convess the Ruling. I perfectly recollect. हाउस आपके प्रश्न पर विचार करना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बाहर रह जावें। That is a question of formality.

श्री पी. के. चौधरी : You asked to withdraw both the Hon'ble members.

श्री उपाध्यक्ष : Please withdraw yourself.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक लच्छूरामजी का प्रश्न था विड्रा किया था और गिरधारीलालजी के लिए कहा था कि सदन से बाहर चले जावें।

श्री उपाध्यक्ष : जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशन्स का सम्बन्ध है मैं भली प्रकार जानता हूं कि मैंने क्या ओब्जर्वेशन्स दिये हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

इसलिए कनवेस नहीं किया जाये ।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं और प्रोसीडिंग्स में मौजूद है पहले उसको देख लेना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा पहले मैंने निवेदन किया है कि यह रूल्स आपके द्वारा निर्मित हैं और मैं यह चाहता हूँ कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । प्रोसीडिंग्स को देखने का सवाल तो उस समय होता है जब मैं रीकलेक्ट नहीं करता । उस समय दोनों के लिए ही यह आदेश दिये थे कि माननीय सदस्य सदन से विड्रा करें और उसके अनुसार ही विड्रा किया गया । उसके उपरान्त भी यदि प्रोसीडिंग्स में ऐसी कोई बात है जो मेरे आदेशों के विरुद्ध या उनसे अलग हैं तो प्रोसीडिंग्स को भी करेक्ट करने की शक्ति मुझ में सन्निहित है और वह मुझे सदन ने प्रदान की है ।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बार बार अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय को प्रेस कर रहे हैं । मैं आपको यहां नहीं मानता हूं अतः आप कृपा करके बाहर चले जायें ।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, .

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please. Otherwise I will have to take serious steps. Please withdraw yourself.

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : I must put this question before the House now यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । मैंने माननीय सदस्य को बाहर जाने के लिए ३ मर्तबा निवेदन कर दिया है अब मैं सदन की इजाजत से I am taking the other step. (pause)

Sergeant-at-Arms.........

(श्री लच्छूराम सदन से बाहर चले जाते हैं)

समय १—२१ म.प.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) :

I move that the Rules may be suspended as they have obeyed the orders.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रूल २८६ में जहाँ तक माननीय सदस्यों को वापिस अन्दर बुलाने का प्रश्न है उस सीमा तक सस्पेंड किया जाकर उनको वापिस सदन में बैठने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री गिरधारीलाल व श्री लच्छूराम को सदन में उपस्थित हो सकने की आज्ञा प्रदान की गई ।)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन यह करना था कि आपने फरमाया था कि प्रोसीडिंग्स देखी जाये तो मैं कहता हूं कि दो सदस्यों में से श्री लच्छूरामजी

(श्री मदनसिंह)

नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट यह कहा था कि मैं वाक आउट करता हूँ। वे कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर उसी के कारण ऐसा है तो ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त हो चुका है। यदि प्रोसीडिंग्स में नहीं होगा तो मैं उसमें दर्ज करा दूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्लॉज १३ पर जो आपत्ति प्रस्तुत की उसके बारे में कि इसमें सुपरसेशन की पावर्स गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए और उनका ख्याल यह है कि अगर एक बार सुपरसीड कर दिया तो उसके बाद में जो बोर्ड दुबारा कॉन्सटिट्यूट होगा समें फिर वही मेम्बर आ जायेंगे। आप इस सेक्शन को देखेंगे तो इसमें यह है "If in the opinion of the State Government the Devasthan Nidhi is guilty of gross mismanagement of the affairs of the shrines, temples and institutions to which the provisions of this Act apply or neglect in the performance of its functions, the State Government may superede the Nidhi and may appoint any person or persons with full powers of the Nidhi until a new Nidhi is constituted in accordance with the provisions of this Act." तो जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस बिल का जो ओरीजिनल एक्ट है उसमें जो प्रेसीडेन्ट के पावर्स हैं केवल उन्हीं को रेग्युलेट किया गया है। अब सुपरसीड की पावर्स इसलिए लेना जरूरी है कि कहीं मिस मेनेजमेंट हो या फिर गवर्नमेन्ट जो वक्त वक्त पर ऑर्डर्स दें उनको नेग्लेक्ट करे तो We can supersede it. इसलिए जब तक ऐसे लोग रहेंगे कि जिनके ऊपर इस प्रकार के रहेंगे जैसा माननीय सदस्यों का ख्याल है कि कोई डिसक्वालिफिकेशन रखता होगा तो then of course amendment of the law would be made in the proper time. अभी जो स्कीम है उसको हमने चेन्ज नहीं किया है इसलिए जहां तक वह है उस समय तक सुपरसेशन की पावर्स रहनी चाहिए और इस बात की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट जब प्रोपर टाईम समझेगी उसको चेन्ज कर देगी....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a Point of clarification, Sir,...... वह प्रोपर टाईम कब आयेगा, कब अमेंड करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह दिया कि अमेन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के सुपरसीड करने की पावर्स लेने में कोई खतरा नहीं है। वह खतरे का मौका नहीं आयेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : खतरे का मौका आयेगा। आपने आगे लिखा है प्रोविजन्स ऑफ दिस एक्ट के अन्दर कि ६ आदमी तो वहीं के वह रहेंगे। वे चाहे जितना करप्शन करें। ज्यादा से ज्यादा इतना आप करदें कि हमेशा के लिए उनको आउट कर दें। और सारी सत्ता गवर्नमेंट के ही आदमियों के हाथ में दे दें। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है।

Page No.58

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १४, १५, १६ और १७ स्वीकार किये जायें....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्लॉज १५ पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १४ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ स्वीकार किया गया।

क्लॉज १५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५ के अनुसार Omission of Sections 17, 18 and 19 to the Dungarpur State Act. के अन्दर डूंगरपुर स्टेट का जो एक्ट था उसकी धारा १७, १८, और १६ हैं उनको पढ़िये। उनको आप वापिस इस विधेयक के द्वारा अमेंड कर रहे हैं। इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है, यह मैं बताऊँगा आप देखिए पहले इसमें धारा १७ इस प्रकार से है : "No religious or charitable trust in the Dungarpur State shall be extinguished."

धारा १८ इस प्रकार है : "No such religiovs or charitable trust or any property or funds thereof shall be taxed."

तथा धारा १६ है :

"The present Bijai Dharma Sabha' shall cease to exercise its jurisdiction over the shrines, temples religious and charitable institutions, properties and funds described in Schedule I. "

तो इस प्रकार की जो ३ धाराएं थी जिनमें पुराने एक्ट में रेस्ट्रिक्शन्स लगाई थी कि डूंगरपुर स्टेट के जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं वे समाप्त नहीं होंगे, कोई भी सरकार अगर चाहे तो उसको समाप्त नहीं कर सकेगी। इसी प्रकार से दूसरा है : "No such religious or charitable trust or any property or funds thereof shall be taxed."

इसके अन्दर माननीय मंत्रीजी को कौनसी आपत्ति है ? अगर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहां पर कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है, कोई फण्ड है, कोई प्रोपर्टी है उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की थी। आज सरकार चाहती है कि इन संस्थाओं के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि भारत सेवक समाज का एक ट्रक राजस्थान से पास हुआ था और सरकार ने यह सोच कर कि भारत सेवक समाज संस्था अच्छी है और सरकार उसको मानती थी कि भारत सेवक समाज अच्छी चीज है तो उसके

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ऊपर सरकार ने टैक्स माफ कर दिया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के ऊपर तो टैक्स माफ कर दिया जाता है लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए भूतपूर्व डूंगरपुर स्टेट ने ऐसा कानून बनाया था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन सरकार चाहती है कि इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाने की धारा थी वह समाप्त की जाये और सरकार किसी भी प्रोपर्टी के ऊपर टैक्स लगा सकती है। अब सरकार नई धार्मिक संस्था को स्थापित करना चाहती है :

"The present Bijai Dharma Sabha shall cease to exercise its jurisdiction over the shrines, temples, religious and charitable institutions, properties and funds described in Schedule I."

शिडयूल वन के अन्दर जितनी भी संस्थाएं थी उनके ऊपर विजय धर्म सभा का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से जो निधि बनेगी उनमें झगड़ा होगा और यह व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी इसलिए उस समय जो ट्रस्ट निधि बनी उसकी सारी व्यवस्था अपने पास रखली... लेकिन अब सवाल यह आता है कि यह धारा जो है इसको समाप्त कर दिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि विजय धर्म सभा रिवाइव हो जावेगी, वह फन्क्शन करने लगेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मन्त्री) : श्री विजय धर्म सभा क्या चीज है यह माननीय सदस्य क्या जानते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक संस्था है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है। यह गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट था जिसको कि अब देवस्थान डिपार्टमेंट कहते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसीलिए तो कहता था कि इसको सरक्यूलेट कर दिया जाय ताकि वहां वाले इसको जान सकें। न आप जानते हैं और न मैं जानता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर माननीय सदस्य को मेरी जानकारी में कमी मालूम पड़े तो और पूछ लें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो कौन सी प्रोपर्टी पर टैक्स लगाना चाहते हैं और किसको माफ किया था और कौन सा टैक्स लगाना चाहते हैं, यह भी आप बता दें?

श्री उपाध्यक्ष : Yes shri Damodarlal vyas.

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्सीडरेशन स्टेज में सब क्लॉजेज पर बता चुका हूँ और शायद माननीय सदस्य बाहर चले गये थे वर्ना मैंने खास तौर से इस क्लॉज पर कहा था कि यह इनकॉन्स्टिटेन्ट विद कॉन्स्टीट्यूशन है। इस तरह का प्रोविजन हमारी राज्य सरकार जनरल टैक्सेज से एक्जेम्पट कर दे और पार्लियामेंट एक टैक्स लगाये या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया लगाये तो we can not make this provision.

इस प्रकार का प्रोविजन किसी कानून में नहीं है। जनरल टैक्सेज से एक्जेम्प्ट करने के पावर उसको होते हैं जो रेलीवेन्ट मालूम होता है। लेकिन इसमें हम कहें कि किसी निधि पर टैक्स नहीं लगेगा तो वह कॉन्स्टि-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ट्यूशनली ठीक नहीं है। इसलिए इसको हटाने की आवश्यकता पड़ी।

और विजयधर्म सभा का मैंने बता दिया माननीय सदस्य दरअसल में उसको एक संस्था समझते थे। वह देवस्थान डिपार्टमेंट अर्स्टव्हाइल डूंगरपुर स्टेट का था। जो और प्रोविजन हैं उनमें किसी को और ऐतराज क्या होगा? उनका ऑडिट एग्जामिनेशन लोकल फण्ड ऑर्डर से होगा। उसकी वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रख ही जावेगी। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १६ व १७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज १६ व १७ स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि शिड्यूल स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

शिड्यूल स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ के अन्तर्गत शॉर्ट टाईटल, प्रियम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गए।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि (एमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी डूंगरपुर देवस्थान निधि (एमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१–३१·म० प०

राजस्थान बन्दोबस्त लगान अतीतप्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९५६।

(विचार विमर्श एवं पारण)

राजस्व मन्त्री, (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेटिलमेंट रेन्ट्स रिट्रोसपेक्टिव एप्लीकेशन (वेलीडेशन) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय,

१. ३१, म. प.

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, हमारे सामने राजस्थान सेटलमेन्ट रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वेलीडेशन बिल प्रस्तुत हुआ है। यह विधेयक

Page No.61

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में लिखा है कि भूतपूर्व जोधपुर और जयपुर रियासतों के अन्दर इस प्रकार की कुछ व्यवस्था थी कि सेटलमेंट ऑफिसर जहां पर जो रेट्स तय कर देता था उसके आधार पर वह फाईनल होता था और जिस तारीख से वह तय करता था वह विशेष रूप से अगली फसल थी, उसके सम्बन्ध में। इसके सम्बन्ध में हाईकोर्ट में गवर्नमेंट से जिस प्रकार के कैसेज हुए जोधपुर के अन्दर वह बाद में प्रस्तुत करूंगा। उन कैसेज के अन्दर गवर्नमेंट ने गलती की थी उसके कारण हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के सारे कानून को गलत बताया था। उसको वेलीडेट करने के लिए, गवर्नमेंट की पुरानी गलतियों को ठीक किया जा रहा है। जहां तक इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को मैंने देखा है उसमें हम देखते हैं कि सरकार कि यह कोई अच्छी नीति नहीं है कि किसी पक्ष विशेष को फायदा दिया जा रहा है और किसी को उससे कोई तकलीफ हो। किसी के साथ में इस प्रकार से अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए यह सारा विधेयक नहीं लाया गया है। इसके द्वारा कुछ लोगों को हानि होगी। वह हानि आज नहीं तो भविष्य में जाकर जैसा कि माननीय सदस्य जो कि धौलपुर से आये हैं वे कह रहे थे कि जागीरदारों को नुकसान होगा, जागीरदारों की वकालत हो रही है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आगे जाकर काश्तकारों को नुकसान हो सकता है। रेन्ट रेट्स की बात सारे काश्तकारों के लिए लागू हो सकती है। इस बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को इस प्रकार से केवल इसलिए कि हाईकोर्ट ने आपकी बातों को गलत बताया, उसको वेलीडेट करने के लिए आप यह विधेयक ला रहे हैं, नहीं करना चाहिए....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि काश्तकारों को कैसे नुकसान होगा? जरा बता दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: बताता हूँ। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि—

"Under the laws of some of the Covenanting States of Rajasthan, in particular those of Jaipur and Jodhpur, the ultimate anthority for sanctioning the rent-rate proposals of the Settlement Officer vested in the State Government, but the laws of these Units empowered the Settlement Officer to direct, for any reasons, that the rent fixed by him shall be payable from some date earlier than the commencement of the next Agricultural year. Although the Superior authority is deemed to have, inherently, all the powers of his subordinate authorities, no such specific provision existed in the laws of these Covenanting States."

इसके संबध में, सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर एक मुकदमा हुआ था हाईकोर्ट के अन्दर और उसके अन्दर हाईकोर्ट ने यह तय किया या कि इस प्रकार जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं वह सेटलमेंट ऑफिसर एम्पावर्ड है कि किस प्रकार के रेन्ट रेट्स वहां पर तय किये जायं और वहां पर झगड़ा यह

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

था संवत् १२ से तय किया जाय या संवत् १३ से किया जाय। वहां पर एक सेटलमेंट ऑफिसर थे, कहां पर नुकसान हो सकता है और कहां पर फायदा हो सकता है यह बात देखने की है, इस पर्टीक्यूलर केस के अन्दर जो प्रतापसिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान था, उसमें उन्होंने मारवाड़ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कुछ फैसला दिया। उसकी धारा के संबंध में कुछ गड़बड़ी हुई। वह मामला वहाँ पर इस प्रकार का था कि सेटलमेंट ऑफिसर ने यह तय कर दिया था कि यहां पर रेन्ट रेटस संवत् २०१३ से लागू किये जाय क्योंकि सेटलमेंट ऑपरेशन वहां पर संवत् २०१२ में हो गये थे। उसकी जो इस तरह की सिफारिश थी उसको न मानकर सेटलमेंट कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने संवत् २०१२ में लागू करना चाहा। संवत् २०१२ से लागू करने का अर्थ यह था कि १२ में किस प्रकार की फसल थी यह देखना है। संवत् २०१२ के अन्दर किस प्रकार की थी यह सारी बातें देख कर उन्होंने फैसला दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह तय किया कि मूल एक्ट के अन्दर यह साफ है कि केवल सेटलमेंट आफिसर ने जो रेन्ट रेटस तय कर दिए हैं वे ही माने जा सकते हैं। सुपीरियर ऑथोरिटीज जो तय करती हैं वह नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या सेटेलमेंट कमिश्नर ने जो तय किया था उसको नल एण्ड वॉयड करार दे दिया और सेटलमेंट ऑफिसर ने जो बात तय की थी उसको माना। उसने यह तय किया था कि संवत् २०१३ से रेन्ट रेटस लागू होगी। उसके आधार पर मुआवजा तय किया जाय। इस प्रकार से मुकदमें का फैसला किया गया। और बहुत से इस प्रकार के मामलात थे जिनमें सरकार ने इस प्रकार की बात की थी उन सब बातों के लिए सरकार अब यह नहीं चाहती है कि जो कुछ निर्णय ले लिए हैं वे गलत हैं। जो कुछ राजस्थान हाई कोर्ट ने कानून को देखकर कानूनी बात की है उसकी बात को न देख कर, क्योंकि आपने एक बात तय कर दी थी और उससे सरकार को फायदा होने वाला था, क्योंकि संवत् २०१२ के अन्दर फसल थी वह खराब थी और संवत् २०१२ को बेसिक ईयर मानकर जागीरों का कम्पेन्सेशन दिया जाय तो उनको नुकसान होता है और संवत् १३ में चूंकि फसल अच्छी थी उसको बेसिक ईयर मान कर किया जाय तो उनको फायदा होता, १२ और १३ के झगड़े में क्योंकि सरकार को ज्यादा कमिट करना पड़ता है। यह प्रश्न जागीरदारों का है या काश्तकारों का है उसको न देख कर कानून क्या कहता है यह देखना चाहिए। कानून यह कहता है कि सेटलमेन्ट ऑफिसर ने जो डेट तय की है १ जुलाई वह लागू होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने यह मान लिया है। अब जब हाई कोर्ट ने यह बात मानली है तो किसी का कंपेनसेशन बढ़ जाता है तो उसे बढ़ा हुआ देना चाहिए। यदि सरकार कानूनी गलती करे तो उसे गलती का खमियाजा उठाना चाहिए। यह कानून हमने नहीं बनाया है जोधपुर स्टेट ने बनाया है वर्षों पहले। यह नहीं है कि वर्तमान रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बनाया हो और वे यह समझें कि मैंने इसमें कुछ गलती की है। यदि वे गलती सुधारना चाहें तो हम यह माने कि वे अपनी गलती सुधारना चाहते हैं लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। भूतपूर्व जोधपुर स्टेट ने यह कानून बनाया था उन्होंने गलती की है यह आप नहीं कहना चाहते हैं, केवल यह कहना

Page No.63

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहते हैं कि सेटलमेंट अधिकारी से ऊपर के अधिकारी कोई बात कहदें तो उसे भी सही माना जाय। भूतपूर्व जोधपुर रियासत का ३०,४० वर्ष पुराना यह कानून है। इस कानून को बनाने वालों की मंशा देखी जावे तो इस कानून पर किसी ने कभी ऐतराज नहीं किया और इसके आधार पर किसी ने मुकद्मा लड़ा हो और उसको लाभ हुआ इसलिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस कानून को लागू नहीं कर सकते। आप यह भी नहीं कहते कि आज से इसको बदल दिया जाय। सेटलमेंट ऑफिसर से सेटलमेंट कमिश्नर बड़ा है और रेवेन्यू बोर्ड उससे भी बड़ा है इसलिए उसकी बात को ज्यादा माना जाय यह ठीक है लेकिन आज सरकार यह बात देखती है उस समय की सरकार ने यह उचित नहीं समझा था और यही उचित समझा था कि सेटलमेंट ऑफिसर जो निर्णय कर देता है वह ठीक है। आज सरकार कहती है कि सेटलमेंट ऑफिसर एक छोटा ऑफिसर होता है इसलिए उससे बड़ा ऑफिसर तब्दीली करे तो वह कर सकता है। इस बात को भी हम मान सकते हैं लेकिन यह कब से लागू होना चाहिए यह देखने की बात है। यह आज से लागू होना चाहिए न कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हाई कोर्ट ने भी कहा कि २०१३ ठीक है यह उन्होंने तय कर दिया।

अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट की बात को मान लेना चाहिए या नहीं हम यह कहते हैं कि इसको जरूर मानना चाहिए। भविष्य के लिए आप लागू नहीं करना चाहें तो बात दूसरी है लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव से लागू नहीं करना चाहिए। इसमें यह बात भी नहीं है जैसा कि कल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि हजारों मुकद्मे हैं जिनमें किसी की गाड़ी खोसी जायगी, किसी का परमिट छीना जायगा वही बात इसमें आनेवाली नहीं है। जो कंपेनसेशन तय हो गया है उसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। इस सारी बात को देखते हुए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जैसा कल यातायात मंत्रीजी के कहने पर ऑर्डिनेन्स को वेलिडेट कर दियाथा क्योंकि इससे उनको लाभ था उसी तरह से इसको पास नहीं करावें।

अब सवाल आता है कि आगे के लिये रेन्ट रेट कब से लागू हो। मान लीजिये किसी में रेन्ट रेट कम हुई तो अब मर्जी आवे जैसा करेंगे यह नहीं होना चाहिये। मान लीजिये कम निश्चय हुई थी लेकिन सेटलमेन्ट ऑफिसर के हुक्म से कमी हुई। जिस समय फसल चल रही हो उस समय सेटलमेन्ट होता है। उसके आधार पर रेट तय होती है वह कम तय हो जाती है तो सरकार यह नहीं कह सकती कि कम तय हुई है। यह बात काश्तकारों को फायदा देनेवाली नहीं है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने यह पूछा था कि काश्तकारों को क्या फायदा होगा? जागीरदारों के मुआवजे का जो मामला था वह अधिकांश तय हो गया, सेटलमेन्ट की बात हो गई, अब रेन्ट रेट की बात आयेगी वह जागीरदारों पर असर नहीं डालेगी। लगान की जो दर तय हो वह काश्तकारों पर भविष्य के लिये लागू होनी चाहिये और उनको डेट कौनसी होनी चाहिये यह सोचना है। अगर इससे काश्तकारों को फायदा होनेवाला है तो सरकार कहेगी कि आज से नहीं नेक्स्ट जुलाई से इसको लागू करेंगे और यदि दर बढ़ाने से

Page No.64

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

काश्तकारों पर उल्टा असर पड़ता है तो सरकार कहेगी कि आज से ही तारीख तय करदी जाय और इसे आज से ही लागू कर दिया जाय तो सरकार के हाथ में एक बड़ा हथियार दे रहे हैं इस बिल को वेलिडेट करके। सरकार रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अधिकार लेना चाहती है वह काश्तकारों के लिए घातक होगा जागीरदरों के नामसे लागू करना चाहते हैं तो जागीरदार तो अब समाप्त हो गये ....

श्री भैरोंसिंह (भीमाधोपुर) : जागीरदार समाप्त नहीं हुए बल्कि जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : नये जागीरदार पैदा हो गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद : काश्तकारों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लगाने का अधिकार सरकार को देते हैं तो वह गलत बात होगी। जिस समय सेटलमेन्ट हो उसके फाईनल होने के बाद रेन्ट रेट नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर से लागू होनी चाहिये न कि सरकार की मर्जी हो उस समय से लागू हो। यह गलत बात है। इससे भविष्य में काश्तकारों के साथ न्याय नहीं हो सकता। सरकार के हाथ में काश्तकारों की गर्दन आ जावेगी और सरकार जिस रूप में चाहेगी उसी रूप में मरोड़ कर रखदेगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि यह रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू न हो और भविष्य में काश्तकारों के लिये भी मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह से इसका पूर्ण विरोध करता हुआ कहूंगा कि यह पारित नहीं होना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह, (राजगढ़) : सभापति महोदय, हाई कोर्ट के एक निर्णय की अवहेलना करते हुए सरकार ने कल एक बिल सदन से पास करवाया जिस के द्वारा हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको निरस्त कर दिया गया और जो कुछ सरकार की गलत या सही व्यवस्था थी उसको सही करार देने का बिल सदन ने कल पास कर दिया। उसको पास करते समय सबसे बड़ी दलील यह दी गई थी कि यदि हम इस को वैध नहीं करते हैं तो उन आज्ञाओं का जो हमारी अवैध संस्थाओं ने दी थी उनको वैध नहीं किया जाता है तो संभव है हजारों लोगों को हानि पहुँचेगी और यातायात में अव्यवस्था फैल जायगी, जो कारें चल रही हैं वे बंद हो जायेंगी, जो परमिट मिले हैं वे कैंसिल हो जायेंगे और लोगों में अशान्ति फैलेगी इसलिए उसे वैध करना आवश्यक समझा गया यद्यपि हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था। तो जो सुविधा कीदृष्टि से आवश्यक समझा गया किसी प्रकार से जो कुछ अवैध संस्थाएं बनी हुई थीं उनकी आज्ञाओं को वैध करार देने के लिये सदन ने बिल पास कर दिया। अब उसी प्रकार से हाई कोर्ट ने सरकार के एक हुक्म को जो कि रेन्ट रेट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का था उसको अवैध घोषित किया उसको भी सरकार चाहती है कि हमारे हुक्म को असेम्बली दुवारा वैध घोषित कर दे। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि उसको अवैध कर देने से कोई ऐसी अव्यवस्था होने जा रही है कि जिससे कोई अशांति फैल जायगी और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में भारी गड़बड़ी फैल जायगी यह सोचने की बात है इसको गहराई से सोचा जाय तो सभापति महोदय, इस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो कुछ असर होनेवाला है वह केवल जागीर रिजम्प्सन एक्ट की धारा ६ और ७ पर होने वाला है। जागीर रिजम्प्सन में धारा ६ कहव

(श्री रघुवीरसिंह)

है कि जहां सेटल्ड एरिया है, वहां जागीरदार को मुआवजा सेटल्ड रेट से दिया जायगा। धारा ७ कहती है कि अनसेटल्ड होने की स्थिती में यदि रिजम्प्सन कर लिया तो बंटाई से जो एक्चुअल रेट होती है उस पर मुआवजा दिया जायगा। यह आधार है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता दी जाती है और रेन्ट रेट को रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से स्वीकर नहीं करते हैं और जैसे कि हाई कोर्ट ने इस हुक्म को अवैध माना है वैसे मानें तो क्या हानि होगी। यह विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं कि उसमें फर्क पड़ता है चन्द जागीरों में वहां जिस हिसाब से वसूली की थी उस हिसाब से मुआवजा देना पड़ेगा। सम्भव है कि किसी शक्ल में मुआवजे में कमी हो अथवा कुछ अधिक हो। इतना ही असर पड़ता है। इससे पब्लिक पर असर नहीं पड़ता है। क्योंकि काश्तकारों से जागीरदारों ने नवम्बर, दिसम्बर में वसूली कर ली थी जब कि रेन्ट रेट की घोषणा मार्च अप्रेल में हुई है जो बाकी वसूली थी वह जागीरदार बसूल कर चुके हैं। इसलिए काश्तकारों और जागीरदारों के सम्बन्ध में उसमें अन्तर नहीं पड़ता। जागीरदारों को काश्तकारों से जो लेना था वह वे ले चुके हैं और अब वैध करने से, रिट्रोस्पेक्टीव अफेक्ट देने से न काश्तकार से दबा करके ले सकते हैं और न जागीरदार अब दे सकता है। अब वसूली का सवाल नहीं उठता है अब सवाल यह है कि आया इन जागीरदारों को जिनके यहां पर सेटलमेंट पूरा नहीं हुआ था और सरकार ने जल्दी में आकर जागीर लेली उन जागीरदारों कोमुआवजा सेटल्ड रेट के हिसाब से दिया जायगा या मुआवजा दिया जायगा अनसेटल्ड मानते हुए यानि जो कि उसको एक्चुअली वसूली हुई उसके हिसाब से दिया जायगा, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार हाई कोर्ट की ऑथोरिटी को चैलेंज करे और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है। उसके लिए अगर कहते हैं कि गलत हुक्म दिया है तो उनको चाहिए कि वे अपील करें और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करवा दें। जिस हुक्म को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, उसको सदन से वैध घोषित करवायें, यह ठीक नहीं होगा। इसके लिए कोई दलील नहीं है कि कुछ जागीरदारों को थोड़ा रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। फिर इसके आँकड़े भी नहीं लाये गये हैं कि कितना ज्यादा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जहां नेहरू अवार्ड से पाँच, सात लाख रुपया दे रहे हैं वहां लाख डेढ़ लाख हाई कोर्ट के हुकम से देदें तो क्या मुसीबत आ जायगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी डेमोक्रेसी के आधार हैं मैं समझता हूं इनके सिवाय अन्याय को रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसकी ऑथोरिटी को फ्लाउट करेंगे तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को आप चैलेंज करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। जो आज कानून पास करना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह डेमोक्रेसी की जड़ खोदनेवाला कानून है इसलिए इसको सरकार वापिस ले ले इसी में सरकार की भलाई है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): सभापति महोदय, जो राजस्व मंत्रीजी ने बिल रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। सेलटमेंट के बारे में रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देनेवाला जो बिल

(श्री लक्ष्मीचन्द)

रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने इसे प्रेस्टीज का विषय बना दिया है। जिस सबजेक्ट मैटर में सरकार की गलती को हाई कोर्ट चैलेंज करती है उसको अगर मान लेते हैं कि सरकार की गलती हुई है। तो सरकार को गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है कि हाई कोर्ट के निर्णय को चैंज करने की कोशिश करती है। सरकार मानती है कि यह हमारी प्रेस्टीज का मामला है, जितने मैटर्स में सरकार ने प्रेस्टीज मानी है उनमें हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना है। हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है रिट पर जो कि पेश हुई थी। उसमें मान लिया है कि जागीर का रिजम्प्सन जिस वक्त हुआ था उस वक्त सेटलमेंट डिक्लेअर नहीं हुआ था इसलिए सेटलमेंट रेट से कम्पेन्शन नहीं मिलना चाहिए और वह कम्पेन्सेशन पाने का अधिकारी है लटाई के बेसिस पर। यदि अपको लटाई के बेसिस पर कम्पेन्सेशन नहीं देना था तो उस जगह सेटलमेंट जल्दी पूरे कर देने चाहिए थे जिससे आप इस मुसीबत में न पड़ते। लेकिन पहले रिजम्प्सन कर दिया और उसके बाद सेटलमेंट की रेट के अनुसार २०१३ से पट्टा इश्यू कर दिया और २०१३ में रिजम्प्सन कर दिया। ऐसी हालत में जागीरदार कानून के आधार पर लटाई के आधर पर कम्पेन्सेशन पाने का हकदार है। एक तरफ आप कानून बनाते हैं तो आपको लटाई के बेसिस पर कम्पेन्सेशन देना होगा। अगर लटाई के बेसिस पर कम्पेन्शन नहीं देना था तो रिजम्प्सन नहीं करना चाहिए था। जब रिजम्प्सन कर दिया तो जिन लोगों को नुकसान पहुंचनेवाला था उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली और उसने माना है कि हुक्म गलत था। हमारी सरकार इस फैसले से खुश नहीं होती है तो जो उच्च न्यायालय है वहाँ जाय और संरक्षण ले। यह माना गया है कि जो रिजम्प्सन हुआ है वह रिजम्प्शन अगर उन रेट्स से माना जाय तो कम्पेन्सेशन उस हिसाब से मिलना चाहिए जिस समय सेटेल्ड एरिया नहीं था। अब सरकार के सामने प्रश्न हो गया है कि वह क्या करे? एक बार आप बिना विचारे काम कर चुके हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय। काम बिगड़े आपनो, जगह में होत हँसाय। एक तो आपने बिना विचारे रिजम्प्सन किया और वे लोग हाई कोर्ट में गये हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपकी प्रेस्टीज का विषय बन गया। आज बहु मत की ताकत है हमारी सरकार के पास। उस बहु मत के आधार पर जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है उसको न मानें लेकिन मैं इसको डेमोक्रेसी नहीं मान सकता हूँ यह ओटोक्रेसी होती है। आप अपने मन के माफिक काम करते हैं और फिर इस विधान सभा के जरिये अपने किये हुए कामों की गलती को दुरुस्त करवाने की, नियम बनवाने की बात करते हैं। आपने कल भी ऐसा ही विधेयक पास कराया है। आखिर आप इतनी गलती क्यों करते हैं? मैं समझता हूँ कि यह सोचना चाहिए कि हम गलतियाँ न करें। ऐसा है कि यदि कोई आदमी सोच विचार कर काम करेगा तो इस प्रकार रोजाना बिल पास नहीं करने पड़ेंगे जिससे राजस्थान के बिलों को देख कर लोग आश्चर्य करें..

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अगर सोच विचार कर करने के बाद भी गलती हो जाय तो?

(श्री मूलचन्द डागा)

सोच विचार कर करने के बाद भी यदि गलती हो जाय, एक बार गलती हो जाय तो उसको ठीक किया जा सकता है। गलती एक बार या दो बार हो सकती है पर बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। बारबार जो गलती करते हैं उसको बड़ी भारी गलती कहते हैं। आप बार बार गलती करते जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा बहुमत है हम बार बार गलतियां करेंगे और विधान सभा से दुरुस्त करायेंगे। अच्छी बात है, आप बार बार गलतियां करिये और दुरुस्त करिये। आपकी सरकार है, आपका बहुमत है। पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेग।

हमारे यहां कहावत है कि एक बेटा था। उसको बचपन में ही चोरियाँ करने की आदत पड़ गई। वह रोजाना स्कूल से चोरियां करके घर पर चीजें लाता। कभी स्लेट ले आता तो कभी पेन्सिल ले आता। उसकी मां राजी होती कि मेरा बेटा रोजाना चीजें लाता है। इस तरह करते करते वह एक डाकू बन गया और पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिये तो उसने कहा कि सजा तो मुझे नहीं मेरी मां को मिलनी चाहिये।

तो आज सरकार की गलतियों को विधान सभा रोक सकती है। सरकार द्वारा बार बार गलती भी की जाय और विधान सभा उनको दुरुस्त करती रही तो सरकार की गलतियां करने की हेबिट पड़ जावेगी। सरकार की इस प्रकार की गलतियों को विधान सभा एक बार बर्दाश्त कर सकती है, दो बार बर्दाश्त कर सकती है पर हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकती।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसके उद्देश्यों और कारणों में जो बताया गया है वह बड़ा भ्रमपूर्ण है जो इतना लम्बा चौड़ा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स बताया गया है उसमें बड़े चातुर्य से एक लाईन जोड़ दी है कि इस प्रकार के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसलिये रद्दोबदल करने की आवश्यकता पड़ी।

वैसे हमारी विधान सभा को अधिकार है कि वह चाहे जैसा कानून बना सकती है। पर आदमी को औरत नहीं बना सकती और औरत को आदमी नहीं बना सकती। पर हमारी विधान सभा और यह सरकार एक बार नहीं सैकड़ों बार इस प्रकार के कानून और संशोधन ला चुकी है। हमारी सरकार की इस प्रकार की आदत बन चुकी है कि एक के बाद अनेक प्रकार के संशोधन लाती है। एक कानून पास किया उसके बाद दूसरा पेश किया, फिर उसमें संशोधन लाया गया और सरकार इस प्रकार के संशोधनों पर संशोधन, अनेक प्रकार के संशोधन लाती है। संशोधन लाना बुरा नहीं है पर यह इस बात को प्रकट करता है कि सरकार एक भी कानून ठीक तरह से नहीं बनाती, ठीक प्रकार से अमल नहीं करती और जो ठीक प्रकार से सरकार अमल नहीं करती उस उत्तरदायित्व, उस जिम्मेदारी को

Page No.68

(श्री तनसिंह)

विधान सभा में लाकर उस पर विधान सभा की सील लगवाती है ।

सरकार उस समय चाहती थी कि जागीरें जल्दी से जल्दी रिज्यूम हों । यह तो ठीक होता कि ज्यों ही कानून पास हुआ तत्काल ही जागीरों को रिज्यूम कर लेना चाहिये था पर सरकार उन्हें रिज्यूम नहीं कर सकी क्योंकि तत्काल रिज्यूम करने में बड़ा भारी कम्पेन्सेशन देना पड़ता था, क्योंकि कई जगह सेटलमेन्ट नहीं हुआ था । इसलिए ज्यों ज्यों सेटलमेंट होता गया त्यों त्यों जागीरें रिज्यूम की गई । ऐसा है जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ था उनको कम्पेन्सेशन दिया गया । ऐसा कोई केस नहीं जिसमें कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया पर दुर्भाग्य यह है कि छोटे भू-स्वामियों और राजस्थान सरकार के बीच में इस मुद्दे को लेकर बीच में बहुत सी बातचीत चली पर दुख इस बात का है कि सरकार हमेशा येनकेन प्रकारेण भू-स्वामियों को जो वाजिब हक मिल सकते थे उनसे उन्हें महरूम रखने के दृष्टिकोण से सर्तक रही । राजस्थान सरकार का हमेशा इस बात का प्रयास रहा कि कानून की गलती की वजह से कोई फायदा इन लोगों को मिल गया हो तो केवल वही नहीं लिया जाय बल्कि स्टेट एक्स्चेकर को जो कम्पेन्सेशन कानून से मिलना चाहिए उससे कम देने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह उदाहरण पहला उदाहरण नहीं है । इससे पहले भी कई उदाहरण आ चुके हैं । रिजम्पशन से पहले के एक साल को बेसिक ईयर मान कर सेटलमेंट की रेटस फिक्स करके राजस्थान सरकार ने कम्पेन्सेशन फिक्स किया है पर इस मामले में यह नहीं था । स्थिति यह थी कि सेटलमेंट की रेट्स मुकर्रर की थी उस ही साल सेटलमेंट की रेट्स मुकर्रर हुई और उसी साल रिजम्पशन हुआ । रिजम्पशन से पहले का एक साल बेसिक ईयर माना जाता है और उसी के माफिक कम्पेन्सेशन दिया जाता है । यह जागीर रिज्यूम हुई तो बेसिक ईयर दूसरा पड़ता था इसलिये सेटलमेंट की रेट जो पहले तय हुई वह ठीक नहीं पड़ती थी । सरकार ने चेंज किया । जागीरदार ने सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पेश की और हाई कोर्ट में फैसला सरकार के खिलाफ हुआ । सरकार ने उन फैसलों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया, विधान सभा के ऊपर रख कर नया कानून पेश किया । यह विधेयक उसी लम्बी शृंखला की एक कड़ी है ।

किसी भी नागरिक को हाई कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त करने का हक है । इस प्रकार के कानून पास करके विधान सभा हाई कोर्ट के क्षेत्र को निरस्त और संकुचित करती है और परोक्ष रूप से यह विधान सभा का न्याय के क्षेत्र में हस्तक्षेप है । सरकार को यदि इस फैसले के कारण ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है तो सरकार को हाई कोर्ट के प्रति सम्मान रखना चाहिए । कानून बनाने का अधिकार उनको है । वे बना सकते हैं पर यह कहा जाय कि हम न्याय करना चाहते हैं, हम जनतन्त्रीय परम्परा को निभानेवाले हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जनतन्त्री परम्परा में उन्हें हरएक को अपना हक प्राप्त करने का, न्याय प्राप्त करने का मौका देना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले का पूर्ण सम्मान करना चाहिए ।

यदि यह कानून जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होनेवाला है, पहले जो रेट्स

(श्री तनसिंह)

निश्चित नहीं हुई उस डेट से एक साल पहले ही रेट्स मान ली जायेगी, इसका क्या परिणाम होगा कि ....

(एक माननीय सदस्य को सदन में खड़े २ बातचीत करते देख कर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मिस्टर चेयरमैन, माननीय सदस्य खड़े २ सदन में बात कर रहे हैं, यह असेम्बली है, इसका कुछ डेकोरम रखना चाहिये, में यह निवेदन करूंगा।

श्री तनसिंह : एक व्यक्ति को वकील की राय लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। परिश्रम उठाना पड़ता है। व्यक्ति को परिश्रम होगा। वह हाई कोर्ट में जाकर डिक्री हासिल करे। मैं नहीं समझता कि उस रिट पिटिशन के फैसले की कोई कीमत है। इस तरह के कानून पास करके उस फैसले को निरस्त कर दिया जाता है, उसका क्या अभिप्राय रहा? सरकार सम्पूर्ण रूप से अपने आपको सर्व प्रकार से सशक्त और शक्तिसम्पन्न मान कर विधान सभा को अपनी कार्यवाहियों के लिए और उत्तरदायित्व टालने के लिए उसने साधन मात्र बना रखा है और कानून को अमल में लाने का जो सरकार का उत्तरदायित्व है उससे सरकार दूर चली जाती है और अपने द्वारा किए गये अमल पर मोहर लगाने का विधान सभा को साधन बनाती है। यह जनतन्त्र की परम्पराओं के उपयुक्त नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको वर्क-आउट करना चाहिए कि कितना अन्तर पड़ता है और उसके बाद में इस पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा यह भी देखना है कि केवल हमारे पास यही रास्ता है जिसके जरिये से हम कानून पास करके इसको करें या इसके सिवाय और भी कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो कानून हमारे सामने लाया गया है उसको सोचना और समझना चाहिए और हमें एक सीमा, रेखा बना देनी चाहिए जिससे हम यह निश्चित रूप से कह सकें कि राजस्थान सरकार हमारी विधान सभा में ऐसी बातों के लिए हमारा सहयोग नहीं मांगेगी और सहकारी के रूप में नहीं मांगेगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, इसके बारे में काफी सदस्यों ने अपने विचार विमर्श किए हैं। मैं यह निवेदन करूंगा और देखा जावे तो ऐसे देश काल में और ऐसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लागू करना है तो उसका असर ज्यादातर उन भू-स्वामियों पर पड़ेगा जो बहुत ही छोटे छोटे हैं और जिनकी आमदनी बहुत कम रही है और जिनके मामले अभी तक तय नहीं हो सके हैं। ऐसे प्रश्न को लागू करके अगर कोई भी कृषक के वास्ते कहे, जागीरदार तो अब कोई रहा नहीं है, जागीरदार हैं वे भी अब कृषक हैं और सब कृषक समुदाय है वे भी इसी केटेगरी में आते हैं उनके लिए इस प्रकार की रीलीफ मिलने की चीज जो भी की जावेगी तो हम लोग खुले हृदय के साथ अनुमोदन करेंगे। लेकिन यह विचारने की बात है कि इस प्रकार की चाल है कि जिससे जवाहरलाल जी को एवार्ड है उसको एक तरह से निरस्त करने के लिए यह एक प्रकार का कदम है। रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात जो इस वक्त की जा रही है इसका असर हाई कोर्ट के उस फैसले पर बराबर पड़ेगा जो उस समय उन्होंने दिया था। उनको, गवर्नमेंट को चाहिए था

(रावल श्री नरेंद्रसिंह)

कि उसके निवारण के वास्ते वह सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ती। इन चीजों के लिए वे चाहें तो हरएक प्रकार से काश्तकारों को मदद दे सकते हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से एक छोटे से तबके को इनडाईरेक्टली नुकसान पहुँचाने के लिए जो ऐसा उपाय किया जाता है तो इसका असर बड़ा भारी पड़ेगा। हम समझते हैं कि एसेम्बली में अपने सदस्यों के हिसाब से किसी भी सही या गलत पोइन्ट को गवर्नमेंट पास करा लेगी लेकिन इसका जो विष है वह इस प्रकार से अन्दरूनी फैलेगी, वह बड़ा भयंकर स्थिति पैदा कर देगा। जिसके लिए किसी एक तबके के ऐसे मामलों में थोड़ा बहुत इस बात का प्रश्न आवे कि गवर्नमेंट के इस प्रकार की स्वतन्त्रता के जमाने में रोड़ा समझा जावेगा। लेकिन इसका असर बुरा होगा। पीठ की चोट को दुनिया बर्दाश्त कर सकती है लेकिन पेट की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह पेट की चोट है, बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि दो दफे इस पर वे विचार करके यह प्रश्न उपस्थित करें। ऐसे प्रश्न को उपस्थित करने की कोशिश न करें जिससे गरीबों और छोटे छोटे अनाथों, बच्चों और विधवाओं व १०, १५ या २० रु० की आमदनी के लोगों को भू-स्वामी कहा जा सकता है उनके जीवन मरण का यह प्रश्न हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि वाक्य जाल से गवर्नमेंट इसको किसी प्रकार से उपस्थित करके पास कराने की चेष्टा करेगी। पास भी हो जावेगा। लेकिन इस समय भारत का वातावरण बड़ा क्षुब्ध है और चारों तरफ आग लगी हुई है। इसलिए ऐसे मामलों को रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न दिया जावे और जो बात उचित हो उसको ही की जावे। जो बात हो चुकी है उसको फिर से दोहराई न जावे और गड़े मुर्दे को फिर से नहीं उखाड़ा करें। एक पार्टी को नुकसान करना यह बड़े विचार की बात है। मैं मंत्री मण्डल को भी और साथ ही चेयरमैन महोदय के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री को यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की चीज को इस तरह से जल्दी के साथ में आगे चलाना कहाँ तक सही है, इस पर विचार करें। अगर इसको पास करने का विचार रखा जावे तो क्या असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका प्रश्न अभी तक तय नहीं हुआ है? इसके लिए क्या पब्लिक फीलिंग है उसके लिए दो, चार महीनों का समय देकर अगली मीटिंग तक एप्रिहेन्स में रख कर इस पर विचार किया जावे और सलेक्ट कमेटी में रखने की बात को मैं अनुचित नहीं समझता। मैं तो यही कहूँगा कि इस पर दो दफा विचार करके आगे रखा जावे। हम लोग सिवाय इसके बारे में कहने के अलावा कौनसा साधन समझते हैं? अगर जल्दी से चीज इस तरह से आगे बढ़ाई जावेगी तो इसका नतीजा ऐसा होगा जिसके लिए शायद माननीय मंत्री को पछताना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताने की कोशिश की है कि जो हाई कोर्ट से फैसला हुआ वह रहना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए। मगर जब कभी किसी हाई कोर्ट के फैसले पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो उस फैसले को और वह किस ग्राउन्ड पर हुआ है उसके बैक ग्राउन्ड को समझने की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आवश्यकता है और उसको समझने के बाद और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को ध्यान में रखने के बाद कानून बनाने पड़ें तो सरकार को बनाने पड़ेंगे। माननीय सदस्यों ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि इससे जागीरदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह कानून जागीरदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को व्यक्तिगत फायदा नहीं पहुँचे इसके लिए बनाया गया है। यह सही है कि सेटलमेंट सं० २०१२ से लागू किया गया और केवल हाई कोर्ट ने टैकनिकल पोइन्ट को लेकर अपना डिसिशन दिया है। मारवाड़ में ऐसा था कि इसको सेटलमेंट ऑफिसर एक जुलाई को लागू करेगा। उसको इसके लिए अधिकार दे दिये गए थे कि अगर वह चाहे तो पहले से लागू कर सकता है। इस केस में यह बात हुई कि सेटलमेंट ऑफिसर ने सेटलमेंट कमिश्नर को प्रोपोजल भेजे और उसमें लिखा कि सँ० १३ से लागू किया जाय लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जब प्रोपोजल्स गये तो उन्होंने यह देखा कि इससे एक साल और रिजम्प्शन की डिले हो जावेगी। यह तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका था और इसीलिए सेटलमेंट कमिश्नर ने लिखा कि संवत् १३ से लागू होना चाहिये। गवर्नमेंट ने उसको मंजूर कर लिया। सेटलमेंट ऑफिसर ने संवत् १२ नहीं लिखा और रेवेन्यू बोर्ड ने लिख दिया इसीलिए यह इन्वेलिड हुआ। चूंकि सेटलमेंट ऑफिसर के अन्दर ऑथेरिटी वेस्टेड है इसलिए १२ के सेटलमेंट को गैर कानूनी करार दिया। वर्ना फोर ऑल पर्पजेज यह हो चुका था।

पहले की तारीख से लागू करें तो उसमें फर्क यह है कि सेटलमेंट ऑफिसर के बजाय सेटलमेंट कमिश्नर ने कर दिया। बरहाल कायदे से तो पहले सेटलमेंट ऑफिसर, फिर सेटलमेंट कमिश्नर और फिर रेवेन्यू बोर्ड और उसके बाद जाकर गवर्नमेंट के पास मामला आता है। जैसा मैंने अर्ज किया सेटलमेंट फोर ऑल पर्पजेज वहां इन्ट्रोड्यूस हो गया और किसानों को पर्चे तकसीम हो गये। अमल शुरू हो गया, पर्चे काश्तकारों को मिल गये। उसमें डिले करने का प्रश्न नहीं था। इससे तो आगे जाकर कई कम्प्लीकेशन पैदा हो सकते थे। जागीरदार किसानों को लटाई कराने लिए मजबूर करते थे। जागीर रिजम्पशन में भी इससे डिले होती थी। यह बात सही है कि जितनी सेटल्ड जागीरें हैं उनको सरकार रिज्यूम करेगी। सेटलमेन्ट कराना और रिज्यूम करना दूसरी बात है। हाई कोर्ट ने इस मामले को मेरिट्स पर इन्वेलिड नहीं किया किन्तु टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर इन्वेलिड किया। कोई इस सम्बन्ध में फॉर्मेलिटी जो पूरी होनी चाहिये थी वह पूरी न हुई हो, ऐसी भी बात नहीं थी। There is nothing absobutely. केवल मकसद इसमें उनका यही था कि सेन्क्शनिंग ऑथेरिटी सेटलमेंट ऑफिसर होना चाहिये था न कि गवर्नमेंट। इसीलिए यह बिल पेश किया है। उससे मेरा मकसद यह है कि जहां सेटलमेंट हो चुका है वहां प्रेस्क्राइब्ड ऑथरिटी कोई हो लेकिन यदि हाईयर ऑथोरिटी ने ऑर्डस दे दिये हैं तो उनको वेलिड मान लेना चाहिये। सैकड़ों, हजारों गांवों का सेटलमेंट हुआ है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेट्स लगाई जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के ही नहीं किन्तु सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हो चुके है कि गवर्नमेंट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को पावर्स हैं कि वह चाहे तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेंट्स लागू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे दिये। सेटलमेंट ऑफिसर को देने चाहिये थे इसी एक टेक्निकल फ्लो के कारण इन्वेलिड करार देने से इसको ठीक करने की आवश्यकता हुई और यह बिल इसी कारण आपके समक्ष पेश है।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इससे अव्यवस्था हो जावेगी। कैसे और क्या अव्यवस्था हो जावेगी ? माननीय सदस्य इसके मकसद को समझे नहीं हैं। एक एरिया सेटल्ड फॉर ऑल पर्पजेज है। उसको टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर अनसेटल्ड कर दिया जाता है तो उस हिसाब से किसी ने लटाई कर ली, किसी ने केश वसूल कर लिया और इस प्रकार से इन्वेलिड होने से लैंड सिस्टम के कानूनी दृष्टि से तो अव्यवस्था हो जावेगी और वह अव्यवस्था नहीं तो क्या है ? सरकार कम्पन्सेशन देने के लिए इन्कार नहीं करती है। Compensation is one of the major factors. कम्पन्सेशन देने के लिए तैयार है और देना चाहते हैं। यदि सेटल्ड एरिया है तो उसका कम्पन्सेशन देने के लिए तैयार हैं। अनसेटल्ड को सेटल्ड मान कर नहीं किया जा सकता। सेटल्ड समझ कर रिज्यूम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। सेक्शन ७ इसीलिए रखा है। सेटल्ड समझ कर रिज्यूम किया है। उसमें कौनसी गलती की बात है ? हाई कोर्ट के फैसले को न मानने का कोई प्रश्न नहीं है। टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर हाई कोर्ट ने इन्वेलिड किया है इसीलिए इस बिल के द्वारा ठीक कर रहे हैं। इतने बड़े इलाके को अनसेटल्ड मान लेना उचित नहीं है। कानूनी तरीके से कोई फ्लॉ रह गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। कहीं आगे कोई कम्प्लीकेशन्स न रह जाय, इसको वेलिडेट करने का अधिकार असेम्बली को है और इसीलिए यह यहां लाया गया है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई एरिया सेटल्ड हो जाय, टेक्निकल गलती से हाई कोर्ट इन्वेलिड करार दे दे तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इसको लेजिस्लेचर वेलिड करे। हाई कोर्ट को सरकम्वेन्ट करने की कोई बात नहीं है। जितनी रेस्पेक्ट हाई कोर्ट को देनी चाहिये देते हैं। विधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई कॉम्पलीकेशन्स सामने आवे तो उसको सदन के द्वारा वेलिड किया जा सकता है।

जोधनेर से आये माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके लिये तो इतनी ही अर्ज है कि वे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं ? दुनिया में, हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है ? एक्जीक्यूटिव को तो काम करना पड़ेगा और जब तक असेम्बली है उसका उपयोग करने का अधिकार है चाहे दुनिया में कुछ हो रहा हो। आज यह बाड़मेर का प्रश्न है तो कल दूसरी जगह का प्रश्न हो सकता है। बाड़मेर के अलावा दूसरे इलाके हों, सेटलमेंट ऑफिसर ने कोई रेंट प्रोपोज़ की हो और रेवेन्यू बोर्ड ने कोई दूसरी तो उस हालत में यह बिल सब के लिए एप्लाई करेगा और जितना सेटलमेंट हो गया है उसको वेलिडेट करेगा। मैं गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। जनरल लॉ है And it will apply to whole of the State and whenever there is a

Page No.73

(श्री दामोदरलाल व्यास)

complication, they will be rectified by this law.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, राजस्थान सेटलमेंट रेट्स रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वेलीडेशन बिल सदन पारित करने जा रहा है । लेकिन मैं चाहता हूं कि पारित करने से पहले मैं एक चीज़ सदन के सामने रखूं । वह यह है कि हमेशा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्जीक्युटिव एक्शन तो ले लेती है और उसके बाद सदन के सामने वेलीडेट कराने के लिए आती है । माननीय मंत्री महोदय काफी क्लेवर हैं He said 'Sadan' is soverign. सारे पावर्स उसमें निहित हैं । उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर भी सदन कर सकता है । इतनी ताकत है सदन की इतनी, शक्ति है इसकी । असली बात उन्होंने नहीं कही । एक्ट था, उसकी लिमिटेशन्स भी थी । उसके बाहर जाकर एक्जीक्युटिव ने एक्शन लिया और उस एक्शन को हाई कोर्ट ने कहा कि वह गैर कानूनी एक्शन था । जुडिशियरी का फंक्शन यह है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसके बाहर जब एक्जीक्युटिव चली जाती है, सुपरसीड कर देती है तो हाई कोर्ट उस पर फैसला लेती है कि एक्जीक्युटिव का यह फैसला गलत था । उसको टेक्निकल फैसला कह कर इसको इस तरह से पास कर देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा । न ही यह हाई कोर्ट को क्रेडिट देता है । हाई कोर्ट लीगल पोइन्ट्स पर फैसला देती है, टेक्निकल पोइन्ट्स पर नहीं । मैं माननीय मंत्री महोदय को करेक्ट करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट टेक्निकल पोइन्ट्स पर फैसला नहीं देता है आज तक नहीं दिया है । आप कहते हैं कि हाई कोर्ट ने टेक्निकल पोइन्ट पर फैसला दिया, यह बात हाई कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट करती है । हाई कोर्ट के फैसले होते हैं वे लीगल पोइन्ट्स पर होते हैं । जैसा उन्होंने बताया उससे जाहिर होता है कि उनकी एक्जीक्युटिव कितनी केयरलैस है । सेटलमेन्ट ऑफिसर को काम करना था । सारे के सारे व्यक्ति हैं । सेटलमेन्ट ऑफिसर सेटलमेंट कमिश्नर और फिर रेवेन्यू बोर्ड को यह करना था, उन्होंने नहीं देखा ।

It does not reflect very decently about them. अच्छी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): यह आप देखेंगे कि जहां पावर्स डेलीगेट होते हैं उन पावर्स को सुपीरियर ऑथेरिटी चेन्ज कर सकती है in the law. But unfortunately in Jodhpur law it missed. It is technical flaw and it is very good flaw as if some irregularity has been committed. It was only an ommssion in the law.

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह नहीं कह रहा हूँ डेलीगेट कर सकती है या नहीं। बड़ी से बड़ी ऑथेरिटी है सेटलमेंट कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसमें इतने पंडित लोग हैं कि उनको यह पता तक नहीं था कि जोधपुर में क्या एक्ट था। वह उनकी नजर में नहीं आया। आज जो सेटलमेंट की हाईएस्ट ऑथेरिटी है उसको भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं कि किस स्टेट में किस प्रकार का कानून है? उसके माफिक चलना चाहिए और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि सुपीरियर बॉडी को और सेटलमेन्ट कमिश्नर को इस प्रकार के पावर्स होने चाहिए। उनको भी यह देखना चाहिए कि जोधपुर के इलाके में कौनसा कानून है। उनको यह पावर्स दिये हुए हैं: So it is a reflection on the ability of the Administrator.

ऑथेरिटी सारी कुछ होते हुए भी हम हर सेशन में यह देखते हैं कि सेशन की शुरूआत में दस, पांच बिल वेलीडेशन के आ ही जाते हैं। एक तरफ तो हमारे मंत्री महोदय सदन को सर्वोपरि सत्ता मानते हैं और यह भी कहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को भी हम वैलिड कर सकते हैं। एक तरफ तो हमें इस प्रकार कह कर बढ़ाया जाता है और हमारे से इस प्रकार से वेलिडेशन के कानून पास करवा लिए जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि सदन ने एक कानून पास किया। उसमें एक्जीक्यूटिव के लिए कुछ मर्यादाएं निर्धारित की लेकिन एक्जीक्यूटिव ने उस मर्यादा को एक्सीड कर दिया और हाई कोर्ट ने उस एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। उसके बाद भी आप सदन से मन्जूरी कराते हैं। इस चीज को मैं अच्छी परम्परा नहीं मानता। सदन इस बिल को पास करे इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हर सेशन में यह एक परम्परा सी बन गई है कि हर सेशन की शुरूआत में इस प्रकार के वेलीडेशन के बिल आते हैं और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव वेलीडेशन आप करवाते हैं। किसी भी लेजिस्लेशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वेलिडेट करना It is a bad practice. इससे कई कॉम्पलीकेशन्स पैदा होते हैं। बैड इफेक्ट्स का यह एक नमूना है कि हर सेशन की शुरूआत में १०, १५ बिल वेलिडेशन के पास करवाये जाते हैं It also does not reflect on our judiciary हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह लीगल पोइन्ट पर फैसला दिया है। एक्जीक्यूटिव की दिक्कतों की वजह से हम वेलिडियेट कर देते हैं, यह ठीक नहीं है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

२-३१ म० प०

राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधकरण विधेयक, १६५६

(विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सब-ग्रान्ट्स रिजम्पशन वैलिडेशन बिल, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रघुवीर सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैंने इसमें अमेन्डमेन्ट दिया है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो सलेक्ट कमेटी में भेजने का मोशन मूव किया है वह सर्कुलेट कर दिया गया है।

श्री रघुवीर सिंह: माननीय सभापति महोदय, यह जो हमारे सामने सब-ग्रान्ट्स का बिल आया है वह वास्तव में जागीर रिजम्पशन एक्ट का एक बच्चा कहा जाय या एक पुछल्ला कहा जाय तो कह सकते हैं और वह उसी रूप में है। स्थिति यह है कि कुछ जागीरदारों द्वारा अपने छुट भाइयों को अपने नौकर, चाकरों को या कुछ अन्य लोगों को, प्रोहितों इत्यादि को जागीर सब-ग्रान्ट्स के रूप में दी हुई थी। उन सब ग्रान्टस को जागीर रिजम्पशन एक्ट के अनुसार जहां सेपरेट जागीर मानने का प्रावधान है और वह मानी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी जागीरें थीं जिन जागीरों को प्रिन्सीपल जागीरदारों ने सब-ग्रान्टीज की मान्यता नहीं दी और उनका मुआवजा अपने मुआवजे में शामिल कर लिया था। अब जो नया बिल है उस बिल से सरकार यह चाहती है कि उन छोटे जागीरदारों को, सब-ग्रान्टीज को प्रिन्सीपल जागीरदारों के मुआवजे से कटौती करके उनको दे दिया जाय। इसी मन्शा से यह बिल लाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार करने की बात यह है कि जो सब ग्रान्टीज हैं उनके मुआवजे की दर दूसरी है यानि उनको २२ गुना तक दिया जाता है और जो प्रिन्सीपल जागीरदार हैं उनको दस गुना मुआवजा मिलता है। अगर उसी अनुपात से जागीरदार के मुआवजे के अन्दर से काट कर दिया जाता है तो सब-ग्रान्टीज को मुआवजा कम मिलेगा और अगर जिस हिसाब से सब-ग्रान्टीज को मिलना चाहिए उस हिसाब से यदि दिया जाता है और वह प्रिन्सीपल जागीरदार की रकम में से काटा जाता है तो उसको घाटा होता है, उसके साथ यह एक प्रकार से अन्याय होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कितनी रकम काटी जाय किससे काटी जाय ये सब बातें ऐसी हैं जो सलेक्ट कमेटी में विचार की जा सकती हैं इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी अभी माननीय राजस्व मन्त्री महोदय की ओर से इस बात का इशारा हुआ था कि छोटे जागीरदारों के पक्ष में सदन में कुछ बातें कही जाय। शायद इसका तात्पर्य यह है कि अगर उनके बारे में कुछ बातें कही गईं तो उनके हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है और मैं इसी आशा के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): पहले आपका हृदय परिवर्तन हो तो काम चल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसी आशा के साथ सदन में मैं कुछ बातें अर्ज़ करूंगा। यह बिल देखने में बहुत छोटा सा है। कुल ४, ५ धारायें इसमें हैं और यदि यह कहा जाय कि छोटे जागीरदारों के लिए यह छोटा सा बिल है तो लोग समझेंगे और इस पर कहा जा सकता है कि फिर ऐसी कौन सी बात रह जाती है जिसको सदन में कहा जा सकता है। सभापति महोदय, अगर इस छोटे से बिल को गम्भीरता से देखा जाय तो कुछ ऐसा लगता है कि इन छोटे जागीरदारों के पेट में छुरा घुसाया गया है।

अब किस प्रकार से छुरा घुसाया गया है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड मिलना चाहिये, इनाम मिलना चाहिये इन सारी बातों की व्यवस्था इस कानून के द्वारा की जा रही है।

सबसे पहले इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। जहाँ तक इस कानून का मूल उद्देश्य है उसका सम्बन्ध सरकार की और बड़े जागीरदारों की एक मिली जुली गलती से है। राजस्थान के जितने भी बड़े जागीरदार थे उनमें कुछ ऐसे जागीदार भी थे जो ऐसा चाहते थे कि उनकी जागीर के किसी भी जमीन के टुकड़े का चाहे उसका मालिक कोई भी हो यदि मुआवजा हम किसी प्रकार से ले सकें तो वह लेने की चेष्टा करनी चाहिये। जो बड़े जागीरदार इस प्रकार की कार्यवाही करने लगे उनके सामने कुछ कानूनी बाधा उपस्थित हुई। कानून में इस बात की व्यवस्था है कि छोटों की छोटी जागीरों के मामले में इस एक्ट के अन्तर्गत सेपरेट जागीर समझी जावेगी और उसका उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अब बड़े जागीरदारों ने यह देखा कि यदि हमारी दी हुई जागीरों के मालिकों को यह अलग अलग से मुआवजा देते हैं तो हमें जितना मुआवजा मिलना चाहिये उसमें कुछ कटौती होगी। तो उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा तरीका निकाला कि हम इस प्रकार की अपने अन्तर्गत छोटी जागीरों के विषय में किसी को इस बात की सूचना न दें कि हमारे भी ये सब-ग्रान्टीज हैं। सब-ग्रान्टीज में इस कानून में और कईयों की व्याख्या की गई है पर जिसका मतलब चाकराना शब्द से है उन सबको सूचना न मिले कि हम तुम्हारे मुआवजे को हड़पना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था उन बड़े जागीरदारों ने की। उन्होंने सोचा कि जब हम अपने कम्पेन्सेशन के फार्म भरें तब इनका कोई भी उल्लेख न करें कि जिसके लिए हम कम्पेन्सेशन डिमान्ड कर रहे हैं। सरकार से उसमें से कुछ जमीन पर चाकराना हिसाब के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति अधिकृत हैं उन्होंने इस बात को छिपाया।

अब जो हमारी सरकार कई बार कहती है, और राजस्व मन्त्री जी खास तौर से कहते हैं कि जागीर डिपार्टमेंट में हर बात की स्क्रूटिनी होती है, अच्छी तरह छोटे छोटे पॉइन्टों की जांच की जाती है पर मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि इस बारे में उसने कोई स्क्रूटिनी नहीं करवाई और छोटे जागीरदारों की जागीरें हड़पने का मौका बड़े जागीरदारों को उसने दिया। मगर मुझे धन्यवाद देना चाहिये सरकार को कि उन्होंने इस गलती को देखा। पर स्वयं की गलती को स्वीकार करके नहीं बल्कि बड़े जागीरदारों की गलती है, इस तरह से कह कर चेष्टा की है इस गलती को दुरुस्त करने की। पर दुरुस्त करने में भी सरकार ने अपना दृष्टिकोण साफ रखा। सरकार पर किसी प्रकार का विपरीत असर न हो और

Page No.77

(श्री भैरोंसिंह)

जागीरदार भी अकेले लाभ न उठा सकें ये दोनों दृष्टिकोण सामने रख कर उसने यह कानून प्रस्तुत किया है ।

इसका मतलब यह होगा कि जिन्होंने छोटों की इस प्रकार की भूमि अपने कम्पेन्सेशन में शामिल करके उसके मुआवजे का क्लेम किया है, कुछ ने ले लिया है, कुछ लेने वाले हैं उसमें अब आईन्दा से सरकार इसमें से छोटों को जो मुआवजा मिलना चाहिये वह छोटों को दिलवायेगी । अब यह बात कहने में बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है । ऐसा लगता है सरकार न्याय करना चाहती है सरकार न्याय का पलड़ा हाथ में लेकर न्याय करने जा रही है और इस बारे में आलोचना की जावे, बहस की जावे तो निरर्थक है पर मैं ऐसा समझता हूँ कि इस निरर्थक के पीछे अर्थ भरा है । सबसे पहले जो सरकार की ओर से कार्य किया जा रहा है वह यह है कि जैसे अलवर से आने वालों ने बताया कि जिनको मुआवजा, जिन छोटों को मुआवजा हम देने वाले हैं उनके साथ उनके दूसरे उसी रूप के कई चाकराना हैं, कई छुटभइये हैं, बारदार हैं, और हैं कहने का मतलब कि इस प्रकार के सीगे के जितने भी छोटे जागीरदार हैं उनके लिये एक कानून होना चाहिये, दो नहीं होने चाहिये । उनमें डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये । पर अब हमारी सरकार दो कानून बना रही है और ये दो बना रही है अपनी गलती के कारण ।

मैं समझता हूँ कि सरकार डिसक्रिमिनेशन करना चाहती है । एक जागीरदार जिसका कानून सम्मत क्लेम नहीं है उसको वह २२ गुना मुआवजा देने की तरफ से चुप रहना चाहती है, उसको २२ गुना लेने देना चाहती है और दूसरी तरफ जिसका कानून सम्मत क्लेम है, जिसको असल में क्लेम मिलना चाहिये पर उसको नहीं लेने देने की चाल चलती रही है, उसको गलती मालूम होने के बाद भी सरकार २२ गुना नहीं देकर ११ गुना दिलाना चाहती है । एक के साथ अन्याय किया जावे, सरकार उसमें गलती करे और उसी गलती को रिपीट करने के लिये उसकी हत्या करे सरकार । ये दोनों चीजें समझ में नहीं आती । यदि राजस्थान में कानून बनाना है आपको तो सारों के लिये एक सा बनाना पड़ेगा । सारे कैटेगिरीज के लिये एक सा बनाना पड़ेगा । अगर २५०) रु० से कम के हैं तो उनके लिये एक कानून होगा । यदि ५००) रु० से कम है तो उनके लिये एक कानून होगा । पर सरकार की गलती के कारण २५०) रु० वाली ५४ में खतम हो गई । बड़े जागीरदारों के साथ खतम हो गई, १० गुना मुआवजे के साथ खतम हो गई । जिसको २२ गुना मिलना चाहिये, उसके लिए भी आपने कह दिया कि १० गुना मिलेगा । यह कौनसा न्याय है ? सरकार-ने कानून पेश किया है, रहम दिखाया है । छोटों के साथ रहम का ढिंढोरा पीट रहे हैं इसलिए कि आप बड़ों से कटौती कर रहे हैं और बड़ों से कटौती कर रहे हैं सिर्फ जब कि उनकी चाल से और आपकी गलती से उन्होंने छोटों को इस स्थिति में ला पटका कि जहां उनको २२ गुना क्लेम मिलना चाहिये था उनको १० गुना मिल रहा है । आप उनसे कटौती करें और साथ ही इस तरह की चालबाजी के लिए उनको दण्ड भी दें ।

उनके केस में से बड़ों ने अनुचित रकम काट ली है । आपने उनके उन क्लेलों की ठीक रकूदिनी नहीं की । आपकी गलती इसमें

(श्री भैरोंसिंह)

हुई, इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार की गलती और बड़े जागीरदारों की चालबाजी के परिणाम स्वरूप जिनको २२ गुना मुआवजा मिलना चाहिए था। उनको आज १० गुना मुआवजा देने की बात कही जाती है और उस पर भी रहम करने की बात कही जा रही है। आज जहां उनकी मुआफी चाकरी आदि जहाँ ५७ में खतम होने को थी, वहाँ खतम हो गई सरकार की और बड़े जागीरदारों की मिली भगत से सन् ५४ में तो इस तरह से उनको मुआवजे का नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि ५४ से लेकर ५७ तक की उनकी जो आमदनी होनेवाली थी उससे भी उनको महरूम किया। वास्तविक डेट ऑफ रिजम्पशन पर उनकी जमीनें रिज्यूम की जानी चाहिए थी उनको बीच का लगान मिलना चाहिए था, आमदनी मिलनी चाहिए थी पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक तरफ उनको आमदनी से महरूम रखा गया दूसरी तरफ २२ गुना के बजाय आज १० गुना मुआवजा देने की स्थिति में उनको ला पटका। यह न्याय नहीं है। आज की यह समाजवादी समाज का ढोल पीटनेवाली सरकार, समाजवाद का झँडा लेकर शोरगुल करनेवाली सरकार समाजवादी सरकार नहीं है बल्कि पूँजीपतियों की इन बड़े जागीरदारों को शह देनेवाली सरकार है। बड़े जागीरदारों के साथ सांठ गांठ करके छोटों से पैसा खाना चाहती है। यदि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से सारा काम चलाना चाहते हैं और इन्हीं तरीकों पर समाजवादी बनने का ढोंग दुनिया में करते हैं तो फिर तो यह सरकार दुनिया में दूसरे ही प्रकार से नजर आवेगी। मैं मानता हूँ कि गलती अकेली सरकार की नहीं है। इसमें जागीरदार भी शामिल हैं। पर सरकार ने व्यवस्था की है कानून में कि अगर कोई गलत कम्पेन्सेशन का फार्म सबमिट करता है और जो गलत स्टेटमेन्ट दे और ऐसा दे कि वह खुद जाने कि जो दे रहा हूँ वह गलत है तो सरकार उस पर ५००) रु० तक का जुर्माना कर सकती है और दण्ड दे सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होने गलत क्लेम इस तरह से पेश किये हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं बल्कि कह दिया हम आपके मुआवजे में से काट लेंगे। सरकार ने सोचा कि दण्ड से उनको बचाना है और कहीं छोटे दण्ड के रूप में क्लेम कर सकते हैं तो इससे बचने के लिये अपने ऊपर दोष आ सकता है। उससे बचने के लिए आप इस कानून को लेकर आये हैं कि उसमें से २२ गुना के बजाय १० गुना क्लेम दिलाया जावेगा। इन बातों को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि मामला क्या है। सरकार की और इन बड़े जागीरदारों की मिलीभगत है। छोटे किसी तरह का क्लेम न करने लगें इसलिये और बड़ों को बचाने के लिए दण्ड से सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करने जा रही है।

...सभापति महोदय, इसके लम्बे चौड़े स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह इस प्रकार का कानून होगा कि जो कानून अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। अब यदि सरकार यह कहे कि यदि यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी होगा तो जितने भी इस प्रकार के जागीरदार हैं कि जिसके ऊपर इस डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव होनेवाला है। वे व्यक्ति कोर्ट में जायेंगे और इस चीज को चैलेन्ज

(श्री भैरोंसिंह)

कर सकते है। लेकिन मैं यह निवेदन करूँगा कि कोर्ट में चेलेन्ज करने का प्रश्न उस समय पैदा होता है जिस समय हम यह देखें कि कोर्ट में चेलेन्ज करने के बाद में जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट लेता है उस निर्णय को स्वागत के लिए कल से लेकर आज तक और अभी तक हम एक इस प्रकार की परम्परा डालते आये हैं कि कोर्ट चाहे जिस प्रकार का फैसला दे हम उसको मानने वाले नहीं हैं, माननेवाले नहीं हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मेरी जागीर सन् ५७ में खत्म की जानी चाहिए थी और उसको ५४ में ही खत्म कर दिया गया और जब कि दूसरे जागीरदारों को २२ गुना मुआवजा मिला है और मुझे १० गुना ही मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब यह होगा कि वह जीत जायेगा और फिर माननीय राजस्व मन्त्री जो उसको ठीक करने के लिए वैलिडेटिंग बिल बना देंगे और इस तरह से उस व्यक्ति के हाई कोर्ट में जाने पर जो पैसा खर्च हुआ वह मिट्टी में मिल जायेगा। अगर इस तरह से कोई आदमी कानून का प्रोटेक्शन लेना चाहें तो व्यक्ति को निराश होना पड़ेगा। चाहे कोई भी चीज दुनिया के इन्टरेस्ट के खिलाफ हो यदि इस प्रकार की चीज बनती है तो हाई कोर्ट में उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है और धीरे धीरे जुडीशियरी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा होनी चाहिए, वह कम होती जा रही है। उस स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारा हाउस इस माने में काफी सुप्रीम है। मैं हाउस में कुछ निवेदन करूं उससे पहले माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन जागीरदारों ने गलत स्टेटमेन्ट दिये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): आप ही अमेंडमेंट कोई पेश कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह: यदि आपकी मन्शा ऐसी ही है तो मैं मूव करता हूं। यह तो जागीरदारों को दण्ड देने का सवाल आया है इसलिए आपने इसको फौरन मंजूर कर लिया। मैं अमेंडमेंट अवश्य पेश करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं मंजूर करूंगा या नहीं यह तो दूसरी बात है। आप चाहें तो अमेंडमेंट पेश कर दें।

श्री भैरोंसिंह: यह इसलिए मंजूर कर लिया कि जागीरदारों को दण्ड देने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिनको मुआवजा १० गुना दिया है। उनको २२ गुना देने की बात करें तो इसमें आपकी सिनसियरिटी का पता चलेगा, आपकी मनोभावना का पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए अगर आप तैयार होते हैं तो यह आपकी सद्भावना प्रतीत होगी। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मौके पर अपनी सद्भावना का परिचय दें और यह सद्भावना का परिचय केवल इस प्रकार से दिया जा सकता है कि छोटों के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो और जिनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मिले और जिनकी जागीरें जिस तारीख को रिज्यूम होनी चाहिए थी उसी तारीख से हो और उसका उन्हें पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा जितना

(श्री भैरोंसिंह)

मुआवजा दूसरों को मिला है उतना ही उनको भी मिलना चाहिए। यह बात सही है, माननीय सभापति महोदय, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं कि मैंने इसमें संशोधन पेश नहीं किये। अब केवल इसी बात के ऊपर कि इसमें संशोधन पेश नहीं किये गये हैं इस चीज को स्वीकार नहीं करें तो यह एक टैक्नीकल मिस्टेक हो सकती है, एक टेक्नीकल फ्लॉ रह सकता है। केवल इसी बात पर माननीय राजस्व मन्त्री इसको स्वीकार करने की स्थिति में न हों लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम इस समय भी यदि कोई अमेंडमेंट मूव करें और उनकी यदि इस प्रकार की मन्शा है कि दरअसल वह इन चीजों को इस एक्ट में इनकॉरपोरेट करना चाहते हैं तो मैं इसी समय अमेंडमेंट, माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से रख सकता हूँ और वे अमेंडमेंट इस समय हाउस में पेश किये जाकर डिसकस भी किये जा सकते हैं और इसी एन्टीसीपेशन में कि मेरे किसी अमेंडमेंट का विरोध नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय की तरफ से परमीशन मिल जायेगी तो मैं आपकी आज्ञा से अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ और अन्त में इस बिल का विरोध करता हुआ माननीय राजस्व मन्त्रीजी से अपील करता हूँ कि छोटे जागीरदारों के ऊपर जो कि बहुत कम संख्या में हो सकते हैं और जिससे राज्य के बजट में कोई घाटा नहीं आयेगा या उससे कोई अप्रिय घटना हो जाये ऐसी स्थिति नहीं आयेगी मैं सारी सहानुभूति रखते हुए उनके कम्पेन्सेशन के संबन्ध में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को जितना कम्पेन्सेशन मिला है उतना ही उनको मिल जाये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रघुबीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैंने एक अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह जाने कहां है ?

श्री सभापति: श्री महेन्द्रसिंहजी बोलेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्री मन्, इस बिल को जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यह केवल जागीर विभाग की बद्इन्तजामी का सबूत है और ऐसा समझना चाहिए कि इनकॉम्पीटेन्सी है और यह एक सरासर अन्धेर और पोल की साफ साफ मिसाल है। इस विधेयक का मकसद यह है कि जागीर रिजम्पशन कानून के मातहत जो नोटीफिकेशन निकला जिसका कि सरकार को अधिकार था कि नोटीफिकेशन निकाल करके जागीरों को रिज्यूम करे। मगर राज्य सरकार ने जो नोटीफिकेशन निकाला उसके अन्दर जागीर कमिश्नर को यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम उप जागीरों को रिज्यूम करो राज्य सरकार ने बल्कि बड़े बड़े जागीरदारों को खत्म करने का आदेश दिया। मगर यह महकमा इतने अर्से तक छोटे ग्रान्टीज़ की जागीर भी रिज्यूम करता रहा और बिना मुआवजे के रिज्यूम करता रहा और यह सब पोल चलती रही। अब इतने वर्ष बाद इस गलती को दुरूस्त करने जा रहे हैं और अब हम उसको वेलिडेट करेंगे। अफसरों ने एक नई चीज करने जा रहे हैं। एक चीज है कि एक महकमे को कोई काम करने का आदेश ही नहीं था और वह दुनियां भर से वसूली करता रहा और सारी जागीरों को लेकर हजम कर लिया और

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

इतने अर्से बाद मुआवजा देने की बात सोची जाती है। मैंने नोटीफिकेशन तो नहीं देखा है लेकिन स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स जो इस बिल के साथ लगाये गये हैं उसके अन्दर ही मन्जूर कर लिया गया है कि नोटीफिकेशन के अन्दर जागिर रिज्यूम ही नहीं की जा सकती थी लेकिन महकमे ने यह काम कर डाला और अब इसलिए उसको वेलिडेट करने जा रहे हैं। सजा देने की बात जो अभी एक माननीय सदस्य ने कही थी कि गलत क्लेम्स भरनेवाले जागीरदारों को सजा मिलनी चाहिए यह तो वास्तव में उस महकमे को सजा मिलने की बात है जो कि इतने वर्षों तक धांधली करता रहा......

मन्त्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, मालूम होता है कि माननीय सदस्य राजस्थान जागीर रिज़म्पशन एक्ट से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। जो सब-ग्रान्टीज हैं उनके भी मुआवजे आदि के लिए जागीरदारों को ही रेकॉर्ड पेश करना पड़ता है। पहले वे यह समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मुझे जो समझने की जरूरत है वह अभी समझे लेता हूँ और जो समझाने की जरूरत है वह भी अभी समझा देता हूँ, देर का काम नहीं है। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में आप पेराग्राफ २ पढ़ें : "Such resumption is liable te be challenged successfully in a Court Of law because the Notification of Government under section 21 of the said Act, in pursuance whereof the Jagir lands of the principal Jagir dars were resumed did not possibly apply to or authorise the resumption of the said-grante." आप खुद मन्जूर कर रहे हैं कि दफा २१ रिज़म्पशन एक्ट के मातहत नोटीफिकेशन निकाला था उसमें ऑथोराइज़ नहीं किया था कि सब-ग्रान्टीज की जागीरें रिज्यूम करो, मगर डिपार्टमेंट ने जबर्दस्ती विदआउट एनी लॉ कर ली। इसलिए आज यह कानून लाना पड़ रहा है। आपने मन्जूर किया है अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में। यह मेरा इन्टरप्रिटेशन नहीं है। यह रही आपके महकमे की एफिशियेन्सी।

३ म० प०

जहां तक इसकी नीति का प्रश्न है, मैं समझता हूं, उसका मैं स्वागत करता हूं एक प्रकार से क्योंकि कानून की असली स्थिति है उसके मुताबिक जो सब-ग्रान्टीज़ हैं वे अपने सारे हकूक खो चुके हैं। कानून की व्यवस्था होती है कि अगर किसी के साथ में गैर कानूनी कार्यवाही होती है तो चाराजोही करे। यह उसका अधिकार होता है। वह अदालत में जाय और हर्जाने के लिए सरकार पर दावा करे और रकम वसूल करे। और जब जागीर रिज्यूम हो चुकी हैं और कानून यह फर्ज़ जागीरदार पर आयद करता है कि जागीरदार अपने क्लेम्स दें। अगर जागीरदार अपने कम्पेन्सेशन के क्लेम्स देता ही नहीं है तो गवर्मेंट का फर्ज़ नहीं है कि वह आगे होकर कहे कि कम्पेन्सेशन लो। अपनी तरफ से वह नहीं मांगता है तो सरकार नहीं देगी। वह लिमिटेशन खो देता है। वह खो देता है तो एक प्रकार से अपना हक खो चुका है। वह

Page No.82

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

चाराजोही नहीं करता है। उनकी जागीरें छीन लें और कोई ऐतराज नहीं करें और कम्पेन्सेशन के क्लेम्स नहीं करें तो वे अपना क्लेम छोड़ चुके। सब-ग्रान्टीज़ का फर्ज था कि कम्पेन्सेशन के क्लेम देते। अपने अधिकारों पर सोये रहते हैं और मौका निकल जाता है तो सरकार तो हरेक के दरवाज़े पर जाकर नहीं कहनेवाली है कि तुम आओ हम पर दावा करो। यह सब-ग्रान्टी का फर्ज था कि वे सरकार पर दावा करते। इसमें धोखे में रखने का सवाल नहीं है। जागीर रिज़म्शन हो गया एक पर्टीक्यूलर एरिया में तो जितने भी जागीरदार आते हैं उस एरिया में उनको चाहिए कि वे क्लेम सब्मिट करें। सरकार ने, मैं समझता हूं कि यह उदार नीति बरती है कि उनकी गलती को मुआफ किया और अब कम्पेन्सेशन देने को तैयार है।

गलती इतनी ही है इस विधेयक में जो कि इस प्रकार से यहां पर पेश किया गया है कि इसमें बड़े जागीरदारों को जो रकम दे दी गई है उनसे कटौती की जो बात है यह सिद्धान्त मुझे गलत मालूम होता है। बाकी सब-ग्रान्टी को कम्पेन्सेशन देने की जो बात है वह सब तरह से सही मालूम पड़ती है। इसकी प्रस्तावित धारा ४ को देखें तो उसमें लिखा है कि सब-ग्रान्टी को कितना कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए वह अब निर्धारित किया जायेगा। जागीर रिज़म्शन एक्ट के मातहत में अगर उनकी छोटी जागीर है तो उसके मुताबिक से ज्यादा गुना मिलेगा वही इनको भी मिलेगा। वह नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि २२ गुने के बजाय १० गुना ही मिलेगा। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि रिज़म्शन एक्ट की उक्त धारा के प्रावधान को हमने यहां पर नल-एन्ड वॉयड नहीं किया है। वह रिज़म्शन एक्ट की धारा कायम है और उसी धारा के अनुसार कम्पेन्सेशन निर्धारित किया जायेगा तो जितना उनका हक आता है उतना ही मिलेगा।

अब झगड़ा यह आता है कि बड़े जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन दिया है वह कमती गुना दिया है और ग्रान्टियों को ज्यादा गुना देना पड़ेगा। अगर होता कि बड़े जागीरदार से १० गुना काटा जायेगा और छोटों को २२ गुना दिया जायेगा तो यह न्याय की बात होती। लेकिन उनसे २० या २२ गुना काटना यह अन्याय की बात है। इसके सिद्धान्त को दुरुस्त करना चाहिए। बाकी बड़ी सख्ती के रूप से सदन की यह मन्शा सरकार पर जाहिर हो और वह अपने महकमे को हिदायत दे कि इस तरह की पोल जिसके लिए रियासतें मशहूर थीं और जिसके लिए हम राजाओं को गालियां देते थे उनके हटने के बाद भी यदि इस प्रकार जारी रहती हैं तो बड़े शर्म की बात है। असर पड़ना चाहिए हुकूमत पर कि एक बड़ी पोल मचाई गई है। सरकार का आदेश ही नहीं और महकमा लोगों की जागीरें और जायदादें छीनता रहा। ऐसी पोल रियासतों के जमाने में भी नहीं रही होगी। यह असर हुकूमत पर पड़ना चाहिए।

इसके सिवाय यह सिद्धान्त कि बड़े जागीरदारों ने कम्पेन्सेशन का पैसा गलती से ले लिया है उसे काटा जाय, सही है। काटा जरूर जाय लेकिन गलती से जितना लिया है उतना ही काटा जाय उससे अधिक इसलिए

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

नहीं कि छोटे जागीरदारों को अधिक देना पड़ेगा । तो उस रूप में यह संशोधन रख कर दुरुस्त किया जाय । बाकी, मैं समझता हूं कि यह बिल स्वागत करने योग्य है और मैं सरकार को बधाई देता हूँ ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने काफी स्पष्टीकरण कर दिया है, और मेरे ख्याल से यह बिल बहुत ही छोटा है लेकिन काफी असर रखनेवाला है क्योंकि सब-ग्रान्टी काफी संख्या में, हजारों में ही नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में हैं । वे जागीरदार की हैसियत में आते थे लेकिन बिना किसी कारण से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और बिना मुआवजे के उनकी जागीरें छीन ली गई । हजारों और लाखों आदमियों को इसके द्वारा राहत दी जा सकेगी ।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो कुछ मुआवजा दिया जावेगा वह मुआवजा उतना ही होना चाहिए, जैसे कि मान लें कि एक ५०) रुपये की जागीर है उसको २२ गुना मिलना चाहिए लेकिन कोई एक लाख की जागीर थी उसके साथ उसको रिज्यूम कर दिया गया है तो उस हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया है । मेरे ख्याल से क्लॉज (४) की सब-क्लॉज (२) है वह साफ है ।

"(2) The Jagir Commissioner shall determine the amount of Compensation, accompanied with or without rehabilitation grant payable to such sub-grantee under and in accordance with the provisions of the Resumption Act as if the resumption of his sub-grant had taken place on the date on which it was actually resumed."

इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सब-ग्रान्टी की जितनी जागीरें हैं और जागीर रिजेम्पशन एक्ट के अन्तर्गत जिस हिसाब से रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए उसी हिसाब से उनको मिलेगा । इसलिए सब-ग्रान्टी को, मेरे ख्याल से, कोई नुकसान नहीं होनेवाला है । श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत बड़ी दलील दी और उनकी वकालत की लेकिन छोटे जागीरदारों के लिए सरकार ने पहले ही से ध्यान रखा है ।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि केलक्यूलेशन में गलती होगी, वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है । जिन बड़े जागीरदारों ने मुआवजा लेकर ऐसे गरीब आदमियों का जिनकी जागीरें रिज्यूम नहीं होनी चाहिए थी उस समय अपने पास रख लिया तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि उनसे मुआवजे की अधिक गुना रकम वसूल कर सब-ग्रान्टी को दी जाय । यह प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रखते हैं वह ठीक है कि जितना मुआवजा उनको मिलनेवाला है वह बड़े जागीरदारों से मुआवजा दिलाया जाय । वह पेनेल्टी के रूप में भी ठीक होगा । गरीबों को अपने क्लेम नहीं भरने दिये तो बहुत मुमकिन था कि ४ साल के बाद उनकी जागीरदारियां जब्त होती । लेकिन फिर भी जागीर डिपार्टमेंट ने केलक्यूलेट कर लिया तो जैसा कि

Page No.84

(श्री सोहनलाल भटनागर)

प्रावधान इसमें रखा हुआ है वैसा ही मौजूद रहता है तो दोनों बातें रहती हैं। बड़े जागीरदार ने गलत क्लेम भर दिया है तो उन पर जुर्माना भी होता है और छोटे जागीरदारों को जागीर रिजम्शन एक्ट के मुताबिक मुआवजा मिलना चाहिए वह मिलता है। इसलिए जैसा यहां इस बिल में जिस रूप में है उसी रूप में पास कर दिया जाय तो ठीक है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह बिल जो पेश हुआ है इसमें यह बात देखने में नहीं आती है कि जो बड़े जागीरदारों ने मुआवजा ज्यादा लिया है उसकी कटौती किस प्रकार से की जाय। इसमें यह है कि वह कटौती का राइट दे दिया जाय। यह गलत प्रोवीजन है। क्योंकि जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्दर जो गलत फार्म भरेगा उसके लिए दण्ड अलग देने के लिए प्रावधान रखा गया है। उसके लिए यहां पेनेल्टी के स्वरूप में यह धारा यों की यों ही रहे तो वह गलत हो जाता है। क्योंकि उस एक्ट में यह है कि गलत मुआवजे के फार्म भरेगा तो ५००) रु० या अधिक दण्ड देना, यह धारा मौजूद है। अब दुबारा उसमें करते रहे हैं कि जिन बड़े जागीरदारों ने मुआवजा ले लिया है उससे २२ गुना काट लें, यह गलत सिद्धान्त है। उनके लिए सजा पेस्क्राईब्ड कर दी है उस एक्ट में। ऐसी स्थिति में यह नया प्रावधान इस बिल में लागू करना बिल्कुल गलत है।

अब मैं यह निवेदन करूं कि बड़े जागीरदारों ने गलत फार्म भरे और उनके खिलाफ उनके बेसिस पर उनकी वजह से यह बिल सामने आया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन बड़े जागीरदारों ने गलत मुआवजे के फार्म भरे हैं तो गवर्नमेंट को यह चाहिए कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे और उनको दण्ड अथवा सजा दिलाये। सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो इसके मायने यह है कि वह बड़े जागीरदारों से मिली हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इसमें प्रावधान रखा गया है बड़े जागीरदारों से मुआवजे की कटौती का वह सारे का सारा गलत है कि उनसे मुआवजा २२ गुना लिया जाय जैसा कि अभी इस बिल के अन्दर है। इनसे इतना ही मुआवजा वापिस लेना चाहिए जितना कि उनको ज्यादा दिया गया है और बाकी जो इस प्रकार की गलत चीज है यानि गलत मुआवजे के फार्म भरे हैं तो उसकी सजा के लिए बाकायदा जागीर रिजम्पशन एक्ट में जो प्रावधान रखा है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत फार्म भरे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गलती नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने जो भी क्लेम्स पेश किए गए हैं वे क्लेम्स वेरीफिकेशन होकर पेश किए गए हैं और उसमें यह लिखा है कि हमने मुआवजे के फार्म भरे हैं वे बिल्कुल सही और सत्य हैं। इस आधार पर उन्होंने क्लेम मंजूर किया है, क्योंकि जागीरें बड़े जागीरदार के नाम पर थीं और उनके सब-ग्रान्टी वे थे, इसलिए ऑफिसर्स को या महकमे को यह बात मालूम नहीं हो सकती थी। इसलिए महकमे की इतनी गलती नहीं हो सकती जितनी कि गलती बड़े जागीरदारों की है जो कि दूसरों के रुपये भी अपने आप हजम करना चाहते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

उनके खिलाफ शख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और जागीर रिजम्पशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार कदम उठाना चाहिए।

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़): सभापति महोदय, मैं समझता हूँ इस बिल के संबंध में छोटे और बड़े जागीरदारों के नाम पर डिस्कशन चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि बड़ों से गलती हुई है छोटों से नहीं हुई है। मैं समझता हूँ यह बहस निराधार है। यह गलती गवर्नमेंट की और उसके ऑफिसर्स की है। सेटलमेन्ट में इन जागीरदारों के नाम सब-जागीरदारों के रूप में दर्ज किये गये हैं। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। माफी-दार, चापीदार आदि ये जो ४० तरह के दार हैं वे मौजूद थे। गवर्नमेन्ट उन सबको कम्पेनेसेशन नहीं दे सकती इसलिए बड़े जागीरदारों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से यह सब किया जा रहा है। क्योंकि उधर तो गवर्नमेंट ने अपनी नामवरी की दृष्टि से नेहरूजी के नाम से बड़े बड़े एवार्ड निकालती है और उधर उसके पास पैसा देने को नहीं रहता है तो बड़े जागीरदारों से लेना चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट हुआ था उस समय गवर्नमेन्ट यह निश्चय नहीं कर पाई थी कि जागीरदार कौन है। जो जागीरदार थे उनके बारे में हाई कोर्ट से फैसला हुआ था। whether they are jagirdars or not.

इसमें जागीरदारों का क्या कसूर है जब कि आपके कानून में ही डिफेक्ट है? जागीर-दारों ने बोन्ड भरा अपनी पूरी जागीर का और जो बड़े बड़े दार हैं जो जागीरदारों के यहां नौकरी पेशा थे उन्होंने अलग से बोन्ड भर के माँग की। उन्हें कम्पेन्सेशन देने के लिए गवर्नमेन्ट से समझौता किया गया। सभापति महोदय, हाउस के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि जिस समय इनका आन्दोलन चला था छोटे जागीरदारों का उस समय विदाउट सेन्डिंग एनि ऑफिसर उनसे यह कहा गया कि आप फार्म भरिये हम आपको कम्पेन्सेशन देते हैं। उस समय गवर्नमेंट और ये छोटे जागीरदार मिले हुए थे। कौन माफीदार है, कौन जागीरदार है, इसका कोई ख्याल नहीं किया गया और आज जब उनकी दोस्ती भंग हुई तब यह कहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। पहले तो इस बात का कम्पीटिसन चल रहा था कि वही जागीरदार ईमानदार हैं जो बोंड भर कर जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन ले ले और अपनी अपनी जागीरें सरेन्डर करदें। जब सारे नौकरी पेशा लोगों ने बोंड भरे उस समय आपका जागीर डिपार्ट-मेंट क्या कर रहा था? क्यों उन्होंने बोंड भरा उनको कंपेसेशन दे दिया? इससे यह जाहिर है कि यह सब जानबूझ कर हुआ है और डिपार्टमैन्ट से और गवर्नमेंट से मिल कर हुआ है। गवर्नमेंट समझती थी की हम ऐसा कर रहे हैं। जब उनका डेपूटेशन मिला उस समय यह कहा गया कि आपके कम्पेन्सेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अलग कम्पेन्सेशन देंगे। आज जब गवर्नमेंट को घाटा है तो नेहरूजी का नाम लेना चाहते हैं और उनके नाम से कहते हैं कि २२ गुना कम्पेन्सेशन देंगे और जबर्दस्ती से बड़े जागीरदारों से लेकर छोटों को देना चाहते हैं। छोटे जागीरदारों का क्लेम गवर्नमेन्ट से है न कि बड़े जागीरदारों से। हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप कम्पेन्सेशन कुछ नहीं देनेवाले हैं।

सभापति महोदय, इसमें एक अड़चन और आयेगी। वह पैसा कहां जायगा जो

(श्री मदनसिंह)

आज तक उघा चुके हैं ? रिजेम्पशन जागीरों का हो गया। जिस दिन डिसीजन होगा २२ गुना देने का उस समय कलेक्टर के पास से नोटिस आयेगा कि आपकी जागीर उसी डेट से रिज्यूम हुई है. जिस डेट से बड़े जागीरदारों की हुई। जहां सेटलमेन्ट नहीं हुआ है वहां आधे से ज्यादा रकम उनके कम्पेन्सेशन में जायेगी। उनकी १० गुना रकम रेन्ट रेट रिडक्शन हुआ है उससे बड़े जागीरदारों को नुकसान होगा और छोटों को २२ गुना मिलेगा यह कहां का न्याय है ? आप रकम १० गुना से फैलाते हैं और २२ गुना दिलाते हैं। जो उगाई हुई उसका असर भी बड़े जागीरदारों पर होगा। इसलिए या तो गवर्नमेन्ट डींग नहीं मारें कि नेहरूजी के एवार्ड की वजह से कर दी और यदि डींग मारती है तो अपने पास से पैसा दे। जब निर्णय कर दिया है तो बड़े छोटे का क्या भेद है ? यदि छोटे के लिए २२ गुना कर दिया है तो बड़ों को भी २२ गुना दें और लिमिट कर दीजिए कि २००० से आगे नहीं हो सकता। आप रोज कानून बनाते हैं और रोज उसमें अमेन्डमेन्ट लाते हैं। आप इस तरह की छेड़ा छेड़ी क्यों करते हैं जिससे हमारे दिमाग में कुछ फितूर गवर्नमेन्ट के खिलाफ आवे ? क्योंकि बार बार जब कभी अवसर आता है तब बड़े जागीरदारों पर लॉछन लगाया जाता है कि वे धोखा करते हैं। छोटों के खिलाफ धोखा गवर्नमेन्ट खुद करती है, उसके ऑफिसर्स करते हैं उनको दंड देना चाहिए। कानून में छोटे जागीरदार मान लिए और बोन्ड भरते हैं उसी के माफिक कम्पेन्सेशन पास कर देते हैं। कोई भी आदमी अपने कंपेनसेशन का फार्म कम क्यों भरेगा जब कि गवर्नमेन्ट यह कहती है कि पूरा कंपेन्सेशन देंगे ? इसके लिए अलग डिपार्टमेन्ट है और उस पर काफी खर्चा होता है। इस विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी है कि वे गांवों में जाकर पटवारियों को कनसल्ट करें और रेकॉर्ड को देखें। जो सेटलमेन्ट का रेकॉर्ड है उसमें हरेक जागीरदार और माफीदार का नाम अलग अलग दर्ज है तो फिर बड़े जागीरदारों ने कम्पेनसेशन फार्म गलत कहां से भर दिए ? वे रेकॉर्ड से अलग जाकर अपने फार्म नहीं भर सकते। बड़े जागीरदारों ने कहां ज्यादा भरा होगा जहां उनके पटे की रकम है ? लेकिन यह कहना कि जहां सेटलमेंट हो गया और जहां पर रेकार्ड पर सारा इन्दराज मौजूद है वहां भी ज्यादा भर दिया होगा यह कतई मानने में नहीं आ सकता। सेटलमेन्ट रेकार्ड में हरएक जागीरदार का अलग अलग नाम दर्ज है। जब तक रेकॉर्ड नहीं देख लेते हैं तब तक क्लेम पास ही नहीं करते हैं तो फिर यह चीज कैसे हुई ?

मैं तो यह समझता हूँ कि आप यह चाहते हैं कि छोटे और बड़े जागीरदारों को आपस में लड़ा दिया जाय। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आप कितनी ही कोशिश करलें और कितने ही कानून पास करदें, इस प्रश्न पर हम आपस में नहीं लड़ सकते। आपके सोशियेलिस्टिक पैटर्न पर लड़ सकते हैं लेकिन ऐसा अन्याय न बड़े जागीरदारों से हुआ है और न करना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि गवर्नमेन्ट ने प्रोपेगन्डा करके वाहवाही और नामवरी के लिए यह कह दिया कि छोटे जागीरदारों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं है। उधर २२ गुना का कानून बनाया है और इधर रेन्ट रिडक्शन हुआ है और छोटे जागीरदारों की जागीर मान ली है वहां १०

Page No.87

(श्री मदनसिंह)

रुपये की आय के २ रूपये किए जा रहे हैं और नाम किसानों का लिया जा रहा है।

आज किसान को कोई फायदा होता है तो उसकी चिन्ता नहीं। चूंकि कम्पेसेशन पर असर पड़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। सभापति महोदय, इन जागीरदारों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, बड़े जागीरदारों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, वे कोर्ट में लड़ें और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास आयें तो वे कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। मिनिस्टर साहब कुछ और नहीं बता सकते, वे कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब यह है कि छोटे और बड़े जागीरदार लड़ाई करते रहें। पहले आपने जाट और राजपूतों में लड़ाई कराई और आज छोटे और बड़े जागीरदारों में लड़ाई कराना चाहते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं रहा, यह सबसे बड़ा काम रहा है।

३ २१ म० प०

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन):

जो सेटलमेंट हुआ है, जो रिजम्पसन हुआ है उसमें गवर्नमेंट की गलती है और गलती चला कर की है। जिस वक्त बड़े जागीरदारों की जागीरें खत्म हुई उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। छोटे जागीरदारों की रिज्यूम होगी, उनको जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि न तो कुछ छोटे जागीरदारों को ही मिल रहा है, न बड़े जागीदारों को ही मिल रहा है और जो उन्हें मिला भी था वह खा पी गये और जिन्होंने गवर्नमेंट से सम्बन्ध अच्छा रखा था उनको कम्पेन्सेशन मिल गया, जिन्होंने नहीं रखे उनके लिए एक प्रोब्लम हो जायेगी। उन पर डिग्री करवायेंगे, आपस में उन्हें लड़वायेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे कानून से राजनैतिक मसला हल नहीं होनेवाला है। इसलिए ऐसा कानून नहीं आना चाहिए और राजस्व मन्त्रीजी इससे आपस में मूंड फुडाई करायें समाज में। मैं समझता हूं इससे आपका भला और कल्याण नहीं होने वाला है। यह सर्टीफिकेट तो दे दिया जाता है कि आप जुडिशियल माईन्डेड हैं फिर क्यों न आपको डॉक्टरेट दें दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मँत्री): मैं माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझा। क्या छोटे जागीरदारों और बड़े जागीरदारों जिनकी जागीर का रिजम्पसन हो गया है उनको कम्पेन्शन नहीं मिलना चाहिए?

श्री मदनसिंह: मैं बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि २२ गुना गवर्नमेंट दे दे। क्योंकि आपने गलती की है, गलती का खामियाजा भुगतें।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट दो मुआवजा दें?

श्री मदनसिंह: मैं कहता हूँ कि आप १० दफा दें, अगर गलती की है तो। इसके अलावा आप इन जागीरों का नम्बर देते तो मुझे मालूम पड़ता क्योंकि छोटे जागीरदार अलग अलग हैं। दो चार कुचामन में ठिकाने हैं और बाकी के सारे जागीरदार हैं। उनको आप जागीरदार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे अपने पट्टे और बहियें ला

Page No.88

(श्री मदनसिंह)

रहे हैं। सैकड़ों जागीरदारों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़े जागीरदार आज कह रहे हैं कि हम जागीरदार हैं और आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, यह नहीं है वह नहीं है। आप कम्पेन्सेशन में उलझन डालना चाहते हैं। वैसे उनके लिए पटवारी आदि गवाही दे रहे हैं कि वे सेपरेट जागीरदार हैं। मैं यहां तक कह दूँगा छोटे जागीरदार आपको माफ कर देंगे अगर आप कह दें कि आपके पास पैसा नहीं है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : बड़े खाये जायं ?

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ यह अच्छी चीज है कि आप कह दें कि हमारे पास पैसा नहीं है। वर्ना आप आपस में लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी खड़ी करेंगे और वे आपके पास आयेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए जहां तक उन्होंने ले लिया है वहां तक भूल है और २२ गुना लेना न्यायसंगत नहीं है तो कह दीजिये कि हमारे पास पैसा नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस प्रकार के बिल पर वाद-विवाद करना कुछ बातों की ओर संकेत करता है। उनमें एक इस बात की ओर संकेत करता है कि राजस्थान सरकार अनावश्यक कहना चाहिये, ऐसी चीजें, ऐसे बिल यहां पेश करती हैं जिनकी आवश्यकता कानून के आधार पर है या नहीं, कानून यह इजाजत देता है या नहीं, यह सोचने का सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि जब एक्ट बना और उसकी धाराओं के अन्तर्गत जागीर रिज्यूम हुई, मैं जानता हूँ कि मारवाड़ और जोधपुर स्टेट में ऐसी छोटी जागीरें थीं कि उनका मुआवजा जागीरदारों ने किसी तरह से प्राप्त किया और उस मुआवजे को प्राप्त करने के समय भी छोटे जागीरदारों ने दरख्वास्तें पेश की और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वे इस तरह उनके हकदार हैं, मालिक हैं। उस समय प्रोविजन रखा था, ३६, ३७ में और जब टाइटल का सवाल पैदा हुआ तो आपने ऑर्डर किया कि टाइटल के मामलों में कमिश्नर को पूरा अधिकार है, वे उसकी जांच करें। उसके बाद लम्बे चौड़े अर्से तक मुकदमे चले, जांच हुई और उसके बाद एक्ट में संशोधन कर दिया और आपने सेटलमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि वे जांच करें.... ..

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no quorum I suppose.

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री मूलचन्द डागा : तो सवाल यह रहता है कि जब ३७ के अन्तर्गत कमिश्नर ने जांच करना शुरू किया कि वास्तव में कौन जागीरदार हैं और कौन छोटे जागीरदार हैं। उस समय वापिस संशोधन हुआ एक्ट में उसके आधार पर सारे मामले फिर वापिस सेटलमेंट डिपार्टमेंट में गये। इस प्रकार आपने जो कुछ कानून बनाया और उस कानून के अन्तर्गत यह आ चुका है कि जो कोई जागीरदार अपने आपको मालिक समझता है और जिसको अधिकार है जमीन का उसके लिए दो रास्ते खुले थे। अव्वल में यह चाहिये था कि वह शिकायत करता। जब जागीर ली गई उस समय छोटे जागीरदारों को मालूम

Page No.89

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं रहा, उनको नोटिस नहीं मिला कलेक्टर की तरफ से कि तुम्हारी जागीर रिज्यूम की जाती है । इसलिए दुर्भाग्यवश कहिये कि उन छोटे जागीरदारों ने अपने ऑब्जेक्शन फाईल नहीं किये और वे इस ख्याल में बैठे रहे कि हमारी जागीर रिज्यूम नहीं हुई है । उन्होंने क्या किया कि जगह जगह अपनी रेवेन्यू वसूल करते रहे और बराबर रिजम्पसन होने के बाद भी बड़े जागीरदार के पट्टे में जो रेट लिखी थी उसके अनुसार कन्टीन्यूअल लेते रहे । कई साल गुजर जाने के बाद जब कलेक्टर को मालूम हुआ कि यद्यपि जागीर रिज्यूम हो चुकी है लेकिन वहां के जागीरदार कन्टीन्यूअल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य किस जगह की बात कर रहे हैं, जो जागीरदार पांच वर्ष तक वसूली करते रहे ? मेरे नोटिस में नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं नहीं चाहता कि मैं बतलाऊं कि राजस्थान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना जागरूक है । बार बार छोटे छोटे बिल आते हैं उनसे मालूम होता है कि राजस्थान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कानून के प्रति कितना जागरूक है । जोधपुर स्टेट में कई मुकदमें चल रहे हैं ।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दाँता रामगढ़ में जागीरदार रेवेन्यू इकट्ठे कर रहे हैं । मेरी जागीर रिज्यूम हो गई थी १६५५ में ही ।

श्री मूलचन्द डागा : जागीर कमिश्नर के पास कई केसेज पेंडिंग हैं और छुट भाइयों ने दरख्वास्तें दी हैं कि रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं और जागीर रिज्यूम नहीं हुई हैं । तो यह मालूम हुआ जैसा कि मैंने बार बार कहा था कि कानून को पारित करना एक बात है, अमल करना दूसरी बात है । यहां कानून पारित किये जा सकते हैं-। रोजाना के लेजिस्लेचर के कारण न तो सरकारी अधिकारी ही उन कानूनों से परिचित होते हैं और न जनता ही । तो जो छुटभाई, छोटेछोटे जागीरदार, माफीदार या डोलीदार हैं उनको किस कानून से मुआवजा दिला सकेंगे, मैं समझता हूँ, आप यह एक आफत मोल ले रहे हैं । जो बड़े बड़े जागीरदारों के छोटे छोटे जागीरदार रह चुके हैं इस पोजिशन को क्लेरिफाई करने के लिए बड़ा समय लगेगा । एक छोटे जागीरदार का एक बड़े जागीरदार से जो रिश्ता होता था, जागीरदार तो एक होता था उसके नीचे छोटे छोटे जागीरदारों का पट्टा होता था जिनसे वे लोग कुछ लेते थे, जो काश्त करते थे, उनसे कुछ लेते थे । इससे यह सारा का सारा डिस्प्यूट फिर से खड़ा होगा । इस बिल से यह होगा कि जिन छोटे जागीरदारों ने ऑब्जेक्शन्स फाईल नहीं किये हैं, जिन्होंने क्लेम्स फाईल किये हैं और मुआवजा नहीं मिला है वे क्लेम कर सकेंगे पर जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है, उनको इसके अन्तर्गत मुआवजा साबित कराना होगा और इसके लिए उन सारी प्रोसिडिंग्स के अन्दर से गुजरना होगा । छोटे जागीरदारों और बड़े जागीरदारों के बीच में जो सम्बन्ध था यह नहीं था कि उनको पूरे अधिकार थे । अक्सर यह हुआ करता था कि बड़े जागीरदारों ने गिफ्ट में छोटे जागीरदारों को,

(श्री मूलचन्द डागा)

डोलीदारों को, माफीदारों को दे दिया और वे जानते थे कि हमारे जागीरदार हैं।

इससे यह मालूम होता है कि आप उन सारे झगड़ों को मोल लेना चाहते हैं जो अभी तय हो नहीं पाये हैं। छुटभाई, छोटे छोटे जागीरदार जिनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला है, नहीं मिलने के कारण क्लेम फाईल कर सकते हैं पर आप यह साबित कराना चाहते हैं कि उनके क्या राइट्स थे, क्या टाईटल्स थे। उन लोगों को यह सब साबित करना पड़ेगा। जिन लोगों ने गलत क्लेम पेश किये हैं उनकी आप जाँच करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने एक अमेंडमेंट पेश किया था कि जिन जागीरदारों ने गलत क्लेम पेश करके गलत मुआवजा उठा लिया आपने लिखा था : Those Jagirdars who have practised frand upon the Government, जिन्होंने मिसरिप्रेजेन्ट किया है, जो गलत मुआवजा उठा कर खा गये, सरकार मजबूती से उन लोगों से मुआवजा ले पर इसका मतलब यह नहीं कि इन छोटे छोटे जागीरदारों से कहे कि वे बड़े जागीरदारों से मुआवजा लें। उस अमेंडमेंट में यह था कि जिन जागीरदारों ने फ्रॉड करके ज्यादा मुआवजा वसूल कर लिया है उनके खिलाफ सरकार इन्क्वायरी कराये और अगर उस इन्क्वायरी से साबित हो जाय कि गलत मुआवजा उठा लिया है तो उन लोगों से मुआवजा लेकर उनको दिलाये। पर आप चाहते यह हैं कि बड़े जागीरदारों से छोटे जागीरदारों को मुआवजा दिलाया जाय। बड़े जागीरदारों और छोटे जागीरदारों के रिश्तों में जगह जगह अन्तर है। अतः मेरा राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि जिस कानून को आपने गये सेशन में अमेन्ड करवाया है उसके द्वारा आप उन जागीरदारों की इन्क्वायरी कराइये कि जिन लोगों ने गलत फैक्ट्स देकर मुआवजे की ज्यादा रकम ले ली है और उनसे वह वसूल करके इनको दीजिये। आपने यह भी लिखा है कि किसी की शिकायत पर या गवर्नमेंट स्वयं ही अपनी इच्छा से भी इन्क्वायरी करा कर यदि इन्क्वायरी से यह साबित हो जाय कि किसी जागीरदार ने फ्रॉड से ज्यादा मुआवजा उठाया है तो पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के मातहत रिकवरी करा सकती है। पर इससे आपका यह तरीका होगा कि छोटे जागीरदार उनसे रिकवर करें? यह गलत तरीका होगा, इसके माने यह हुए कि आप इन छोटे छोटे जागीरदारों को लिटिगेशन में फंसाना चाहते हैं।

एक बात यह है कि आप इनका रिजम्पशन कब से मानेंगे? छोटे जागीरदारों ने बड़ी जागीरों के रिजम्पशन के बाद भी कई वर्षों तक किसानों से हासिल वसूल किया है। तो क्या जिस दिन बड़ी जागीर का रिजम्पशन हुआ उसी तारीख से इनकी छोटी जागीर का रिजम्पशन मानेंगे? यह नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपकी इसके पीछे यह भावना होगी कि आप इससे छोटे छोटे जागीरदारों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं पर मैं समझता हूँ इस फायदे के आधार पर इस कानून का सहारा लेकर छोटे छोटे जागीरदारों ने अगर काम किया तो उनका ज्यादा नुकसान होगा। इसकी बनिस्बत तो जो अमेन्डमेंट पहले सेशन में स्वीकार किया गया है उसके अनुसार

Page No.91

(श्री मूलचन्द डागा)

कार्यवाही करने से इन छोटे छोटे जागीरदारों को लाभ हो सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान सब-ग्रान्ट्स रिजम्पशन वेलिडेशन बिल, १६५६ हमारे सामने विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्तुत है। इससे पूर्व कि इसे विचारार्थ लिया जाय इसके अन्तर्गत जिस प्रकार की दुविधाएं निहित हैं उन पर विचार नहीं करेंगे और बहुमत के आधार पर आँखें मूँद कर इसको पास कर दिया तो भविष्य में अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होंगी।

इस सारे बिल को पढ़ने के बाद तीन बातें नजर आती हैं। पहली बात, जो छोटे जागीरदार हैं और बड़े जागीरदारों से किसी प्रकार की माफी लिये हुए थे उन लोगों की जागीर या माफी कब से रिज्यूम की हुई समझी जाय ?

दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि इसको जागीरों को भी जब से कि बड़े जागीरदारों की जागीरें अवाप्त की गई हैं तभी से अवाप्त की हुई समझी जायं और इनके कम्पेन्सेशन उनको दिये जाँय।

तीसरी बात यह है कि यह माना जाय कि जब से जागीर अबोलिशन चला है तब से आज तक जो परिस्थितियां गुजर चुकी हैं उससे छोटे जागीरदारों को हम मुआवजा दिला सकेंगे।

मैं इन तीन परिस्थितियों पर विचार रखूं इससे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने हमारे देश में प्राचीन काल से चली आनेवाली जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया और जनतान्त्रिक प्रणाली को चलाने के लिये इसे समाप्त किया है वह काल ५२ से ५८ तक चला है। सारी स्टेट्स समाप्त हो गईं। उनके बाद बहुत बड़े जागीरदार थे उनको हटाया गया। उनके बाद छोटे छोटे जागीरदार, माफीदार थे उनको अवाप्त करने का रखा और अभी थोड़े समय पहले २५०) रु. से कम माफियाँ थीं उनको खत्म किया।

अब प्रश्न आता है कि बड़े जागीरदारों से माफी प्राप्त लोगों की माफी को या जागीर को कि २५०) रु० से कम आय की है उनको भी ५४-५५ से रिज्यूम किया हुआ माना जायेगा ?

आज इस प्रश्न पर हमें विचार करना है। इस बिल के तहत सेक्शन दो और तीन के तहत कार्यवाही के जो कुछ इस एक्ट में हैं एपलिकेशन छोटे जागीरदारों तक की जावे Validation of resumption of certain sub-grants, जो कुछ दे दिया गया है वह कानून के अन्तर्गत किन किन लोगों की गलतियें हैं ? अब यह प्रश्न पैदा होता है कि जागीरदारी समाप्त की गई। ऐसे लोग हो सकते हैं कि जागीरदारों की गलती के कारण हो या सरकार की गलती के कारण हुआ है मगर मैं तो जो कुछ भी मानता हूँ वह सरकार की गलती ही मानता हूँ। अब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड जन्स में लिखते हैं "Such resumption is liable to be challenged successfully in a court of law because the notification of

(श्री दयाकृष्ण विजय)

Government under Section 21 of the said Act, in pursuance whereof the Jagir lands of the principal Jagirdars were resumed, did not possibly apply to or authorise the resumption of the said sub grants." जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जागीर एबोलिशन एक्ट, १६५२ के अन्तर्गत छोटी जागीरदारियें नहीं आती तब उनको किसने रिज्यूम किया है ? तो छोटे जागीरदारों की गलती नहीं है, किसी इन्डिविजुअल आदमी की गलती नहीं है, यह सरकार की गलती है जिसने इस कानून को नहीं देखा। यह इस प्रकार की सरकारी गलती है। जागीरदार की गलती हो सकती है। उनकी स्वाभाविक प्रवृति रहती है कि इससे उनकी आमदनी और जीवन-यापन के लिए जितना अधिक ले सकते हैं लें। मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन यह कैसे हो सकता है ? आखिर आपका इतना बड़ा जागीर कमिश्नर का दफ्तर है जिसमें एसिस्टेन्ट जागीर कमिश्नर और दूसरे बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं और जिन पर इतना रुपया सरकार का खर्च होता है, यह सब आखिर किसलिए होता है ? हम कानून बनाते हैं और सरकारी अफसरों द्वारा उन कानूनों को कार्यान्वित कराते हैं। तो सारी जिम्मेदारी उन पर पड़ती है जिन्होंने जागीरदारों से मिल कर इस प्रकार पेमेन्ट कर दिया। यह गलती उन लोगों की है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं क्योंकि आप सरकार बना कर बैठे हैं। आप हमेशा बड़े अफसरों को सपोर्ट करते हैं। आप तो यही कहेंगे कि जागीरदारों ने गलती की है और जागीरदारों से हम वापिस पेमेंट लेते हैं।

२५०) रु० की और छोटी छोटी जागीरें तो १६५८ में ही रिज्यूम की गई हैं। उनको सन् १६५२ में रिज्यूम हुई किस तरह समझेंगे वे फिर हाई कोर्ट में जाकर कहेंगे कि हमारी जागीरें जब रिज्यूम ही नहीं हुई तो ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये उनको आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। इससे उनको इतने साल के मुआवजे का नुकसान होता है और उस नुकसान को उनको कौन देगा ? मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप इस एक्ट को बना कर जिन जागीरदारों ने ले लिया है उनको आपको दिलाना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि २५०) रु० की और छोटी छोटी जागीरें सन् ५८ में समाप्त हुई हैं अगर वे हाई कोर्ट में जावेंगे तो अवश्य सक्सेसफुल होंगे। आखिर उनको तीन, चार वर्षों तक उनकी जागीरों का मुआवजा कौन देगा ? उनकी नोलेज में यह चीज आई वह कब आई ? उनके नोटिस में वे चीजें तभी आईं जब आज आप इसको पास कर रहे हैं। इसके अलावा कानून के द्वारा आप छोटे आदमियों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। छोटे आदमियों का शोषण करनेवाली सरकार या व्यक्ति हम कहे जा सकते हैं।

मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि तीन प्रश्न हमारे सामने हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सेक्सन २ और ३ जो हम लगा रहे हैं वह प्रतिक्रियावादी है। छोटे जागीरदार हैं वे जागीरदार नहीं कहे जा सकते। वे तो सेवक कहे जा सकते हैं जिनको दिन रात मेहनत करने के फलस्वरूप जागीरें मिलती थीं। उनको आप तीन, चार साल पहले से जो सेवा करते रहे हैं समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह रहता है कि उसका मुआवजा कौन देगा ? यह कहा जाता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है कि मुआवजा उन जागीरदारों से दिला दिया जावेगा जो उनको मिला है, जैसा आपने स्टेटमेंट में दिया है। उनको कब से मुआवजा मिलना चाहिये और क्या उनको मुआवजा मिल जावेगा? मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। लोग आम यह समझते होंगे कि जागीरदारों के पास बहुत पैसा है, वे लक्ष्मीपति हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करता था कि वे धनवान है। लेकिन जब मैं बड़े बड़े बोन्ड जो जागीरदारों को मिले हैं उनको बिकते देखता हूँ तो देखता हूं कि जागीरदार बोन्डस को बेच रहे हैं। मैंने कोटा में भी देखा। मैंने लोगों से जब बोर्ड लगे देखा तो पूछा कि यहां पर क्या चीज है ? मुझे मालूम हुआ कि जागीरदारों को मुआवजे के जो बोन्ड मिले हैं वे उनको बेच रहे हैं। तो जिन लोगों ने आज से चार वर्ष पहले मुआवजा लिया है उनके पास रकम है या नहीं यह देखने की बात है। जब उनके पास रकम होगी ही नहीं तो आप रकम किससे दिलवायेंगे ? कुछ लोगों ने रकम खर्च कर दी है और कुछ लोगों ने अपनी पुरानी आदत के कारण उस रकम को खर्च कर दिया। बहुत थोड़े लोगों को छोड़िये मैं यह कहूँगा कि आज कोई भी ऐसा जागीरदार नहीं है जिसके पास बहुत धन हो। कई दिवालिये करार दे दिये जावें, जिनके पास पैसा नहीं है। जब उनके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा किससे लेंगे ? फिर छोटे जागीरदा रहें उन्होंने सेवा की है। उनको नुकसान नहीं होना चाहिये। अगर रकम जागीरदारों से वसूल नहीं होती है तो सरकार क्या अपने पास से देगी आप यह बतादें ? यदि आप यह बतादें कि जागीरदारों से वह रकम वसूल नहीं होगी तो उसका इन्तजाम आप कर देंगे। जागीरदारों के पास कुछ नहीं है। मान लें कि उनके पास कोई प्रोपर्टी नहीं है तो फिर आप कहां से उनको दिलावेंगे ? इसलिए पहले सरकार को इसके लिए गारन्टी करनी चाहिये। आप उनकी जागीरों को तीन वर्ष पहले से करते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके राईट्स को भी सेफगार्ड करें। एक बात यह हुई कि प्रोसीजर पुराना था जागीरदारों का सो वह जागीरें समाप्त हुई। वे अपना क्लेम देंगे। जागीर कमिश्नर उनका निर्णय करेगा। जब उनके पास रकम देने को नहीं होगी तो फिर रकम कहां से लेंगे ? यहां यह जरूर लिखा है The Jagir Commissioner shall determine the amount of compensation. कम्पेन्सेशन किस प्रकार से मिलेगा, इस बारे में सारा बिल साइलेन्ट है। यह कोई गवर्नमेंट की रकम तो है नहीं गवर्नमेन्ट की रकम तो पी. डी. आर. के तहत वसूल कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री भी करा ली तो उसकी इजराय कैसे करावेंगे जबकि उनके पास कोई देने के लिए नहीं है ? इजराय करा कर आप उनसे क्या ले लेंगे ? वास्तव में यह कहना चाहिये कि आपके अधिकारियों ने नुकसान पहुँचाया है। किसने नुकसान पहुंचाया है, इस कानून में कोई जिक्र नहीं है। उनके लिए कहीं जिक्र नहीं है। आपने अपने स्वार्थ के लिए लिखा है कि हमारी तरफ से गलती से जागीरें रिज्यूम हो गई जब कि कोई कानून नहीं था। आपने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। सरकार के अधिकारियों ने उनके जो अधिकार दिये हुए हैं उनका उन्होंने हनन किया है। उनको इस बात की सजा देनी चाहिए थी। यह बात नहीं कह कर किन्तु जिनके ऊपर अधिकारों का प्रयोग हुआ है उनके ऊपर कुठाराघात किया है। मुआवजा जिनसे लेनेवाले हैं उनके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ऊपर छोड़ दें और फिर आप डिटरमिन कीजिये और उसके लिए कोई प्रोसिजर नहीं है। इसमें इतनी खामियाँ हैं और आप इस कानून को सन् ५२ तक ले जाना चाहते हैं। जागीरदारों ने ले लिया उनसे ले लेंगे। ये हाईपोथेटिकल बातें हैं। कैसे लेंगे ? ये बातें नहीं आती हैं और गारन्टी नहीं होती है तो फिर इस बिल का कोई मकसद नहीं होनेवाला है। इसलिए इस बिल पर पूरी तरह से विचार होना चाहिए और जिनको राहत देते हैं उनके लिए पूरा प्रावधान होना चाहिये और तब ही हम समझेंगे कि यह बिल राहत देनेवाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, इस बिल पर मैं तो यह समझता था कि शायद इतनी लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी मगर माननीय सदस्यों ने काफी अलग अलग नुक्ते नजर से इसका विरोध किया है। इसका समर्थन भी किया है और नहीं भी किया है। अजीब सा लॉजिक इस बिल के सपोर्ट में और अपोजिशन में लाया गया है। खास तौर से एक सुझाव तो ऐसा आया कि बिल में सुधार होना चाहिए कि सरकारी मुलाजिम हैं उनकी गलती के कारण उनके लिए सजा का प्रोविजन होना चाहिए और अभी जो सजेशन आया वह तो माननीय सदस्यों ने खुद ने सुना है।

इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जब जागीर रिजम्पशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो पहले बड़ी इनकम ग्रूप की जागीरें रिज्यूम हुईं और बड़े जागीरदारों ने क्लेम्स पेश किये। जो छोटे छोटे जागीरदार थे, माफीदार थे, जिनकी चाकराना माफी थी या और भी उनसे छोटे २ जागीरदार थे उनकी जागीरों को भी उन बड़े जागीरदारों ने अपने क्लेम्स में शामिल कर लिया। इधर तो उन्होंने शामिल कर लिया और उधर कम्पन्सेशन असेस करा लिया। जो छोटे छोटे जागीरदार थे उन्होंने सेपरेट कम्पन्सेशन के फार्म्स भरे नहीं। अब सवाल यह है कि जागीरदारों को इन्कम-बेसिस पर रिज्यूम किया था उसी इन्कम ग्रूप से देना चाहिये था। प्रिन्सिपल जागीरदार थे, जो ग्रान्टर थे जागीरों के, उन्होंने सब ग्रान्टीज़ की जागीरों को अपने में शामिल कर लिया और बहुत से कम्पन्सेशन क्लेम्स फाईनेलाईज़ हो गये, यानि बड़े जागीरदारों में छोटे जागीरदारों का कम्पन्सेशन का क्लेम शामिल हो गया। जब इस प्रकार की शिकायत सामने आई कि छोटे छोटे सब ग्रान्टीज़ हैं वे कम्पन्सेशन और रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट के मिलने से महरूम रह गये हैं इसलिए कि जागीरदार की डेफिनेशन में गलती रह गई उनमें छोटे जागीरदारों को भी लिया जाना चाहिये था, बहरहाल गलती रह गई। मैं मानता हूँ कि यह गलती रही है चाहे यह गलती जागीर डिपार्टमेन्ट की हो। बहर हाल गलती हुई है। जिन्होंने फार्म भरे और उनका कम्पन्सेशन लिया यह भी तो उनकी ओर से गलती हुई है। उधर बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जागीर डिपार्टमेन्ट की गलती हुई है और जागीरदारों ने फार्म भरे हैं यह गलती हुई है। वे एक तरफ की गलती मानते हैं जब कि मैं दोनों तरफ की गलती मानता हूं। यह गलती हुई है जिससे छोटे जागीरदारों को सेपरेट कम्पन्सेशन और रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलनी चाहिये थी वह उनको न मिल कर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बड़े जागीरदारों को मिल गई। जब मिस्टेक डिटेक्ट हुई तो एक्जीक्यूटिव ने सन् '५८ में श्रॉर्डर्स इश्यू कर दिये। सन्, ५८ के बाद इस्मोलर ग्रान्टीज़ का कम्पन्सेशन डिटरमिन हुआ तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। वह तो जागीर कमिश्नर ने सरकुलर इश्यू कर दिया सन्, ५८ में और उसके अन्तरर्गत वे रिज्यूम हुई है। चूंकि प्रिन्सिपल जागीरदारों के साथ स्मोलर जागीरदारों की जागीरें रिज्यूम हो गई और उनको सेपरेट कोई कम्पन्सेशन और री-हेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं मिली उसी के लिए यह बिल पेश किया गया है। कोई गलतफहमी की बात नहीं होनी चाहिये थी नहीं कोई कुठाराघात की बात। कुछ माननीय सदस्यों के दिल में ऐसी विचार धारा है कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कानून पेश किया जाय उसमें गलत बातें निकालने की कोशिश की जाय बनिस्बत इसके कि ठीक बातें निकालें। जिनके साथ इनजस्टिस हो गया उसको ठीक करने के लिए कोई बात रखी जाय तो उसको एप्रिशियेट तो न करिये किन्तु मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम गलतफहमी तो मत फैलाईये। ईमानदारी से जो बात कहनी चाहिये वह क्यों नहीं कहते? कहने में शर्म क्यों होनी चाहिये? जागीर डिपार्टमेन्ट ने गलती की है, मैं भी गलती कर सकता हूं, गलती हो सकती है। स्क्रूटिनी अच्छी तरह से उस समय की जाती तो छोटे जागीरदारों के लिए हो सकता था। यह तो कहिये कि बड़े जागीरदारों ने उनका मुआवजा भी अपने में शामिल कर लिया जो कि ईमानदारी से नहीं करना चाहिये था। आप को एक तरफ की गलती नजर आती है जब कि मैं दोनो तरफ की इसको गलती मानता हूं। इसीलिए यह बिल पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध में दो तीन मुद्दे उठाये गये हैं। सन्, ५८ के नोटिफिकेशन के बाद के जितने ग्रान्टी हैं उनका कम्पन्सेशन और री-हेबिलिटेशन का हो गया उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पहले के कम्पन्सेशन को वेलिडेट कराने का सवाल आ रहा है। जो मुद्दे आपकी तरफ से उठाये गये हैं वे माकूल हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): सन्, ५८ में जो सब-ग्रान्टीज़ थे क्या वे इसमें नहीं आवेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास: सन् ५८ के बाद जितने रिजम्पशन हुए हैं उनका सेपरेट असेस्मेन्ट हुआ है उसमें गलतफहमी कहीं नहीं हुई है। उससे पहले जो रिजम्पशन हुआ उसमें प्रिन्सिपल जागीरदारों ने स्मॉलर होल्डर्स के कम्पन्सेशन और री-हेबिलिटेशन-ग्रान्ट को अपने में शामिल कर लिया। उनको कम्पन्सेशन ग्रान्ट मिले उसके लिए यह बिल है और किसी बात के लिए नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): तीन चार वर्ष का जितना बीच का पीरियड है उसके लिए क्या होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास: बिल पढ़ लीजिये this is for that purpose. यह उसी पीरियड के लिए है। सन्, ५८ के पहले सब-ग्रान्टीज़ का रिजम्पिशन प्रिन्सिपल जागीरदारों के साथ हो गया उसी को वेलिडेट कर रहे हैं। उनको री-हेबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पन्सेशन अकोर्डिंग टू जागीर एक्ट मिल जाय, यह इसलिए है।

श्री भैरोंसिंह : डेट ऑफ रिजम्पशन इसका कौनसा माना जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस तारीख को रिज्यूम हो गई कानूनी तोर से वहस ही है। जिस तारीख को रिजम्पसन हुआ वह कानूनी तोर से सही है और उसी तारीख से रिजम्पशन हुआ माना जावेगा और उसी तारीख से री-हेबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पन्सेशन मिलेगा।

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : बड़े जागीरदारों की सन् ५२, ५४ में जागीरें रिज्यूम हुई जब कि छोटे जागीरदारों की सन् ५८ में हुई और उनकी भी सन्, ५८ में होनी चाहिये थी। उनका हांसिल भी तो गवर्नमेन्ट के पास जमा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्पन्सेशन क्यों मिलेगा यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। मैंने तो आपसे कह दिया यह आपके समझने की बात है। लीगेली रिजम्पशन उनका उसी दिन से, तारीख से वेलिड था और होल्ली लीगल शेप देने के लिए यह पेश कर रहे हैं। इन्कम के हिसाब से होगा प्रिन्सिपल जागीरदारों की जागीरें जिस दिन रिज्यूम हुई उनका रिजम्पशन भी उसी तारीख से मान लिया जावेगा। उनको नुकसान न पहूँचे इसीलिए यह बिल पेश किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वेलिडेशन एक्ट क्यों ला रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : To remove all doubts and जिनका रिजम्पशन सेपरेट नहीं हुआ है। कागजों का वजूद नहीं है। बोन्डस दूसरों ने ले लिया। क्लेम्स पेश हुए और प्रिन्सिपल जागीरदारों ने सब-ग्रान्टीज़ को अपने में शामिल कर लिया। हम उसको रिकॉग्नीशन दिलाने के लिए ही यह कानून बना रहे हैं। यह बात दूसरी है कि आपकी छोटे जागीरदारों के साथ हमदर्दी न हो। लेकिन जो वाजिब बात है वह तो पेश करना पड़ेगा।

४ म० प०

आप उन जागीरदारों के लिए नहीं कह सकते जिन्होंने छोटों को धोखा दिया है ?

श्री मदनसिंह : सरकार ने तो सब को धोखा दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव पेश किया उसको समझना मुश्किल है। वे क्या चाहते हैं ? कभी छोटे जागीरदारों की पैरवी करते हैं और कभी बड़ों की वकालत करते हैं। वे चाहते हैं कि न वे छोटों को नाराज करें और न बड़ों को। वे देखते हैं बड़ों की वकालत नहीं करूंगा तो बड़े नाराज हो जायेंगे।

श्री मदनसिंह : वे तो सही बात कहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप ही के लिए अर्ज कर रहा हूं आपको भी वे नाराज नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं जावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव पेश किया है उनकी दलील में कुछ वजन है। यह वाजिब नहीं होगा कि १० गुना मुआवजा देकर २२ गुना उनको दिलाया जाय। इस बारे में जब रिलेवेन्ट क्लॉज आयेगा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उस समय इस पर विचार कर लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव जो रखा है उसको या तो वापिस लेवें नहीं तो सदन उसे रिजेक्ट करे, यही मेरा निवेदन है ।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैंने इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री रघुवीरसिंह को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रघुवीरसिंह : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज दो को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ स्वीकार किया गया ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज ३ में जो प्रिन्सिपल जागीरदारों के साथ सब ग्रान्टीज की जागीरें रिजम्पशन हो गई थी...

श्री सभापति : You want to speak on clause 2 ?

श्री भैरोंसिंह : On clause 3.

श्री सभापति : Then I will take up one by one.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्वश्चन यह है कि जिस तरस से माननीय राजस्व मंत्री ने कहा हम उस कार्यवाही को वेलिडिट कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि इसको लीगल शेप दे दी जाय । साथ साथ यह भी कहा गया कि उनका रिजम्पशन तो लीगल था लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया कि यह किस प्रकार से कन्फ्युज़न पैदा करना चाहते हैं । एक बात स्पष्ट है कि कम आमदनीवाले जागीरदार थे मसलन जिनकी आमदनी २५०) रू० वार्षिक थी इस प्रकार से जिनकी थोड़ी आमदनी थी उन जागीरों का रिजम्पशन सितम्बर, १६५८ के बाद होता है । उन्होंने एक मोटी बात स्वीकार की है इस प्रकार की जागीरों का रिजम्पशन सितम्बर, ५८ के नोटीफिकेशन द्वारा होगा । लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इस प्रकार की जागीरों का रिजम्पशन ५४-५५ में हो गया । इस पोईन्ट पर विचार करते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है । वह सरकारी गलती के कारण या जागीरदारों की गलती के कारण कानूनकी मन्शा से विपरीत इस प्रकार के छोटे जागीरदारों की जागीरों का जिस दिन

(श्री भैरोंसिंह)

पुनर्ग्रहण होना चाहिये यानि जिनकी जागीरें एक वर्ष या दो वर्ष बाद ली जानी चाहिये थी उनको दो वर्ष पहले ले लिया गया और वह अनुचित रूप से समाप्त कर दी गई। मैं समझता हूँ इसमें यह कहा जाना कि सरकार ने और राजस्व मंत्री महोदय ने थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाई है वह सहानुभूति किस प्रकार की दिखाई है, किन परिस्थितियों में दिखाई है या इस प्रकार की सहानुभूति बताने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि किस प्रकार के मुकदमे बने और वे किस प्रकार विचाराधीन रहे उस समय, किस प्रकार की स्थिति बनी थी उन सारी बातों का क्युमुलेटिव इफेक्ट ऐसा निकला कि सरकार को कुछ सर्कम्स्टान्सेज के कारण इस बात के लिए मजबूर कर दिया और यह सहानुभूति का नकशा बन गया। इस नकशे को सदन के सामने माननीय राजस्व मंत्री ने ठीक प्रकार से रखा। माननीय राजस्व मंत्री इस बात को बारबार रिपीट करते हैं कि उनके साथ सहनुभूति दिखाई जा रही है। मैं राजस्व मंत्रीजी से और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी को जिसकी आमदनी २५०) रू० से कम थी, ५००) रू० से या १,०००) रू० से कम थी उनको १७ गुना, १८ गुना और १६ गुना तक मुआवजा दिया गया। लेकिन जिस वक्त प्रिन्सिपल जागीरें खत्म की गई उनको मुआवजा देते हैं तो यह आपकी किस प्रकार की सहानुभूति हुई? कानून को इम्पलीमेन्ट करना ही आप सहनुभूति मानते हैं तो दूसरी बात ा है ऐसी सहानुभूति का सेहरा तो आप हर काम में बाँध सकते हैं। आपने जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए केटेगरीज बनाई हैं और उनको केटेगरीज वाइज मुआवजा भी दिया गया। इस मुआवजा देने में सहानुभूति किस बात की है? सरकार ने गलती की या जागीरदार ने गलती की लेकिन यह बात है कि कुछ व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है उससे बचाया जाय। ये सब बातें छोटे जागीरदारों में जो जाग्रति हुई उसके लिए तो सरकार को उनका ऐहसान मानना चाहिये। यह नहीं मानते हुए भी यह कहा जा रहा है कि हमने तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाई। ऐहसान के स्थान पर सहानुभूति दिखाई। २२ गुना मुआवजा और १८ गुना मुआवजा कानूनी रूप से मिलना चाहिए उसको भी सरकार परवरिश कहे तो दूसरी बात है। कानूनी चीज को परवरिश या सहानुभूति कहना उचित नहीं है।

दूसरा प्रश्न किया गया आप जिनको वेलिडियेट करने जा रहे हैं, जिन जागीरों का रिजम्पशन सितम्बर, ५८ में होना चाहिये था उसी तारीख से उनका भी रिजम्पशन होना चाहिये। अगर आप प्रिन्सिपल जागीरदारों के साथ उसकी समाप्ति को वेलिडियेट कारदेते हैं तो यह उचित नहीं है। जिस दिन और तारीख को जिस नोटीफिकेशन के जरिये जागीरें समाप्त हुईं उसी तारीख से उनका रिजम्पशन माना गया है और उसके बाद में कम्पेन्सेशन केलक्कुलेट किया है।

अब उनकी सहानुभूति का मतलब यह होगा कि जिन छोटे जागीरदारों की मुआफी, चाकराना आदि की जागीरें ५४ में समझ लीजिये, ५५ में समझ लीजिये, ५६ में समझ लीजिये इन तीन सालों में उनका रिजम्पशन हुआ तो इसका मतलब यह हुआ

(श्री भैरोंसिंह)

कि डेट ऑफ रिजम्पशन से उनका कम्पेन्सेशन का केलकुलेशन होगा। ५६ में केलकुलेशन होता है, वह केलकुलेशन होना चाहिए था ५८ में तो यह दो वर्षों का बीच का समय केलकुलेशन में भले ही सरकार ले पर कम्पेन्सेशन का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, सवाल अराइज होता है इन दो सालों की आमदनी का। इन दो सालों की आमदनी जो उनको मिलनी चाहिये वह कौन देगा उनको ? सरकार इस पर मौन है। इस पर कहते है सहानुभूति दिखाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि सहानुभूति जो आप दिखा रहे हैं वह नहीं है। वास्तव में सहानुभूति ही अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यह कोई सहानुभूति नहीं है, यह तो कानूनी प्रोटेक्सन है, कानून से मिला अधिकार है उसको वे चाहते हैं। पर उस अधिकार के लिए जो सरकार की और बड़े जागीरदारों की मिलीजुली गलती हुई है और उससे जो नुकसान उनका होता है उस नुकसान से बचावें आप। उस बचाने के क्रम को, कार्य को किसी प्रकार से सहानुभूति के शब्दों में कवर करना चाहते हैं तो भले ही करें और न्याय संगत और कानून संगत भीमानना चाहें तो मान लें।

दूसरा प्रश्न आता है रिजम्पशन लीगल है। माननीय सभापति महोदय, यदि यह भी मान लें कि लीगल है तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि वह जायज है और न्याय संगत है और इस प्रकार से जायज लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मँत्री)। लीगल और जायज शब्द में क्या भेद है, यह भी बता दें जरा ?

श्री भैरोंसिंह : भेद स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि आप भी अच्छी तरह समझे हुए हैं इसको। आप बिल्कुल इसके लिये समझे बैठे हैं। क्वेश्चन इतना सा है आपने कहा ५४-५५ में रिजम्पशन हुआ वह लीगल है। अब क्वेश्चन यह आता है कि वह जो लीगल है वह किस प्रकार से उचित है ? अब यदि उचित है कानून कह दिया ५४ में हमने प्रिन्सिपल जागीरदार के नाम पर था इसलिए रिज्यूम कर लिया और उसकी कार्यवाही सारी लीगल है तो अब क्वेश्चन आता है क्या वह उचित था उनके साथ उनकी जागीर भी ले लेना ? मैं समझता हूँ यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। लीगल भले ही आप समझते रहें। अब पूछना चाहें उनसे कि क्या वह उचित था ? कह दें उचित था ? नहीं कह सकते, यह मैं जानता हूँ। वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। वे उसे उचित कभी नहीं कह सकते। यह वे भी स्वीकार करते हैं और इसीलिए कम्पेन्सेशन उस तारीख से दिलवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वे दिला रहे हैं और इसलिए दिला रहे हैं कि वह रिजम्पशन की कार्यवाही उनकी अनुमति थी और कम्पेन्सेशन की कार्यवाही उचित थी। जब आप उसे उचित मानते हैं तो कह दें उचित था। पर आप लीगल तो कहते हैं पर उचित नहीं कहते। जब वह अनुचित है और उसके अगेन्स्ट कम्पेन्सेशन दिला रहे हैं तो फिर जिनको आमदनी का नुकसान हुआ वह आमदनी क्यों नहीं दिलाई जावे ? तो इसके लिए, मैं समझता हूँ, वे मौन हैं। मौन क्यों हैं, यह मैं नहीं कह सकता। सहानुभूति के शब्द नहीं कह सकते। सहानुभूति दिखाई है कह सकते हैं। पर उचित काम कहा जावे तो इसके

(श्री भैरोंसिंह)

लिए मैं कहूंगा किसी भी प्रकार से सहानुभूति परवरिश या लीगल शब्द का वे कोई प्रयोग करने वाले नहीं हैं। और अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिसको वे लीगल कहते हैं क्या वह जस्ट भी है? क्या उन लोगों के साथ एक प्रकार की उचित कार्यवाही हुई है और इसको यदि जस्टिफाइड एक्शन नहीं कह सकते, उचित काम नहीं कह सकते, तो सरकार के लिए लाजिमी होता है कि अनुचित कार्यवाहियों के लिए पश्चाताप करे वह और जिनके साथ अनुचित कार्य हुआ है और जिससे उनको नुकसान हुआ है वह दिलावे और उस अनुचित कार्यवाही को उचित करने की कार्यवाही को सहानुभूति की कार्यवाही न कह कर यह कहें कि सरकार लोगों को न्याय प्रदान करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस धारा में उचित संशोधन करके इस प्रकार से एडजस्ट किया जावे और अगर वे नहीं करते हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस धारा का वह विरोध करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जो पोईन्ट माननीय सदस्य ने उठाये हैं वे पहले भी आ चुके हैं और उन सबका मैंने पहले ही जबाब दे दिया है। उनको दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून का मसला है और बार बार मैंने अर्ज किया है कि इस कानूनी मसले को कानून तौर पर ही देखा जावेगा। असल में कोई नई दलीलें पेश करके कानून को गैर कानून और गैर कानून को कानून करार नहीं दे सकते। जैसा पहले अर्ज किया यह सहानुभूति का प्रश्न नहीं है। सवाल इतना है सिर्फ कि जिन सब-ग्रान्टीज का रिजम्पशन प्रिन्सिपल जागीरदारों के साथ हो गया और इसलिए हो गया कि प्रिन्सिपल जागीरदारों ने सारे अपने क्लेमों में इनकी इन्कम को अपनी इन्कम दिखा करके पेश किया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : On a point of Clarification, Sir, आप यह फरमा रहे हैं कि उनके क्लेम भरने से ये जागीरें रिज्यूम हुई पर बात ऐसी नहीं है। पहले जागीरें रिज्यूम हुईं और बाद में क्लेम पेश हुए हैं। इसलिये जागीरें किसने रिज्यूम की? सरकार के विभाग ने। इसका बिल्कुल गलत इन्टरप्रिटेशन हुआ है सदन में। मैं कहता हूँ जागीरें सरकारी अधिकारियों द्वारा रिज्यूम की गई इसलिए क्लेम भरे गये। इस लिए छोटी जागीरों को भी सरकार ने रिज्यूम किया। Who has resumed those jagirs? The Government; and it is the fault of the Government.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस कन्ट्रोवरसी में नहीं पड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं इन सब का जबाब दे चुका हूँ। किसकी गलती है, किसकी नहीं, इसमें अभी नहीं जाना चाहूँगा। जागीर डिपार्टमेंट की भी गलती है पर ज्यादा उनकी है जिन्होंने वाजिब तौर से अपने क्लेम नहीं भरे।

श्री मदनसिंह : पर गलती गवर्नमेंट ने की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो फिर आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर लीजियेगा जागीर डिपार्टमेन्ट के लोगों के साथ। मैंने जो कार्यवाही करनी ठीक समझी वह की है।

Page No.101

श्री मदनसिंह : आप आर्ग्युमेन्ट नहीं दे सकते। यह कोई आपका जवाब नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा कोई पोइन्ट अर्ज नहीं करना है और वेलिडेट करना इसलिए जरूरी है कि रिजम्पशन हो चुका। कम्पेन्शन भी ओवरड्यु हो गया। पर रोंग पर्सन को मिल गया वह भी जो एन्टाइटल नहीं था। तो आज माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गलती से जो चीज हो गई वह ठीक की जावे। मैं नहीं कहूँगा कि डिसऑनेस्टली हो गया। गलती से उन्होंने जो सही आदमी था, जो उस कम्पेन्सेशन के पाने का हकदार था उसको वापिस दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सेक्शन ३ पास किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ स्वीकार की गई।

क्लॉज ४

श्री रघुवीरसिंह ।

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मँत्री) पहले कुछ अमेन्डमेन्ट मूव कर दूँ सेक्शन चार में। शायद उनको मूव करने की जरूरत न पड़े, आपकी इजाजत से।

श्री सभापति : पेश करिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: In sub-clause (1), substitute "in the manner laid down in sub-section(2)" for "out of the amount of compensation......sub-grant', and in sub-clause (2), substitute "partly out of the compensation to be paid or being paid to his principal jagirdar and partly by the State Government in the prescribed manner" for "out of the compnsation...such amount." तो सब सेक्शन ४ में यह हो जावेगा।

इससे वह आपका डिफेक्ट हल हो जायेगा कि एक पर्टीक्यूलर जागीरदार को १० गुना मुआवजा मिला है और चाहे जागीरदार २२ गुना पाने का अधिकारी है तो १० गुना कट जायेगा और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से देगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ४ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ में संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

क्लॉज ५

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

(क्लॉज स्वीकार की गई)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ और प्रिएम्बल व टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १ और प्रिएम्बल व टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सब–ग्रान्ट्स रिजम्पशन वेलिडेशन बिल, १६५६ को पारित किया जाये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: आपका, संशोधन तो उन्होंने स्वीकार कर लिया।

श्री भैरोंसिंह: राजस्थान सब–ग्रान्ट्स रिजम्पशन वेलिडेशन बिल, १६५६ इसको पारित करने के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय की ओर से प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदय, जब कभी भी किसी बिल के वेडिडेशन के बारे में कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सरकार ने कोई गलती की है। वह गलती किस प्रकार से हुई, किस के द्वारा हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं इन सब बातों को अलग रख कर सरकार यह योजना बनाती है कि जो कुछ हमने गलत कार्यवाहियाँ की हैं उनको विधान सभा में रख कर एक बिल के द्वारा दुरुस्त हुई कार्यवाही मनवा ली जाये। जब सरकार से कहते हैं, कोई सुझाव सरकार के सामने पेश किये जाते हैं, हमारे माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बहुत बड़ा अभिमान है और वह अभिमान शायद इस बात का है कि यदि भारतवर्ष के अन्दर राजस्व के मामलों को समझनेवाला कोई कानूनी माहिर कहीं पैदा हुआ है तो मालपुरा के श्री दामोदरलाल-जी व्यास के सिवाय कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं माननीय सभापति महोदय, कई बार सुनता हूँ और जिस समय उनका यह अभिमान भरा शब्द सुनता हूँ कि यह कानूनी बात है और मेरे सिवाय कोई नहीं जानता तो मैं उनके सामने वह नकशा इस सदन का पेश करना चाहता हूं कि जिस सदन में आपने कई गलत कार्यवाहियां की हैं और एक बार नहीं अनेक बार और सदन में वेलिडेट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करवा कर उनको दुरुस्त किया है। वह गलती मेरी नहीं थी वे गलतियां उस व्यक्ति की थी जो कहते हैं कि उनके पास कानून की डॉक्टरेट है...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही कानून का जानकार हूँ। मैंने तो यह कहा है कि कानूनी बात को गैर कानूनी नहीं कह सकते हैं और गैर कानूनी बात को कानूनी नहीं कह सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है कि मैंने कहा कि मैं ही कानून का माहिर हूं और मैं ही जानता हूं। और न मैंने यह कहा है कि आपसे ज्यादा जानता हूँ। हो सकता है आप ज्यादा जानते हों।

श्री भैरोंसिंह: जिस प्रकार का भाव आप बार २ प्रकट करते हैं उस भाषा से जिस भावना की झलक पड़ती है वह आपका एक प्रकार का अभिमान है। वह जो लोगों को इनफरेन्स कराना चाहते हैं कि रेवेन्यू के मामले में

Page No.103

(श्री भैरोंसिंह)

केवल मैं ही समझता हूँ और अगर दूसरे समझते हैं तो गलती करते हैं। ऐसी बात सदन सुनने को तैयार नहीं है....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : आप सुनते तो हैं नहीं...

श्री भैरोंसिंह : पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री मोतीलाल : हम तो सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं सुनें तो बाहर जाईये ।

श्री मोतीलाल : Mr. Chairman, sir, I will request you that he cannot ask me to go out.

श्री भैरोंसिंह : If you are not prepared to listen, then there is no way out except to go out.

श्री सभापति : Order please.

श्री भैरोंसिंह : यदि वे सदन में बैठेंगे तो मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री सभापति : Hon'ble Member to please resume his seat. Let us not get provoked over such minor matter.

श्री मोतीलाल: Mr. Chairman, I want your protection. Who is he to say that I should go out ?

श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़) : who were you to say that you don't want to listen to him ?

श्री सभापति : Let us not take everything so seriously.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अमेरिका जाकर आये हैं और पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का ज्यादा ज्ञान है ।

श्री मोतीलाल : Point of order, Sir, I request the Chair to give a ruling on this whether a member of the House can ask another member to go out.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई सदन का सदस्य यह कह सकता है कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ ?

श्री मोतीलाल चौधरी : Mr. Chairman, Sir, I want your ruling...

श्री सभापति : Order please. Of course, it is correct that the Hon'ble Member has no right to ask another to go out of the House. But Member In the context it has been said, it does not amount to that. Yes, Shri Bhairon-Singh to continue. I will request him please to be a little restrained

श्री भैरोंसिंह : मैं, सभापति महोदय, इस प्रकार की बात कहना कभी नहीं चाहता था और मैं सुनाना भी नहीं चाहता था जो कि सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता था और वह केवल

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय राजस्व मंत्रीजी को कहना चाहता था कि वे सदन के बारे में इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण जो भाव रखते हैं कि कानूनी बात है और कानूनी बात को केवल वे ही समझते हैं इस प्रकार की जो भावना वे व्यक्त करते हैं मैं उस प्रसंग को लेकर उनसे निवेदन करना चाहता था और उस बीच में पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के विशेष जानकार खड़े हो गए। खैर, मैं इस प्रकार की चर्चा नहीं करूँगा। मैं जो निवेदन करना चाहता था वह यह था कि इस सारे एक्ट के अन्दर माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है चाहे दबी जबान में स्वीकार किया, चाहे खुले रूप से इस बात को स्वीकार किया कि सरकारी अधिकारियों के कारण कुछ गलतियां हुई हैं। गलती के सम्बन्ध में दण्ड देने के बारे में भी वे शायद उनको दण्ड देंगे या नहीं लेकिन उन्होंने एक बात का निमन्त्रण सा दिया है कि आप तो जल्दी में कह गये कि उनके खिलाफ कार्यवाही आप लोग करें। फिर शायद यह कह गये कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अब उनके खिलाफ हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं? यानि जिन जागीरदारों को नुकसान हुआ है उसके लिए क्या कार्यवाही कर सकते हैं, उसके लिए सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं समझती है?

केवल क्वेश्चन इस बात का था कि हमने गलती की है और हमने इस चीज को स्वीकार किया। तो जिस चीज को स्वीकार किया उसके कारण से जिन लोगों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है उन लोगों को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भावना हमारे कानून की रखी जाती तो निश्चित रूप से सरकार की तारीफ की जाती। लेकिन सरकार ने तारीफ का ऐसा कोई काम नहीं किया। तारीफ करने का ऐसा कोई काम नहीं किया जाये तो जवाब यह मिलता है कि सदन में कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। एक तरफ तो छोटे जागीरदारों को खुश करने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ बड़े जागीरदारों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से छोटे जागीरदारों को बड़े जागीरदारों का दया का पात्र बना रहे हैं और उसके बिना वह व्यक्ति जिन्दा नहीं रह सकता। मैं, सभापति महोदय, आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि इस कानून के द्वारा अब क्या होगा? जहाँ इस कानून को हमने संशोधन के साथ पास किया है आखिर उसका क्या प्रभाव होनेवाला है? यह प्रभाव होगा कि जिनकी जागीरें गलती से रिज्यूम हो गई उन लोगों को मुआवजा दिया जायेगा। मुआवजा दिया जायेगा जिस दिन प्रिन्सिपल जागीरदार के साथ उनकी जागीर खत्म हो गई। उस दिन से मुआवजा मिलेगा। इस कानून के पास होने के बाद में यह मुआवजा न्यायसंगत हो गया है लेकिन राजस्व मन्त्री-जी के खुद के हुक्म से कई बार इसकी जांच हुई होगी जिन सेप्रेट जागीरदार जागीर में शामिल हो गये हैं उनके सम्बन्ध में जागीर, डिपार्टमेन्ट जाँच करे और जाँच करने के बाद यदि मैं वे छोटी जागीरें गलती से रिज्यूम हो गई हैं—इस प्रकार का साबित हो जाये तो उनको उस नोटीफिकेशन के द्वारा रिजम्पशन से रिलेक्स किया जाये और उसके लिए दूसरा नोटीफिकेशन जब इश्यू होता है उसके बाद में उन्हें रिज्यूम की हुई मानभी जाये।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं समझता हूं कि इस बारे में माननीय राजस्व मन्त्रीजी इन्कार नहीं करेंगे। एक नहीं राजस्थान में इस प्रकार की कई नजीरें हैं जिन नजीरों के अन्दर बड़े जागीरदारों के शिकंजे से छोटे जागीरदारों को निकाल कर रूल्स में रिलेक्सेशन किया है। जिस समय भी नोटीफिकेशन निकलता है उपयुक्त नोटीफिकेशन निकलता है उसके बाद जागीर रिज्यूम करते हैं। अब उस समय, माननीय सभापति महोदय, जागीर गलत रिज्यूम हुई हैं। जैसे एक लाख की जागीरें रिज्यूम हुई हैं। उस समय भी सरकार ने ऐसी गलतियाँ की हैं लेकिन वहाँ पर जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को वेलिडेट नहीं किया है; उस गलती को वेलिडेट करने के सम्बन्ध में यह कार्यवाही की कि जागीरों को रिलेक्स किया जाय। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा उनका इस प्रकार से रिलेक्सेशन हुआ है, एक बार नहीं कई बार और कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का रिलेक्सेशन हुआ है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जब एक जगह रिलेक्सेशन इस बात से किया जाय जागीरें रिज्यूम हो जाती हैं तो उनको रिलेक्स किया जाय। दूसरी तरफ एक नोटीफिकेशन इश्यू होता है। उस नोटीफिकेशन के अन्तर्गत रिज्यूम कर ली जाय तो फिर यहाँ पर कौन सी अड़चन पैदा हो गई? एक गलती में रिलेक्सेशन इस तरह से किया जा सकता है तो उसी प्रिन्सिपल के हिसाब से यहाँ पर जिनकी इस तरह से जागीरें रिज्यूम हो गई हैं चाहे वे बड़े जागीरदार की गलती से हुई हों, चाहे सरकारी अधिकारियों की गलती से हुई हों, चाहे छोटे जागीरदारों की गलती से हुई हों, उनको भी रिलेक्स कर सकते थे। उसमें कौन सी कानूनी अड़चन पैदा होती थी? जिनको मुआवजा दिया जाये उनके मुआवजे में किस प्रकार से कटौती कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो कानून आया है वह सरकार की तरफ से आया है और वह पास होगा।

रिलेक्सेशन के सम्बन्ध में जिस धारा का विरोध कर रहा था, वेलिडेटिंग क्लॉज का तो वह इसलिए कि इस प्रकार का रिलेक्सेशन छोटे जागीरदारों के साथ में करके जिस तारीख से जागीरें रिज्यूम हुई हैं अव्वल दफा में तो कानून के आधार पर, नियम के आधार पर, प्रेक्टिस के आधार पर, औचित्य के आधार पर, वे रिज्यूम हुई हैं उसके बीच का समय है उसे बीच के समय का लगान दिलवा देते तो उसमें किस प्रकार की आपत्ति होती? कुछ को आपने दिलवाया भी है। जो जागीर रिजम्पशन में गलती के कारण से रिज्यूम हो गई थी इस प्रकार की जागीरों को हमने वापिस रिलेक्स किया है और रिलेक्सेशन करने के साथ साथ में उस पीरियड का लगान हमने दिलवाया है। लगान को कम्पेन्सेशन के अन्दर शामिल किया है। एक तरफ तो यह कार्यवाही करके लगान को शामिल करते हैं, रिलेक्स करते हैं नोटीफिकेशन के प्रभाव से और दूसरी तरफ इस प्रकार की गलती की है तो इस प्रकार का रिलेक्सेशन क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ भी यदि इस प्रकार की व्यवस्था करके अब यह बात कही जाती है और कानून की बात में बात को दबाने की चेष्टा की जाती है। मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी कानून के माहिर होंगे लेकिन हमारी भावना भी कुछ है। भावना गलत हो या सही वह हमें उचित लगती है तो उस भावना को कानून की भाषा में अगर कानूनदा

(श्री भैरोंसिंह)

की बात है तो कानून की दृष्टि से किस प्रकार से उसको इनकॉरपोरेट किया जाता है यह उस आदमी का काम है। मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय को भाषा बनाने का इस प्रकार का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। अगर मेरी भावना कानूनी दृष्टि से फिट नहीं हो सकती है तो उनका कर्तव्य है कि जो भावना उचित है उसको कानूनी दृष्टि से जिस प्रकार से इनकॉरपोरेट किया जाय उस दृष्टि से करें। लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर नहीं दिया गया इससे मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। हम अब भी समझते हैं कि इसका कोई उत्तर आनेवाला नहीं है सिवाय इसके कि मैं काफी कह चुका हूं, काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, काफी इस बारे में भाषण दे चुके हैं, मामला बिल्कुल साफ है फालतू में कनपिलक्शन पैदा किया जाता है। वे इस बारे में एक्सपर्ट हैं और सब बातों को जोड़ तोड़ कर रख देंगे और खास मुद्दे को दबाने की चेष्टा की जायेगी। मैं, माननीय चेयरमैन महोदय, इस बात के लिए चिन्तित नहीं हूँ, इस बात के लिए किसी प्रकार से दुखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। इस बात की जानकारी देना जरूरी होता है कि सरकार इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन दो व्यक्तियों के बीच क्यों करती है। इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन नहीं हो जिस प्रकार का प्रजेन्ट में डिस्क्रीमिनेशन है। अगर होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कल हाई कोर्ट में दावा करेंगे और जुडीशियल एक्सपीरियेन्स के बारे में जिस प्रकार का हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उसी प्रकार का इस डिस्क्रीमिनेशन के बारे में हाई कोर्ट का निर्णय हो सकता है। एक जागीर जागीरदार की गलती से रिज्यूम हो गई है तो उस बारे में इन्क्वायरी करवा कर उसको रिलेक्स किया, उसको रिजम्पशन के नोटीफिकेशन से मुक्त किया और मुक्त करने पर उस पीरियड में यदि जागीर का लगान सरकार ने वसूल कर लिया तो सरकार ने वापिस दिया। एक तरफ एक जागीरदार के साथ इस प्रकार की बात बरती जाती है। जिन जागीरों के मुआवजे इस प्रकार से दिला कर उसका वेलिडेटिंग करके बीच में उनको जो लगान मिलना चाहिए वह लगान नहीं मिले, इस प्रकार की कार्यवही करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन ठीक नहीं है। शायद वे कानून के माहिर हैं नहीं मानते होंगे कि इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यदि इस प्रकार का कानून निकालते हैं तो हम स्पष्ट समझते हैं कि यह छोटे जागीदारों के प्रति जबर्दस्त अन्याय होगा।

अब मैं फिर छोटे जागीरदारों के प्रति अन्याय हो गया यह कहूँगा तो फिर मेरे पर शायद यह चार्ज लगाया जायेगा कि मैं छोटे जागीरदारों की वकालत करता हूं जैसे कि मैं उनका बिल्कुल कृपापात्र हूं। अब यदि दूसरी तरफ कहता हूँ कि इस तरह की बात नहीं है। बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरें रिज्यूम हो गई थी लेकिन गलती से रिज्यूम होने के कारण रिलेक्स की गई। आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि जिस समय ५,०००) रु० से ऊपर की जागीरें रिज्यूम हो गई उस समय कई जागीरें ऐसी थीं जो कि उस केटेगरी में नहीं आती थीं लेकिन रिज्यूम कर ली गई

(श्री भैरोंसिंह)

और उसके बाद में रिप्रेजेन्टेशन किया गया, सेटिलमेंट के खाते पेश किये गये, रेवेन्यू का रेकॉर्ड पेश किया गया और आपके ऑफिसर्स ने जाँच करने के बाद में निर्णय दे दिया कि वे उस केटेगरी में नहीं आती हैं जिस केटेगरी की जागीरें फलां नोटीफिकेशन के जरिये समाप्त होनी चाहिए तो हमारी सरकार ने आदेश दिया कि उन जागीरों को मुक्त किया जाय और इस पीरियड में उनका जो लगान वसूल कर लिया गया है वह वापिस दिलाया जाय। राजस्थान में इस प्रकार की नज़ीर एक नहीं है अनेकों नज़ीरें हैं। जब हम इस प्रकार की नज़ीर कायम कर देते हैं तो फिर इस प्रकार के लोगों के साथ में न्याय नहीं होगा। पहले की एक परिपाटी है, पहले की एक व्यवस्था है, पहले की एक नज़ीर है, उसके अनुसार कार्यवाही करके हम इनके साथ में इस प्रकार की यदि रियायत बरतते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार का संशोधन यहाँ पर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार किया है वह भी इस बात का सबूत है कि यह कानून किस नियत से बनाया जा रहा है। कानून कितनी कानूनी परख देखने के बाद में बनाया जाता है। उनके कानून की परख की तारीफ मैं करना नहीं चाहता हूँ। अपना एक वर्बल संशोधन इस सदन में प्रस्तुत करके अपनी कानूनी परख का, कानून को समझने का मोटा सबूत इस सदन में पेश कर दिया है। ऐसा लगता है कि शायद उनकी इच्छा नहीं थी कि इस तरह की, इस प्रकार की बात हो कि जिस जागीरदार ने १० गुना मुआवजा लिया है उससे कपेन्सेशन २० गुना काटा जाय। उनकी इच्छा नहीं थी इसलिए बीच में कोई लिखित संशोधन नहीं आया है और बीच में ही जबानी इस बात को रखा गया है। किस कानूनी भाषा में रखा जाय उसकी अनभिज्ञता लॉ डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने समझ ली और समझ लेने के बाद कानूनी बात कौन सी पैदा हो गई कि जिससे सरकार को संशोधन पेश करना पड़ा? वह इस बात का सबूत है कि बीच में जबानी बिल के अन्दर पेश करते हैं और संशोधन को किसी प्रकार से मन्जूर करने की स्थिति में नहीं आते हैं लेकिन जब बताया जाता है तो मन्जूर करते हैं। वह इस बात का सबूत है कि हम कानून के कितने माहिर हैं।

अब सभापति महोदय, मैं जो प्रस्ताव रखूँगा वह उचित नहीं होगा। उचित इसलिए नहीं होगा कि सरकार ने अपना माइन्ड मेक-अप कर लिया है और माइन्ड इसलिए मेक-अप कर लिया है कि हमें लीगल गल्तियों को वेलिडेट करना है। और दूसरी बातों में तो इल्लीगल को लीगल शेप में लाकर वेलिडेट करने की भावना होती है। लेकिन यहाँ आप इल्लीगल कार्यवाही को लीगल शेप दे रहे हैं, एक अनुचित बात को जस्ट कर रहे है, अनुचित बात को उचित बना रहे हैं। जब इल्लीगल को लीगल शेप दी जाती है, अनुचित चीज़ को उचित बनाया जाता है तो जिसका नुकसान होता है उसको कम्पेन्सेशन दिया जाता है। आज जिस जागीर को रिज्यूम किया है, अनुचित ढंग से रिज्यूम किया है उसको केवल हम लगान दें यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हमारी इस गलती के कारण चाहे उनको एक पैसे का ही नुकसान हो तो उस एक पैसे का मुआवजा दें।

(श्री भैरोंसिंह)

अब यह कहा जायेगा कि मुआवजा का मुआवजा। मुआवजा का मुआवजा, यह बात किसी के जंचती नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, हम कई दफा कइयों की चीजों पर कब्जा कर लेते हैं, कइयों को लगान का नुकसान होता है, किसी को किराये का नुकसान होता है तो किसी को किसी चीज का नुकसान होता है और उसको लेकर कोई व्यक्ति दावा करता है तो सरकार की तरफ से उसको कम्पेनसेशन मिलता है। आज यदि छोटे जागीरदार कहें कि सरकार के नियमों के अनुसार और कानून के औचित्य के अनुसार मेरी जागीर सन् '५८ में खत्म होनी चाहिये थी लेकिन अब यदि सन् '५४ में खत्म हो गई समझा जाय तो उसको लगान तो मिल गया लेकिन उसके मुआवजे की रकम थी उसका व्याज उसको नहीं मिला। व्याज चाहे २ पैसे या चार पैसे का ही हो लेकिन कोई आदमी क्लेम कर सकता है। जो सरकार कानून बनावाली है उसका यह फर्ज है कि उसकी कोई गलती हुई है तो वह अपनी गलती इस सदन के सामने और जनता के सामने स्वीकार करे और जिनको नुकसान उसकी गलती के कारण हुआ है उसको मुआवजा देने को तैयार रहे। लेकिन आज उनकी गलती को स्वीकार नहीं किया जाता है और कहा जाता है तो कानून के बारे में कहा जाता है। कानून के माहिर होना और जनता की भावना को स्पष्ट रूप से सदन में रखना दोनों में अंतर है और वह अंतर यह है कि एक आदमी गहराई में जा सकता है और दूसरा कानूनी भाषा में उसको समाप्त करने की योजना बना सकता है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी इसको गंभीरता से देखें हालां कि पहले भी गंभीरता से देख कर आये थे लेकिन फिर भी गलती करदी जिसको सदन ने दुरुस्त कर दिया। लेकिन इसमें सिद्धान्त के विरूद्ध कार्यवाही करने जा रहे हैं। यह कार्यवाही पूंजीपतियों के विरूद्ध होती तो कोई बात नहीं थी हालां कि उनके प्रति भी न्यायोचित कार्य किया जाय। लेकिन यहां तो प्रश्न है छोटे लोगों का जिनके पास खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, उनको रियायत मिलनी चाहिये। यह है चाकराना मुआवजे का सवाल। जिन्होंने चाकरी की है उनके बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता है केवल लगान माफ करके चाकरी ली जाती रही है। अब यदि सरकार ने सन्. ५४ से उनकी मुआफी को रिज्यूम कर लिया और कम्पेनसेशन' ५४ से देते हैं और वे यह समझते हैं कि हमारी जागीर '५४ से नहीं '५८ से खत्म होती है और बस धौंस से कोई जागीरदार उनसे चाकरी लेता है। उनकी चाकरी का अफसोस नहीं है, उनके मुकद्दमे का प्रश्न नहीं है, उन्होंने राजस्व मंत्री महोदय का दरवाजा कितनी ही बार खटखटाया होगा, वकीलों को लेकर जागीर कमिश्नर के पास भी कितनी ही बार गये होंगे उसकी चिन्ता नहीं है लेकिन चिन्ता इस बात की है कि कानून के अनुसार उचित चीज होनी चाहिये। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून का इन्टरप्रिटेशन वही उचित समझा जायगा जो मतलब के अनुसार हो। जागीर रिजेम्पशन का मतलब यह था कि उसकी आमदनी और जागीर खत्म होगी जिनका उल्लेख हो यह मोटे से मोटा सिद्धान्त था। उसके अनुसार यदि किसी की जागीर रिज्यूम होती है तो यह मानना चाहिये कि सिद्धान्त के विरूद्ध आचरण किया है क्योंकि छोटे

(श्री भैरोंसिंह)

लोगों के साथ अन्याय है और उन पर आघात किया गया है और दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया है वही व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया है। क्योंकि छोटे लोगों की जिन्दगी के साथ खेलने का सवाल है, उनके चार वर्ष का लगान खा कर सरकार के खजाने में जमा कराने का सवाल है इसलिये मैं इसका विरोध करता हुआ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल का विरोध किया जाय।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : सभापति महोदय, यह बिल पारित करने के समय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह ऑब्जेक्शन उठाया कि जागीर रिजेम्पशन की तारीख के पहले जो छोटी जागीरें रिज्यूम करली गई उनको मुआवजा तो दिया जा रहा है लेकिन बीच के समय का लगान नहीं दिया जा रहा है, उनका खास मेन पोइन्ट यह है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कानूनी नुकते निगाह से देखें तो जगीर रिज्यूम करने का नोटीफिकेशन निकला था वह नोटीफिकेशन इस बात का नहीं था कि २००) रु० या २५८) रु० की आमदनी वाली जागीरें रिज्यूम की जाती हैं बल्कि वह नोटीफिकेशन यह था कि इतनी इतनी जागीरें तादाद की फलां तारीख तक रिज्यूम की जायेंगी और उसके बाद जागीरों के जिन्होंने क्लेम बड़े जागीरदारों ने दाखिल किये उनको मुआवजा दिया गया। अब यह सवाल उपस्थित होता है कि जो क्लेम दाखिल किये गये उनमें छोटे जागीरदार जो सब-ग्रान्टी थे उनकी जमीन को भी शामिल कर लियागया-मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी का मकान कुर्क हो जाता है और उस पर दूसरा आदमी कब्जा भी लेलेता है फिरभी वह अगर चुप बैठा रहता है तो क्या वह नुकसान नहीं उठायेगा ? जब बड़े जागीरदारों ने सब-ग्रान्टीज की जमीन का मुआवजा ले लिया और उस जमीन का लगान गवर्नमेन्ट लेती रही और फिर भी वह सब-ग्रान्टीज सोता रहा तो यह किसकी गलती है ? आपका यह कहना कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब काबिल फाजिल हैं या आप काबिल फाजिल हैं या मैं काबिल फाजिल हूं ....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपको किस बिना पर जोश आरहा है ?

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : आप शान्ति रखिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कानूनी मसला साफ है कि गवर्नमेन्ट ने कोई बेड इन्टेन्शन से जागीरें रिज्यूम नहीं की हैं। यह हो सकता है कि बड़े जागीरदारों ने छोटे जागीरदारों की पर्वाह नहीं करके उनकी जमीनों के भी क्लेम दाखिल कर दिये हों लेकिन छोटे जागीरदारों की भी यह गलती है है कि उन्होंने अपने क्लेम के लिए ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किये। सन् ५४ में जागीर रिज्यूम हो गई और उसका क्लेम या ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किया तो उनकीगलती है। आपने यह बताया कि गवर्नमेन्ट का नोटीफिकेशन जारी हुआ और सरकार ने यह हिदायत की जागीर विभाग को कि वह यह देखे कि किस किस की जागीर गलत रिज्यूम हुई है। उसके बाद भी यदि किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किये तो यह किसकी गलती है ? जो गलत रिज्यूम हो गई है उसके बारे में अब भी केसेज आ सकते हैं, उनके लिए

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

वेलिडेशन बिल पेश किया गया है। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि इसमें न तो सरकार की गलती है और न सरकारी ऑफिसरों की गलती है बल्कि गलती उनकी है जिन्होंने गलत क्लेम फार्म भरे हैं या उन सब-ग्रान्टी या छोटे जागीरदारों की गलती है जिन्होंने समय पर ऑब्जेक्शन फाईल नहीं किये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को रिप्लाई शायद काफी लंबी देनी होगी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि बड़े जागीरदारों पर क्लेम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फार्म भर कर कम्पेन्सेशन ले लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिजेम्पशन करनेवालों की गलती है। यदि मेरी जागीर कानून से खत्म होती है और मैंने उसके मुआवजे का क्लेम पेश किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। यही कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही करिये। एक प्रश्न का उत्तर दें तो सारा प्रश्न हल हो जाता है। मेरी जागीर का रिजेम्पशन हुआ। मेरी दांता की जागीर मान लीजिये १ लाख रुपयों की है और मैंने उसके लिये १ लाख के क्लेम का फार्म भरा तो गलती क्या की? उनकी तरफ से रिजेम्पशन गलत हुआ। उनको रिजेम्पशन नहीं करना चाहिये था। जो जागीर मेरे नाम पर दर्ज थी उसी का करना चाहिये था। सेटलमेन्ट के रेकॉर्ड से यह बात स्पष्ट हो जाती है, इससे मालूम हो जाता है कि किसकी गलती है। मैं समझता हूं भैरोंसिंहजी ने सब बातें स्पष्ट रूप से बता दी है। रिज्यूम हुई हैं और साथ ही साथ वापिस रिलीज हुई हैं और कुछ जागीर एरिया में चार साल बाद रुपया मिला है। फिर ऐसे कागज गवर्नमेंट के पास थे तो फिर नया कानून बनाकर यह क्यों बतलाया जा रहा है कि छोटे जागीरदारों के ऊपर बड़े जागीरदारों ने अन्याय किया? यह प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने रिजम्पशन किया उन्होंने अन्याय किया। उसके बाद अगर कोई कम्पेन्सेशन के लिए फार्म भर कर देदेता है तो क्या अन्याय किया? उस समय यह नहीं पूछा कि क्या भरा है, क्या नहीं भरा है। छोटे जागीरदार यह समझते रहे कि अभी तो समय है, वे बैठे रहे। बड़े जागीरदारों ने इसलिए फार्म भरे कि शायद गवर्नमेंट छोटे जागीरदारों को कुछ देनेवाली है, वह देदेगी। उस वक्त इन्टरीम कम्पेन्सेशन भी दो रेट से मिला है, उसका फैसला नहीं हुआ है। महज गवर्नमेंट की गलती हुई है कि जागीरें रिज्यूम नहीं की। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, मोटी मोटी जागीरों को खत्म किया है। लेकिन आपने कानून बनाया था, पहले १ लाख की जागीरें, फिर १० हजार की जागीरें, फिर २ हजार की जागीरें। आपके पास नम्बर थे जागीरों के, गवर्नमेंट बताती थी ६०,३५ जागीरें हैं, उनमें से २,०३५ जागीरें खत्म हो गई हैं। (घंटी) मैं समझता हूँ कि यह जागीरदारों की गलती नहीं है। मैं समझता हूं यह पोलिटिकल स्टन्ट है और छोटे मोटे जागीरदारों की लड़ाई के लिए है। इसलिए इनको स्वीकार कर लें और बहस की वजह से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब नाराज हो जायं और कहें कि ११६ की ताकत है इसलिए पास करेंगे तो आप पास कर सकते हैं। लेकिन आपके पास

Page No.111

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

करने से भला नहीं हो सकता है जागीरदार तो कमायेंगे और खायेंगे लेकिन आपकी मन्शा मालूम हो जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): श्री माधोपुर से आने वाले सदस्य का भाषण मैंने गौर से सुना और मैंने कोशिश की कि आखिर वे कोई सुझाव ऐसा दे रहे हैं या नहीं पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे कोई बात नजर नहीं आई है जो जवाब की मोहताज हो सिवाय इसके कि वे पर्सनल अटेक में गये, उन्होंने इंटेलिजेन्ट बातें कही और कहा कि यह बात हो गई वह बात हो गई, ५० हजार की जागीर में गवर्नमेंट ने यह कर दिया। मैं समझता हूँ कि इन बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाय।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दाँता रामगढ़): मेरा जवाब नहीं दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका जवाब वही है।

ठाकुर श्री मदनसिंह नाराज न हों।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधकरण विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही सायंकाल ४ बज कर ५२ मिनट पर बुधवार दिनाङ्क १२. ८. १६५६ को मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

मंगलवार ११ अगस्त, १९५९

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

गत सत्र में लेक्चरार्स की नियुक्तियों में गड़बड़ी

प्रान्त के इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स

श्री रघुनाथजी, पलासरा, के मन्दिर में भ्रष्टाचार तथा पूजा की अव्यवस्था

ग्राम जसरासर के मिडिल स्कूल भवन के निर्माण हेतु द्रव्य

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिये निर्धारित आयु

उनियारा में तहसील की बिल्डिंग के निर्माण हेतु स्वीकृत धन-राशि

ड्राईंग टीचर्स, जिला जालोर

दूदू तहसील के सर्किल १९।१ के पटवारी के खिलाफ शिकायत

तहसील सांचोर में सज्जी बनानेवाले ठेकेदार की शिकायत

काश्त की भूमि को आबादी की भूमि में बदलना—भीलवाड़ा

गांव मांडवाला (जालोर) में स्कूल भवन निर्माण की मांग

स्कम्भ

बुनकर सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्र

सांसी कॉलोनी, अजमेर में पानी और बिजली की अव्यवस्था

लूणकरणसर में सरकारीकर्मचारियों के रहने की व्यवस्था

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ के विरुद्ध शिकायत

बीकानेर डिविजन की अनिवार्य शिक्षा पाठशालाएं

भाखरा-नांगल से कमान्ड एरिया में भूमि एकीकरण की रेट्स

भीलवाड़ा जिले में अभ्रक निकालने हेतु लीज

जिला जालोर एवं पाली में भूमि एकीकरण फीस की वसूली में गड़बड़ी

प्रांत में चालू खानें

बीकानेर जिले में सब डिविजनल ऑफिसर्स को मिले हुए आवागमन के साधन

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से इन्डस्ट्रीज को लोन एवं सहायतार्थ रकम

छाँभर शामलात में बापोतीदार का खातेदार टिनेन्ट घोषित करना

कोटा जिले की तहसीलों के पटेलों को रसूम

माध्यमिक शाला पीपल्दा कलां के भवन निर्माण हेतु भारत सेवक-समाज द्वारा प्रदत्त रकम

महाराजा कॉलेज होस्टल के वार्षिक उत्सव पर निर्णीत खर्चे की रकम में वृद्धि

लेखा (Accounts) लिपिकों के इम्तिहानों के लिये उपयोगी पुस्तकों की अनुपलब्धता

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये लाइसेन्स

टोंक ज़िले में तकावी-वितरण का तरीका

निम्बाहेडा की पत्थर की खानों का ठेका

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री सूबेदारसिंह, सदस्य, को दिनांक १० अगस्त, १६५६ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने राजस्थान जन सेवा आयोग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन, १६५६-५७, मेमोरेन्डम सहित, सदन की मेज़ पर रखा।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १६५६

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान बन्दोबस्त लगान अतीतप्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १६५६

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३ राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधकरण विधेयक, १६५६

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव श्री दामो-

स्कम्भ

दरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने प्रस्तुत किया जिस पर श्री रघुवीर-सिंह ने इस आशय का संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। बादविवाद के पश्चात् श्री रघुवीर-सिंह ने अपना संशोधन वापिस ले लिया विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्कम्भ

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

बुधवार दिनांक १२ अगस्त की कार्य सूची

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५८

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिए]

List Of Inspectors Of Schools.

S. No.	Name of the Inespector of Schools.	Qualifications.	Place of Posting	Date form which working.
1.	Shri Sudhindra Kumar	M. A.	Jaipur East	July, 1959.
2.	Shri Sital Parsad	M. A. B. T.	Jhunjhunu	12-11-1957.
3.	Shri Kishan Chand	-do-	Ajamer	24 11-1558.
4.	Shri R. C. Calla	B. A. S.TT.	Bikaner	8-4-1958.
5.	Shri Visheshwar Dayal	B. Sc. B. T.	Churu	28-11-1958.
6.	Shri C. B. Shah	M. A. B. T.	Chittor	8-7-1958.
7.	Shri K.M.L. Saxena	M. A.	Ganganagar	10-7-1958.
8.	Shri Surya Narain Brahambhatt	M. A. B. T.	Karauli	July, 1958.
9.	Shri Ratan Chand	B.Sc.B.T.	Alwar	7-7-1958.
10.	Shri S. M. Sayeed	B. A. L. T.	Nagaur	11-7-1957.
11.	Sari Girdhari Lal	B. A. B. T.	Sikar	10-7-1958.
12.	Sari Bhagwati Prasad	M. A. ST.	Kota	15-7-1957.
13.	Shri B. C. Chatterji	B.Sc LL.B. L.T.D.	Udaipur	21-22-1958.
14.	Shri Ahmad	B. A. B. T.	Tonk	26-10-1957,
15.	Shri Amda Shanker Dubey	B. A. B. T.	Bharatpur	24-11-58.
16.	Shri H. K. Roy	B. A. B. T.	Jodhpur	4-7-57.
17.	Shri Dinesh Chandra	M. A. B. T.	Jhalawar	9-7-58.
18.	Shri V. D. Brijbasi	M. Sc. B. T.	Barmer	19-7-58,

19.	Shri Harihar Lal	M. A. B. T. Jaipur West	15-11-58.
20.	Shri Madan Singh	M. A. B. T. Bhilwara	28-11-58.
21.	Shri Narain Lal Verma	M. A. B. T. Jalore	15-11-59.
22.	Shri Tej Behari Lal	M. A. S. S. T. Sirohi	17-11-58.
23.	Shri Basiruddin	B. A. B. T. Pali	May, 1959.

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर देखिए]

CRITARIA FOR UPGRADING PRIMAPY SCHOOLS TO MIDDLE SCHOOL.

(b) **Middle Schools.**

Primary Schools having a total strength of 100 boys with 15 students in V class could upgraded provided--

(1) There should be no Middle or High Scoools within the redius of 10 miles

(2) There should be about 5 feeder schools within the radius of 10 Miles.

(3) The number of students in class VI should be at least 20.

(4) The public should be prepared to provide a suitable building.

(5) If there is no Middle School at Tehsil Headquarters that should be given first preference.

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर देखिए]

अनिवार्य पाठशालाओं की सूची

	स्थान	संख्या
१	बीकानेर	१६
२	सरदार शहर	३ स
३	सुजानगढ़	६
४	सादुलपुर	४
५	रतनगढ़	१
६	संजलदेसर	१
७	चूरू	४
८	नाहर	१
९	गंगानगर	१
१०	रायसिंहनगर	१
	योग	३८

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५.२ का उत्तर देखिए]

(1958-59)

List of Mining Lease Mineral Wise (Major)

		N. L.
1.	Asbetes.	16
2.	Agat.	2
3.	Aequanuriue.	4
4.	Beryl.	33
5.	Burytes	1
6.	Calcite.	5
7.	Bolcmite	3
8.	Emerald.	10
9.	Felspar.	29
10.	Flcurspar.	1
11.	Camet.	3
12.	Caluna.	1
13.	Cypum.	5
14.	Crossulainte.	2
15.	Craphite.	11
16.	Class sand.	11
17.	Iron Ore.	11
18.	Kyanite.	5
19.	Lead Zinc silver.	1
20.	Limestone (cement)	2
21.	Manganese	14
22.	Mica.	172
23.	Kussvite.	1
24.	Pyrits,	1
25.	Quarta.	41
26.	Ruby.	3
27.	Soapstone.	34
28.	Slate stones.	1
29.	Sapphire.	2

Dlvisionise List of (Major Minenral)

	M. L.	M. L.
Udaipur Division	47)	
	10)	57
Bhilwara Division	36)	297
	211)	
Jaipur Division	32)	34
	2)	
Kotah Division,	15)	17
	2)	
Bikaner.	3)	
	3)	31.
Jodhpur	29)	
Total 436		433

List of Mining Lease (Minor Mineral) 1958-59.

Udaipur	1.
Bhilwara	29.
Jaipur.	178.
Kota-	213.
Jodhpur.	283.
Total :	704.

30. Bhiteclay. 7

31. Solon ote 2

32. Tenaluts Columbita. 1

१. लौह धातु : जयपुर एवं उदयपुर में।

२. फसोरपर : डूंगरपुर।

३. ताम्र धातु : खेतड़ी में एवं खोदरीबा में।

४. टंगस्टन : डिगाना, जोधपुर में।

५. जिप्सम ; नागौर डिस्ट्रीक्ट में।

६. माइका : जिप्सम : कायर ले : ह्वाइट ले :—

ग्लाससेन्ड गारन्टेड : सोपस्टोन आदि राजस्थान में।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार, दिनांक ११ अगस्त, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२७५	२५	eplied	replied
२७६	८	Specisic	specific
२७६	अन्तिम	धनशिर	धनराशि
२७९	१३	बोड	बोर्ड
३१७	२	reguired	required
३२५	१६	Honible	Hon'ble
३२८	३	क्या को	क्या कोई
३३१	१	therefon	thereon
३४०	२६	neglec	neglect
३४६	अन्तिम से ३	पुनःस्थापित	पुरःस्थापित
३५६	१२-१३	सरकन्सटेन्सेज	सरकमस्टानसेज
३६०	६	कम से	कम से कम
३६३	शीर्ष	देवथान	देवस्थान
३७३	११	quorvm	quorum
३७४	६	or4ered	ordered
,,	१०	to with draw	to withdraw
,,	१९ व २०	Procedure they in	Procedure in
३७५	१ व २	of the of the	of the
३७६	१३	aight	a right

१	२	३	४
३७७	१६	श्री लच्छुराम	श्री लच्छूराम
३८४	२	religiovs	religious
३८७	१०	रख ही	रखदी
३९०	१४	anthority	authority
३९४	२२	यात	बात
३९६	२६	इफेन्ट	इफेक्ट
४०१	प्रथम	(श्रीमूलचन्द डागा)	श्री लक्ष्मीचन्द
४११	१	रिट्रोस्पेक्टिव	रिट्रोस्पेक्टिव
४१६	१२	विल	बिल
४२२	अन्तिम से २	क्लेलो	क्लेम्स
४३०	५	said-grante	said grants
,,	३०–३१	गवमेंट	गवर्नमेन्ट
४३३	३	वाकी	बाकी
४३७	१३	प्रूर्व	प्रूव
४३९	१२	फैलाते	फलाते
४४१	४	कम्पेग्सेशन	कम्पेन्सेशन
४५०	अन्तिम से ४	जन्स	रीज़न्स
४६८	१६	मेरे	भरे
,,	२०	Gorverumeut	Government
४७१	१९	बेडिडेशन	वेलिडेशन
४७४	२४	Member in	where in

१	२	३	४
४७४	२६	Shrl	Shri
४८२	२७	शेष	शेप
४८३	१६	बना	बनाने
४८६	२	क मागं	कमाएंगे
,,	११	इर्टेलिवेन्ट	इर्रेलिवेन्ट